



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012024-251186
CG-DL-E-06012024-251186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 869]
No. 869]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2023

मि.सं. 18-12/2022-बी यू एस एस (सोवा-रिग्पा-यूजी- एम ई एस).—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 की उप-धारा (2) के खंड (डी), (इ), (एस), (टी), (यू) (डब्ल्यू), (एक्स) (वाई), (जेड), (जेड ए), (जेड बी) और (जेड सी) तथा उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय सोवा रिग्पा महाविद्यालयों और संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं) विनियम, 2017 तथा नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2019 का अधिक्रमण कर, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है और निर्देशित करता है यथा :-

खंड - I

प्रस्तावना

1. प्रारंभ एवं संक्षिप्त शीर्षक .- (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सोवा-रिग्पा महाविद्यालय और संलग्न अस्पतालों के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 कहा जा सकता है।

(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा. - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ के अतिरिक्त अन्य आवश्यकता या अपेक्षा न हो, -

- (ए) "अधिनियम"- का अर्थ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) अभिप्रेत है;
- (बी) "अनुलग्नक" का अर्थ इन अधिनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ;
- (सी) "परिशिष्ट" का अर्थ इस विनियम के साथ संलग्न अनुबंध है;
- (डी) "आवेदक" का अर्थ कोई भी समिति या ट्रस्ट या विश्वविद्यालय या किसी अन्य निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राधिकारी है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है;
- (ई) "मूल्यांकन" से किसी संस्था और उसके संलग्न शिक्षण अस्पतालों की अवसंरचनाएँ मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में इन विनियमों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की उपलब्धता के सत्यापन का कार्य अभिप्रेत है;
- (एफ) "संलग्न अस्पताल" का अर्थ चिकित्सा संस्थान/या महाविद्यालय से जुड़ा शिक्षण अस्पताल है जो सोवा-रिग्पा चिकित्सा प्रणाली के छात्रों को शिक्षण/या प्रशिक्षण प्रदान करता है और जनता को मानक आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे ;
- (जी) "शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र" का अर्थ मेडिकल (चिकित्सा) महाविद्यालय/ या संस्थान में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो जिसके शैक्षणिक वातावरण में सभी हितधारक, संस्थान के सभी विभाग और अन्य इकाईयां उचित तरीके से छात्रों को व्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग से कार्य रत या कार्य में संलग्न हो ;
- (एच) "पूर्ण रूप से स्थापित संस्थान" का अर्थ है एक ऐसा संस्थान या कॉलेज जिसने अधिनियम की धारा 29 के तहत स्थापना के सभी कार्य चरण-बद्ध तरीके से पूर्ण कर लिये हो तथा अनुमति पत्र प्राप्त करने के साथ-साथ पहला, दूसरा और तीसरा नवीनीकरण प्राप्त किया हो तब उसे धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित संस्थान माना जाएगा;
- (आई) "अस्पताल की कार्यक्षमता" का अर्थ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक संलग्न शिक्षण अस्पताल है, जो मूल संरचना के साथ चिकित्सा छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण, परामर्श, निदान सहित सभी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करे (नैदानिक जांच), उपचार (चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और प्रक्रियात्मक (रोगी आधारित चिकित्सा), निवारक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा सलाह, परामर्श, नर्सिंग देखभाल, दवा वितरण, अभिलेख रख रखाव, अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के साथ सार्वजनिक चिकित्सकीय गतिविधियां और सभी प्रकार के रोगी की देखभाल के लिए उपचारकर्ता किसी भी समय किसी प्रकार के रोगी की देख भाल करना अर्थात जन आकांक्षाओं के अनुरूप स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे ;
- (जे) "महाविद्यालय या संस्थान की कार्यशीलता का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करने वाला सोवा-रिग्पा महाविद्यालय या संस्थान जो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना कर, निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार सोवा-रिग्पा के छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- (के) "स्थापना के अधीन संस्थान" का अर्थ है अधिनियम की धारा 29 के तहत चरण-बद्ध स्थापना (स्थापना के पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम चरण) से गुजरने वाला कॉलेज या संस्थान है;
- (एल) "आशय पत्र का अर्थ है एक नया सोवा-रिग्पा कॉलेज या संस्थान स्थापित करने या मौजूदा पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में सीटें या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता बढ़ाने या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई नया या स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा शर्तों और समयसीमा के साथ जारी आरंभिक स्वीकृति से हैं;
- (एम) "अनुमति पत्र (एल ओ पी)" का अर्थ है आवेदक को भारतीय चिकित्सा पद्धतिआकलन और रेटिंग बोर्ड परिषद द्वारा एक नये सोवा-रिग्पा महाविद्यालयया संस्थान को स्थापित करने या मौजूदा कार्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने या शुरू करने के लिए दिया गया अनुमति पत्र | एनसीआईएसएम द्वारा अनुमति मिलने के उपरांत

मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर संस्थानों को या नया कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले सभी को स्वीकृत और अनुमति के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश देना होगा;

(एन) "न्यूनतम आवश्यक मानक" का अर्थ है मूल-भूत संरचना, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताएं, साथ ही न्यूनतम गुणवत्ता या मानक का एक स्थापित स्तर जिससे निम्न स्तर अस्वीकार हो;

(ओ) "व्यक्ति" का अर्थ है कोई समिति या ट्रस्ट (संगठन) या विश्वविद्यालय या कोई अन्य निकाय, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है ;

(पी) "भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा मानदंड या मानकों के आधार पर किए गए मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से अधिनियम की धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित मौजूदा मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान को यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के ऊपर मूल्यांकन करना;

(क्यू) "अनुमति का नवीनीकरण" का अर्थ है स्थापना के तहत एक नए कॉलेज या संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दी गई नवीनीकृत अनुमति (अर्थात् चरण बद्ध तरीके से पहले, दूसरे और तीसरे नवीनीकरण) के उपरांत न्यूनतम आवश्यक मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर प्राप्त अनुमति पत्र के बाद प्रत्येक क्रमिक शैक्षणिक वर्ष के लिए पुनः भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नए महाविद्यालय संस्थान की तरह ही, शैक्षणिक वर्ष के लिए स्वीकृत और अनुमति के अनुसार प्रवेश छात्रों को प्रवेश देना होगा;

(आर) "स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान में उस विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए किसी निर्दिष्ट शैक्षणिक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए स्वीकृत या अनुमत सीटों की संख्या |

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ समझा जायेगा जो अधिनियम में दिए गए हैं |

खंड - II

अधिनियम की धारा 28 के अनुपालन के अनुसार स्थापित सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान का निरीक्षण एवं मूल्यांकन

3. महाविद्यालय जो अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत स्थापित है उनका मूल्यांकन .- भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से इन विनियमों में उल्लिखित बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में किसी संस्थान के न्यूनतम आवश्यक मानकों की उपलब्धता को सत्यापित करने का कार्य होगा; यह छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति देने या अस्वीकार करने या अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित ऐसे उपाय करने के लिए होगा।

(1) अनुमति देने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानकों की आवश्यकताएं: (ए) अधिनियम की धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित मौजूदा सोवा-रिग्पा कॉलेज या संस्थान और उनसे जुड़े अस्पताल, बुनियादी ढांचे, शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं, मानव संसाधन और इन विनियमों 4 से 6 और अनुसूची-I से XIII में निर्दिष्ट कार्यात्मकताओं के लिए सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करेंगे;

(बी) प्रत्येक महाविद्यालय या संस्थान आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश लेने की अनुमति देने पर विचार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को या उससे पहले परिभाषित नियमों के अनुसार न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा;

(सी) समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में वार्षिक स्थिति स्पष्टिकरण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित निरीक्षण या मुलाकात हेतु तैयार प्रपत्र, महाविद्यालय या संस्थानों द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन भरा और जमा किया जाएगा;

(डी) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड इन विनियमों में यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कॉलेज या संस्थान के निरीक्षण या यात्रा और मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित करेगा और; भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड इन नियमों के अनुसार बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति का आकलन करने के लिए हर साल 1 जनवरी से 30 जून के बीच मौजूदा कॉलेजों या संस्थानों का स्वतः निरीक्षण या दौरा करेगा;

(ई) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा तय भौतिक या आभासी या मिश्रित विधि द्वारा निरीक्षण या दौरा किया जाएगा;

(एफ) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित निरीक्षण या मुलाकात के दौरान, आगंतुक महाविद्यालय या संस्थान द्वारा आगंतुक (प्रपत्र) के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आकडे को ऑनलाइन या ऑफलाइन सत्यापित करेंगे, और आगंतुक निरीक्षक अपनी रिपोर्ट विधिवत भरे हुए आगंतुक प्रोफार्मा (प्रपत्र), महाविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए सम्बंधित अभिलेखों के साथ जमा करेंगे। और महाविद्यालय या संस्थान द्वारा कराये गए स्थलीय निरीक्षण या मुलाकात के दौरान कर्मचारियों (शिक्षण कर्मचारी, गैर शिक्षण कर्मचारी और अस्पताल कर्मचारी) और उनकी मूलभूत सुविधाओं की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी (व्यक्तिगत मुलाकात की स्थिति में) करायेगे ;

(जी) आगंतुक निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड महाविद्यालय और आगंतुक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए आकडे और अभिलेखों को सत्यापित करेगा;

(एच) सत्यापन के उपरांत—

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान करना है कि नहीं इसका निर्णय लेगा।

(ii) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) नियमों के अनुसार यदि यह पाया जाता है कि कॉलेज/संस्थान यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा परिषद द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन नहीं किया है या अनुपालन करने में विफल है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड आगामी या अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति देने से इनकार कर देगा या अन्य उपाय करेगा, जैसे चेतावनी जारी करना, आर्थिक दंड लगाना, प्रवेश लेने की अनुमति को सीमित करना, या प्रवेश रोकना तथा खंड (एफ) उपधारा (1) धारा (28) के तहत मान्यता वापस लेने के लिए आयोग को सिफारिश करना आदि शामिल है।

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किसी संस्थान या महाविद्यालय को अनुमति देना है या इनकार करना है या कोई अन्य उपाय जैसे दंड का प्राविधान की स्थिति में, प्रभावित संस्थान को आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा तीस जून तक सूचित किया जायेगा।

(आई) (i) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किसी संस्थान या महाविद्यालय को अनुमति देने से इनकार करने की स्थिति में, प्रभावित संस्थान (अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रभावित संस्थान आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा तीस (३०) दिन की अवधि के भीतर आयोग में किसी भी माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन पहली निवेदन कर सकता है उपरोक्त उल्लिखित तिथि अर्थात् निर्धारित समय सीमा के उपरांत, महाविद्यालय संस्थान द्वारा ऐसी किसी निवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा;

(ii) पुनरावेदन प्राप्त होनेके बाद पर, आयोग उस निवेदन की जांच कर प्रभावित आवेदक को सुनवाई हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा;

(iii) यदि आयोग इस बात से आश्वस्त होता है कि महाविद्यालय या संस्थान ने इस विनियम के अनुसार सभी आवश्यक न्यूनतम मानक पूरा करता है, तो आयोग आवेदन पर पुनः विचार करने हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को निर्देशित कर सकता है;

(iv) यदि महाविद्यालय या संस्थान ने इस विनियम के अनुसार न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा नहीं किया है, तो आयोग अनुमति देने से इनकार कर देगा और आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों की अवधि के अन्दर महाविद्यालय या संस्थान को सूचित देगा;

(v) आयोग द्वारा आवेदन अस्वीकृत की सूचना प्राप्त होने के सन्दर्भ में प्रभावित महाविद्यालय या संस्थान को अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (6) के तहत निर्णय सूचना मिलने के पंद्रह दिनों के भीतर आयुष

मंत्रालय, भारत सरकार को दूसरा पुनरावेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उप-खंड (i) के अनुसार कोई संस्थान आयोग द्वारा किसी भी तरह की सूचना न मिलने पर भी वह पंद्रह दिनों में अपील कर सकता है ;

(vi) अनुमति से इनकार करने की स्थिति में, संस्थान आगामी या अगले शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को प्रवेश देने के लिए पात्र नहीं होगा और श्रेणीकरण (श्रेणीकरण) के लिए पात्र नहीं होगा।

(जे) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को किसी भी शिकायत की प्राप्ति पर या निर्दिष्ट निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं की पूर्ति में किसी भी अनियमितता या कदाचार या अपर्याप्तता का संज्ञान होने पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड उस संस्थान विशेष का पुनः निरीक्षण या दौरा कर अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा(1) के खंड (एफ) के तहत कार्रवाई करेगा जिसके के लिए महाविद्यालय या संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगा;

(के) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड यह सत्यापित करेगा कि महाविद्यालय में उपस्थित शिक्षण संकाय किसी अन्य स्थान या संस्थान में काम नहीं कर रहा है। जो शिक्षक शारीरिक रूप से अनुपस्थित हैं लेकिन केवल "कागज पर" उपस्थित हैं, उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि संस्थान ऐसा करता है, तो अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के तहत संबंधित कॉलेज या संस्थान के साथ-साथ संबंधित शिक्षक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा;

(एल) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अपनी वेबसाइट या सार्वजनिक सामाजिक पटल पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1); के उप-खंड (ई) के अनुसार नियमित अंतराल पर चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग (श्रेणीकरण) राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराएगा। प्रति वर्ष आयोग द्वारा आयोजित काउंसलिंग के प्रारम्भ होने के 60 दिन पूर्व भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के सार्वजनिक वेब- साईट पर प्रस्तुत करना होगा;

(एम) वार्षिक निरीक्षण शुल्क का भुगतान निम्नवत डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन भुगतान (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से किया जाएगा, जो की भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि ' के पक्ष में किया जायेगा और जो 'भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड नई दिल्ली; के नियम अनुसार होगा

(i) निरीक्षण शुल्क:- (प्रति निरीक्षण) शुल्क एक लाख रुपये

(ii) आभासी शुल्क:- (प्रति निरीक्षण) शुल्क तीस हजार।

(2) सशर्त अनुमति देने के लिए न्यूनतम आवश्यक मानकों की आवश्यकताएँ - किसी विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए एक वर्ष की सशर्त अनुमति केवल धारा 28 के तहत उन पूरी तरह से स्थापित कॉलेजों या संस्थानों को दी जाएगी, जो आने वाले या आगामी या अगले शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को प्रवेश देने के लिए हर साल 1 जनवरी से 30 जून के बीच भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सा मूल्यांकन और मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किए गए निरीक्षण या यात्रा के आधार पर निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

(ए) अनुसूची-IV में निर्दिष्ट अस्पताल कर्मचारी की आवश्यकता;

(बी) अनुसूची-V में निर्दिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता;

(सी) अनुसूची-VI में निर्दिष्ट गैर-शिक्षण कर्मचारियों की आवश्यकता;

(डी) विनियम 4 के उप-विनियम (4) और विनियम 6 के उप-नियम (1) और (2) के तहत निर्दिष्ट शिक्षण अस्पताल की आवश्यकता;

(ई) अनुसूची-VII से अनुसूची-XIII में निर्दिष्ट आवश्यक उपकरणों में से न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत की उपलब्धता सुनिश्चित हो;

(एफ) महाविद्यालय में वेबसाइट की उपलब्धता विनियम 6 के उप विनियम (4) के सुनिश्चित;

(जी) बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली की उपलब्धता विनियम 6 के उप विनियम (5) के अनुसार सुनिश्चित हो;

(एच) अनुसूची-III के अनुसार वनौषधि उद्यान की उपलब्धता;

(आई) विनियम 6 के उप-विनियम (3) के अनुसार महाविद्यालय परिषद् उपलब्ध हो;

(जे) विनियम 4 के उप-विनियम (2) के निर्देशानुसार महाविद्यालय और अस्पताल के न्यूनतम कुल निर्मित क्षेत्र की उपलब्धता।

खण्ड - III

सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान और संलग्न शिक्षण अस्पताल के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

4. आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं— (1) भूमि की आवश्यकता.- (ए) विनियमों के अंतर्गत पन्द्रह विद्यार्थियों हेतु चिकित्सा कॉलेज, अस्पताल की आधारभूत संरचना के लिए मैदानी क्षेत्र के लिए कम से कम दो एकड़ और पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक एकड़ से कम नहीं, सोलह से तीस सीटों तक की प्रवेश क्षमता के लिए, भूमि पहाड़ी क्षेत्र के लिए डेढ़ एकड़ से कम नहीं होगी और मैदानी क्षेत्र के लिए तीन एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए आवश्यक कुल निर्मित क्षेत्र, भूमि के एक टुकड़े में उपलब्ध हो, और दो से अधिक भूखंडों के आपस की दूरी पर पांच किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और भूखंड, यदि अलग हो तो उसे किसी सड़क, नहर, नाले से, या पुल से जुड़ा होना चाहिए तो उसे भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा;

(बी) भूमि महाविद्यालय के स्वामित्व में होगी या महाविद्यालय के नाम पर कम से कम तीस वर्ष की अवधि के लिए या सम्बंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के नियमों या विनियमों के अनुसार अधिकतम मान्य अवधि के लिए पट्टे पर होगी। परन्तु पट्टे की समाप्ति पर उसका नवीनीकरण आवश्यक होगा;

(सी) भूमि के आकार और कब्जे की आवश्यकता इस अधिसूचना की तारीख से पहले स्थापित कॉलेजों या संस्थानों के लिए लागू नहीं है, लेकिन वर्तमान पट्टा अवधि के अंत में लागू होती है। ऐसे कॉलेज या तो भूमि के मालिक होंगे या संबद्धित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के नियमों या विनियमों के अनुसार कम से कम तीस साल या अधिकतम अनुमेय अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त करेंगे, या ऐसे कॉलेज संबद्धित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा विशेष अनुमति पर भूमि के मालिक होंगे।

(2) आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र: - (ए) पंद्रह सीटों तक प्रवेश क्षमता वाले प्रत्येक महाविद्यालय और संलग्न अस्पताल में छह सौ वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र होगा;

(बी) सोलह से तीस सीटों की प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालय और संलग्न अस्पताल, जिसमें प्रत्येक का निर्मित क्षेत्र एक हजार वर्ग मीटर होगा;

(सी) कॉलेज और अस्पताल का निर्माण इन विनियमों में अनुसूची-I और अनुसूची-II में निर्दिष्ट विवरणों के अनुसार अलग-अलग भवनों में किया जाएगा और अलग कॉलेज और अस्पताल भवनों की आवश्यकता केवल इस अधिसूचना की तारीख के बाद स्थापित कॉलेजों पर लागू होगी;

(डी) कुल निर्मित क्षेत्र सम्बंधित प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा अनुमन्य होगा जो कुल क्षेत्र भूतल तालिका अनुपात पर आधारित होगा;

(ई) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड में अनुमति के लिए आवेदन जमा करने के समय, अनुसूची-I और अनुसूची-II के अनुसार आवश्यक निर्माण क्षेत्र वाले प्रस्तावित भवनों की निर्माण योजना को स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण से प्रमाणित या अनुमोदित एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा;

(एफ) महाविद्यालय अपने मूलभूत एवं अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे कि कैटीन, आउटडोर और इनडोर गेम सुविधा, नागरिक और विद्युत सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, कार्यशाला, पर्याप्त पार्किंग स्थान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि को सुनिश्चित करेगा;

(जी) वनौषधि का न्यूनतम क्षेत्र इन विनियमों की अनुसूची-III में निर्धारित किया गया है।

(3) प्रवेश की क्षमता:- स्नातक सोवा-रिग्पा पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए वार्षिक प्रवेश क्षमता पंद्रह और तीस छात्रों के स्तर में होगी। पंद्रह और सोलह से तीस सीटों तक की छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज इन विनियमों में अनुसूची-I से अनुसूची-XIII में निर्दिष्ट क्रमशः पंद्रह और सोलह से तीस सीटों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

(4) शिक्षण अस्पताल की आवश्यकता- (ए) शिक्षण अस्पताल को संचालित करने के लिए सम्बंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी आवश्यक वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और भारतीय

चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को ऐसी अनुमति या मंजूरी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां और संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा;

(बी) आवश्यक शैय्या: - स्नातक पाठ्यक्रम के लिए बिस्तरों की संख्या के साथ छात्रों का अनुपात 3:2 होगा, जैसा कि तालिका-1 में दिया गया है और सामान्य वार्ड में दो बिस्तरों के बीच की दूरी एक मीटर से कम नहीं होगी;

तालिका 1

अंत:रोगी विभाग में शैय्या की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकता

| प्रति वर्ष छात्रों की प्रवेश क्षमता (1) | न्यूनतम छात्र शैय्या अनुपात 3:2 आंतरिक रोगी विभाग में की शैय्या की न्यूनतम संख्या। (2) |
|--|---|
| पंद्रह छात्रों तक | दस शैय्या |
| सोलह से तीस छात्रों के लिए | बीस शैय्या |

(सी) स्थान की आवश्यकता – पूर्ण कार्य क्षमता से युक्त अस्पताल विनियम के अनुसूची- I में निर्देशित निर्देशों के अनुसार होगा यथा बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और अंत:रोगी विभाग (आईपीडी), अस्पताल प्रशासन अनुभाग, रिसेप्शन, रोगी का प्रतीक्षा क्षेत्र, ड्रेसिंग रूम, नैदानिक प्रयोगशाला, अस्पताल फार्मसी / या डिस्पेंसरी, रसोई, सेवा कक्ष, चिकित्सा रिकॉर्ड-रूम, डीपीएड सब्योग (बाह्य चिकित्सा और शल्य क्रिया) और लघु ऑपरेशन थिएटर अनुभाग, आपातकालीन कक्ष, स्टोर रूम, डॉक्टरों, नर्सों और पूरी तरह कार्यात्मक अस्पताल के लिए आवश्यक अन्य कर्मचारियों के लिए ड्यूटी रूम आदि;

(डी) बाह्य रोगी विभाग— अस्पताल में कम से कम चार नैदानिक विभाग होंगे, जिनमें अनुसूची-I में उल्लिखित न्यूनतम स्थान और इन विनियमों में अनुसूची-XII के अनुसार उल्लिखित उपकरण होंगे, अर्थात्

- (i) लुस- नद (सामान्य चिकित्सा)
- (ii) च्यद-की-चोस-थब्स (बाह्य चिकित्सा और शल्य)
- (iii) झी-नद-दंग-मोनद सोवा (बाल चिकित्सा और स्त्री रोग)
- (iv) धोन नद-दंग धुग-नद-सोवा (नैदानिक मनोविज्ञान एंड टॉक्सिकोलॉजी);

(ई) अंत:रोगी विभाग:—(i) सभी अस्पताल में अंत:रोगी विभाग में पुरुष और महिला रोगियों के लिए अलग-अलग कक्ष होंगे विनियम की अनुसूची-I में उल्लिखित न्यूनतम स्थान और इन विनियमों में अनुसूची-XII के अनुसार उल्लिखित उपकरणों से युक्त होंगे;

(ii) बाह्य रोगी विभाग—अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग, पुरुष एवं महिला रोगियों को अंत:रोगी विभाग के आवंटित वार्डों में भर्ती करेंगे और समग्र बिस्तरों को क्रमशः 4:3:2:1 के अनुपात में लुस- नद (सामान्य औषध / काय चिकित्सा) च्यद-जोड विभाग (बाह्य चिकित्सा और शल्य) झी-नद-दंग-मोनद सोवा (बाल रोग और नवजात देखभाल) धोन नद-दंग धुग-नद-सोवा (चिकित्सा मनोविज्ञान' एवं विष विज्ञान) विभागों के लिए विभाजित या आवंटित किया जा सकता है।

(एफ) नैदानिक प्रयोगशाला:— (i) अस्पताल में थमल- नद- मेद-दंग-तग-थब्स(रोग प्रतिरोध एवं सोवा -रिग्पा निदान) के तहत नैदानिक निदान और जांच के लिए एक नैदानिक प्रयोगशाला होगी, जिसमें इन नियमों में अनुसूची-I और अनुसूची-XI में निर्दिष्ट पर्याप्त जगह, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ न्यूनतम बुनियादी दिनचर्या, पैथोलॉजिकल, बायोकेमिकल, हेमेटोलॉजिकल जांच और सोवा-रिग्पा नैदानिक निदान विधियों या उपकरणों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जगह होगी;

(ii) सोवा-रिग्पा शिक्षण अस्पताल सही निदान के लिए उच्चतर हेमेटोलॉजिकल, जैव रासायनिक, पैथोलॉजिकल, सोनोग्राफिक और रेडियोलॉजिकल या इमेजिंग जांच के लिए मरीजों को निकटतम मान्यता प्राप्त आधुनिक चिकित्सा अस्पताल या अधिकृत नैदानिक प्रयोगशाला में आवश्यकता अनुसार भेज सकता है।

(जी) बाह्य चिकित्सा और लघु ऑपरेशन थिएटर अनुभाग- शिक्षण अस्पताल में अनुसूची-I में उल्लिखित न्यूनतम स्थान और इन विनियमों में अनुसूची-X में उल्लिखित उपकरणों के साथ चयद-जोड़ विभाग (बाह्य चिकित्सा और शल्य) के तहत लघु ऑपरेशन थिएटर अनुभाग होगा;

(एच) विशेष चिकित्सा सुविधा- खंड (iv) में सूचीबद्ध अनुच्छेद के अंतर्गत बाह्य रोगी विभाग में सभी पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के साथ आवश्यकतानुसार विभाग तक सीमित विषय या बीमारी पर विशेष क्लिनिक स्थापित कर सकते हैं। विशेष क्लिनिक की स्थापना के लिए स्थान इस विनियमन में उल्लिखित शिक्षण अस्पताल के न्यूनतम कुल निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त होना चाहिए।

(आई) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली- प्रत्येक महाविद्यालय या संस्थान के पास अपशिष्ट प्रबंधन पर एक नीति होनी चाहिए साथ में जैव- अपशिष्ट और उसके पृथक्करण कर (प्रयोग और फेकने) के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएँ केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मानकों के अनुरूप होंगी।

(5) महाविद्यालय की आवश्यकताएँ: (ए) सहायक कार्यालय - प्रिंसिपल (प्रधानाचार्य) या डीन (संकाय प्रमुख) या निदेशक और प्रत्येक कार्यालय के पास स्वयं का कंप्यूटर और प्रिंटर (मुद्रण) आदि के सुविधा होगी।

(बी) स्थान की आवश्यकता - कॉलेज प्रशासनिक अनुभाग, व्याख्यान कक्ष या कक्षा कक्ष, सेमिनार या सम्मेलन या परीक्षा या बहुउद्देशीय कक्ष, शिक्षण विभाग और संलग्न प्रयोगशाला या संग्रहालय, शिक्षण फार्मसी और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, केंद्रीय पुस्तकालय, कैंटीन और अनुसूची-II में निर्दिष्ट निर्मित क्षेत्र के विनिर्देश और प्रयोगशाला या संग्रहालय में सुविधाओं को समायोजित करेगा जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची-VII, VIII, IX और अनुसूची-XIII में निर्दिष्ट है।

(सी) शिक्षण अस्पताल और महाविद्यालय में उपकरण, मशीनरी, नमूनों की आवश्यकता:- छात्रों को अनुसूची-VII से अनुसूची-XIII के तहत निर्देशित शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री का उचित प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए, महाविद्यालय के पास में न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत सुविधाएँ होनी चाहिए। शिक्षण विभाग में, शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, विच्छेदन हॉल, पुस्तकालय, फार्मसी, संग्रहालय और महाविद्यालय और अस्पताल की अन्य इकाइयों में आवश्यक उपकरण या मशीनरी आदि उपलब्ध होनी चाहिए।

(डी) नैदानिक कौशल प्रयोगशाला - (i) सोवा-रिग्पा निदान और सोवा-रिग्पा चिकित्सा ज्योतिष के नैदानिक अनुप्रयोग के लिए महाविद्यालय थमल- नद- मेद-दंग-तग- थब्स (रोग प्रतिरोध एवं सोवा -रिग्पा निदान) विभाग के अंतर्गत एक क्लिनिकल स्किल लैब (नैदानिक कौशल प्रयोगशाला) बनाएगा, जिसमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था और प्रदर्शनीय के मॉडल सहित बुनियादी सुविधाएँ होंगी यथा नाड़ी, मूत्र, जीभ, शारीरिक परीक्षण और सोवा-रिग्पा के बुनियादी सिद्धांतों और चिकित्सा ज्योतिष के नैदानिक अनुप्रयोग सहित सोवा-रिग्पा निदान के क्षेत्रों में अपने नैदानिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण या सीखने का अनुभव प्रदान किया जाएगा, जो रोग के पूर्वानुमान और मूल्यांकन के लिए आवश्यक हैं।

(ii) महाविद्यालय या संस्थान नैदानिक कौशल प्रयोगशाला में शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर या पुतले या आभासी वास्तविकता जैसी सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं ताकि छात्रों के नैदानिक कौशल को बढ़ाया जा सके। नैदानिक विभाग छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए इस सुविधा का उपयोग करेंगे।

(ई) भाषा प्रयोगशाला- (i) महाविद्यालय लोगुयस दंग शिसई तदुप (सोवा-रिग्पा का इतिहास और मौलिक सिद्धांत) विभाग के अंतर्गत एक भाषा प्रयोगशाला स्थापित करेगा जो इंटरनेट सुविधा, ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ कंप्यूटर जैसी पर्याप्त सुविधाओं से संपन्न रहेगा।

(ii) भाषा प्रयोगशाला में भाषा को कौशल पूर्वक सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। निष्क्रिय भाषा को कक्षा में सक्रिय ढंग से बोलने-सीखाने पर आधारित होगी।

(iii) इस विभाग में भोटी भाषा के शिक्षक और अन्य शिक्षक छात्रों के साथ संचार, ध्वन्यात्मक और सोवा-रिग्पा चिकित्सा शब्दावली की अभिव्यक्ति में भोटी भाषा कौशल को उन्नत या उन्नत करने के लिए पर्याप्त समय बिताएंगे। प्रभावी प्रशिक्षण के लिए पाठ, चित्र, ऑडियो, वीडियो और आवाज रिकॉर्डिंग को एकीकृत किया जा सकता है।

(एफ) अनुसंधान सुविधा- (i) महाविद्यालय को एक अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत नैतिकता समिति की स्थापना करनी होगी जिससे नवाचार या नव अनुसंधान को गति मिले अनुसंधान, प्रकाशन और आईपीआर (बौद्धिक संपदा अधिकार)

को पर्याप्त सहायता प्रदान करनी होगी और अनुसंधान गतिविधियों को सही दिशा देने हेतु संस्थागत नीति विकसित करनी होगी;

(ii) शिक्षण विभागों को सोवा-रिग्पा के बुनियादी सिद्धांतों, दवाओं, निदान विधियों, आहार, उपचार, चिकित्सीय प्रक्रियाओं, सोवा-रिग्पा चिकित्सा ज्योतिष, नैदानिक मनोविज्ञान, सोवा-रिग्पा के आध्यात्मिक पहलू, तकनीकी नवाचारों जैसे क्षेत्रों में विषय-सम्बंधित लघु अनुसंधान गतिविधियों को करने और शिक्षण संकाय के मार्गदर्शन में शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान करना होगा।

(जी) सह- पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधा - शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन, राष्ट्रीय सेवा योजना, साहसिक क्लब, विज्ञान क्लब, कला क्लब, खेल क्लब, भाषा (भोटी) क्लब, जर्नल क्लब जैसी पाठ्येतर गतिविधियों के संचालन के लिए कॉलेज/संस्थान द्वारा पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(एच) सूचना प्रौद्योगिकी सहयोग और संचार सुविधाएं- (i) महाविद्यालय वैकल्पिक कार्यक्रमों की सुविधा के लिए कम से कम एक सौ एमबीपीएस ब्रॉडबैंड के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जिससे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार, व्याख्यान की वीडियो रिकॉर्डिंग या व्यावहारिक प्रदर्शन के साथ संकाय विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (यदि कोई हो) हेतु ऑनलाइन कार्यक्रम सहित ऑनलाइन शिक्षण या प्रशिक्षण कार्य सुचारू ढंग से चल सके।

(ii) बेहतर सेवाएं उपलब्ध करने तथा महाविद्यालय के विभिन्न वर्गों में आपसी समन्वय तथा रोगी देखभाल प्रदान करने के लिए संलग्न शिक्षण अस्पताल के बीच पर्याप्त संचार नेटवर्क होना चाहिए;

(iii) महाविद्यालय की वेबसाइट, बायोमेट्रिक उपस्थिति, क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन निगरानी के रखरखाव और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की वर्चुअल या हाइब्रिड मोड विजिट या मूल्यांकन प्रक्रिया की सुविधा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का सहयोग लेना सुनिश्चित किया जाएगा।

(आई) चिकित्सा शिक्षा इकाई- (i) संकाय के विकास, गुणवत्ता सुधार के लिए कार्यक्रम आयोजित करना शिक्षण/प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी अनुकूलन प्रदान करने, शिक्षा प्रशासन, पाठ्यक्रम प्रबंधन, सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम आदि आयोजित करने के लिए महाविद्यालय या संस्थान द्वारा चिकित्सा शिक्षा इकाई की स्थापित की जाएगी।

(ii) यूनिट को कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट या वाई-फाई कनेक्टिविटी, मल्टी-मीडिया प्रोजेक्टर, ऑडियो-विजुअल सिस्टम, प्रिंटर, कॉपियर, फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के साथ प्रदान किया जाएगा।

(6) धारा 28 का अनुपालन कर पुरी तरह से स्थापित महाविद्यालय द्वारा अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने की समय-सीमा- धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित मान्यता प्राप्त मौजूदा कॉलेज इन विनियमों में निर्दिष्ट सभी न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं के साथ संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त स्थान के साथ संबंधित शिक्षण विभाग या अनुभाग के तहत तालिका-2 में दिखाए गए निम्नलिखित अनुभागों या इकाइयों को स्थापित या समायोजित करेंगे। इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से ऐसे अनुभाग या इकाइयों को स्थापित करने या समायोजित करने की समय-सीमा तालिका-2 के अनुसार होगी।

तालिका 2

नई अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा

| क्रमांक | प्रस्तावित अनुभाग या इकाई | विभाग या इकाई | अधिसूचना की तारीख इस विनियमन के अनुरूप कार्य संपन्न की समय सीमा। |
|---------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | मौजूदा पुरुष और महिला बाह्य रोगी विभाग के स्थान पर विनियमन 4 के खंड (डी), उप-विनियमन (4) में उल्लिखित चार | 1. लुस- नद (सामान्य औषध / काय चिकित्सा) 2. च्यद-जोड (बाह्य चिकित्सा एवं शल्य) 3. झी-नद- दंग- मोनद (बाल रोग और नवजात देखभाल) | अठारह महीने |

| | | | |
|----|--|---|-----------------------|
| | नैदानिक बाह्य रोगी विभाग | 4. धौन-नद-दंग-धुग-नद (चिकित्सा मनोविज्ञान' एवं विष विज्ञान) | |
| 2 | अनुसूची-X के अनुसार बाहरी चिकित्सा अनुभाग | चयद-जोड (बाह्य चिकित्सा एवं शल्य) अस्पताल में | बारह महीने |
| 3 | शिक्षण विभाग अनुसूची-II के 'V' विनियम के अनुसार | महाविद्यालय | अधिसूचना के तुरंत बाद |
| 4 | विनियमन 4 के तहत खंड (डी) उप-विनियमन (5) के अनुसार नैदानिक कौशल प्रयोगशाला | थमल- नद- मेद-दंग-तग- थब्स (रोग प्रतिरोध एवं सोवा -रिग्पा निदान) | बारह महीने |
| 5 | विनियमन 4 के तहत खंड (ई) उप-विनियमन (5) के अनुसार भाषा प्रयोगशाला | लोगुय्स दंग शिसई तदुप विभाग (सोवा-रिग्पा का इतिहास और मौलिक सिद्धांत) | बारह महीने |
| 6 | खंड (i) विनियमन 4 के तहत उप-विनियमन (5) के अनुसार चिकित्सा शिक्षा इकाई | महाविद्यालय | बारह महीने |
| 7 | एनाटॉमी संग्रहालय अनुसूची-VII के अनुसार | डूपा- लूस (मानव शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान) | बारह महीने |
| 8 | मटेरिया मेडिका प्रैक्टिकल प्रयोगशाला और संग्रहालय क्रमशः अनुसूची-IX और XIII के अनुसार | मेज़स-दंग-स्मन-जोर विभाग (औषधि विवरणी औषध शास्त्र एवं भैषज्य विभाग) | बारह महीने |
| 9 | अनुसूची VIII के अनुसार पैथोलॉजी प्रैक्टिकल प्रयोगशाला | थमल- नद- मेद-दंग-तग- थब्स (रोग प्रतिरोध एवं सोवा -रिग्पा निदान) | बारह महीने |
| 10 | विनियमन 4 के तहत उप-विनियमन (5) खंड (एच) के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी सहायता और संचार सुविधाएं | महाविद्यालय और अस्पताल | अधिसूचना के तुरंत बाद |

[टिप्पणी: *2022-2023 सत्र के लिए आवेदन कर प्रवेशित छात्रों हेतु; आगामी और पिछले बैचों के लिए- पाठ्यक्रम, सिद्धांत, व्यावहारिक अध्ययन इत्यादि विनियम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (पूर्व स्नातक सोवा-रिग्पा चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2017 या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकीय सोवा रिग्पा महाविद्यालयों और संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक की अपेक्षाएं) विनियम, 2017 के अनुसार सोवा-रिग्पा महाविद्यालयों से सम्बद्ध अस्पतालों में अध्ययन के लिए शिक्षण विभाग द्वारा - पाठ्यक्रम, सिद्धांत, व्यावहारिक अध्ययन इत्यादि।

5. मानव संसाधन- (1) संलग्न शिक्षण अस्पताल में न्यूनतम कर्मचारी अनुसूची-IV में निर्दिष्ट विनियम के अनुसार होंगे।

(2) संकाय सदस्य - अनुसूची-V में निर्दिष्ट विनियम के अनुसार संकाय सदस्य पूर्णकालिक और नियमित आधार पर महाविद्यालय की न्यूनतम आवश्यकता अनुरूप नियुक्त किये जायेंगे।

(3) गैर-शिक्षण (तकनीकी और अन्य) कर्मचारी - अनुसूची-VI में निर्दिष्ट विनियम के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता अनुसार तकनीकी और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया जायेगा।

(4) सोवा-रिग्पा संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल या निदेशक या डीन) को निर्दिष्ट अवधि के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा संचालित किये जाने वाले अभिविन्यास कार्यक्रम में शामिल होना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्थान के प्रमुख के पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति - संस्था का प्रमुख अपने संस्थान के संकाय सदस्य को आयोग या उसके स्वायत्त बोर्डों द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने या उसके द्वारा आयोजित आधिकारिक बैठकों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों या अभिविन्यास

कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजेगा तथा ऐसे मामलों में, यात्रा के दिनों के साथ-साथ आयोग के आधिकारिक संचार में निर्दिष्ट कर्तव्य दिनों के लिए ऑन-ड्यूटी छुट्टी को मंजूरी दी जाएगी।

6. कार्यरत महाविद्यालय सम्बद्ध अस्पताल क्षमता अनुरूप: न्यूनतम आवश्यक मानक कॉलेज और संलग्न शिक्षण अस्पताल की कार्यक्षमता- (1) विस्तर अधिभोग और बाह्य रोगी विभाग की उपस्थिति - छात्रों की संख्या और शैय्या का अनुपात 3:2 होगा। न्यूनतम तीस प्रतिशत मरीज भर्ती होना चाहिए। और बाह्य विभाग में पंजीकृत रोगी का अनुपात स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 1:2 तालिका-3 के अनुसार होगा:

तालिका 3

अंत:रोगी विभाग में न्यूनतम विस्तर अधिभोग और बाह्य रोगी विभागों में रोगी की उपस्थिति

| प्रति वर्ष छात्र प्रवेश क्षमता | शैय्या संख्या छात्र - शैय्या अनुपात (3:2) | तिथि पत्रानुसार पिछले एक वर्ष के दौरान अंत:रोगी विभाग में प्रतिदिन औसत न्यूनतम रोगियों की औसत संख्या (तीन सौ पैसठ दिन) (30% प्रतिशत. शैय्या पर भर्ती) | तिथि पत्रानुसार न्यूनतम प्रतिदिन बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की प्रतिदिन औसत संख्या (तीन सौ दिन) (1:2 रोगी छात्र अनुपात) |
|--------------------------------|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| पंद्रह विद्यार्थी तक | दस | तीन | तीस |
| सोलह से तीस विद्यार्थी तक | बीस | छः | साठ |

भर्ती मरीजों के संख्या की गणना करने के लिए, महाविद्यालय प्रत्येक रोगी के भर्ती होने और छुट्टी होने की तारीख और समय का आकड़ा रखेगा। यदि किसी मरीज को मध्य रात्रि में भर्ती या शैय्या उपलब्ध कराया जाता है तो उसे को एक दिन के रूप में गिना जाएगा और यदि किसी मरीज को आधी रात से पहले छुट्टी दे दी जाती है तो उसे 0.5 दिन के रूप में गिना जाएगा। भर्ती की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र लागू होगा-

शैय्या पर भर्ती के दिनों की संख्या X100

शैय्या की संख्या X दिनों की संख्या

(2) सोवा-रिग्पा अस्पताल को विनियम खंड 4 के (4), और विनियम 6 के उप-विनियम (1) के तहत निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने हेतु। महाविद्यालय और अस्पताल को बाह्य-रोगी विभाग और अंत:रोगी विभाग में रोगियों के अभिलेख सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय कम्प्यूटरीकृत और विभागीय पंजीकरण प्रणाली विकसित करना होगा जिसमें बाह्य-रोगी विभाग और अंत:रोगी विभाग के अभिलेख या पंजिका, बाह्य-रोगी विभाग और अंत:रोगी विभाग के मरीजों के समस्त के कागजात, प्रयोगशाला और रेडियोलॉजिकल जांच पंजिका, च्यद-जोड (बाह्य चिकित्सा और शल्य), लघु शल्य अनुभाग की पंजिका, दवा वितरण पंजिका, औषधालय पंजिका, औषधालय मांग पंजिका, या आपूर्ति आदेश पंजिका,, आंतरिक रोगी विभाग के मरीजों के लिए आहार पंजिका, अस्पताल के कर्मचारियों की कार्य सूची, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि बनाने सुविधा उपलब्ध करना ताकी सोवा-रिग्पा महाविद्यालय- अस्पताल उपयोगी बन सके।

(3) महाविद्यालय परिषद्- (ए) प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा संस्थान में एक महाविद्यालय परिषद् होगी जिसमें विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक सदस्य और प्रिंसिपल या डीन या निदेशक अध्यक्ष होंगे।

(बी) महाविद्यालय परिषद् को विभिन्न वार्षिक योजनाओं हेतु एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करनी होगी जिसमें, प्रतिष्ठान का बजट, विकास, शैक्षणिक मानकों के रखरखाव, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुशासन के प्रवर्तन, अन्य शैक्षणिक मामलों, सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों को संचालित करने पर विचार किया जाये।

(सी) महाविद्यालय परिषद् नियमित रूप से संस्थान में अंतर विभागीय बैठक, रोगी आधारित परिचर्चा, उपलब्ध आकड़ों पर बैठक, अनुसंधान समीक्षा, और नैदानिक बैठक आदि हेतु बैठकें आयोजित करेगी।

(4) महाविद्यालय वेबसाइट - प्रत्येक महाविद्यालय या संस्थान की अपनी वेबसाइट होगी जिसमें हर महीने के पहले सप्ताह में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने होंगे—

(ए) प्रिंसिपल या डीन या निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक का विवरण जिसमें उनका नाम, उम्र, फोटो, राज्य या राष्ट्रीय पंजीकरण संख्या, शैक्षणिक योग्यता, कार्यभार ग्रहण तिथि, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी के साथ आवासीय पता शामिल है।

(बी) संकाय सदस्य का विवरण, उनकी तस्वीर, पदनाम, शिक्षण विभाग, शैक्षणिक योग्यता, अद्वितीय शिक्षक कोड, राज्य या राष्ट्रीय पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, पिछले संस्थानों के नाम के साथ कुल शिक्षण अनुभव (यदि कोई हो), कार्यभार ग्रहण तिथि, स्थायी पता, संपर्क नंबर और ई-मेल आईडी महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा।

(सी) महाविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अस्पताल के कर्मचारियों का विवरण उनकी स्थिति, शैक्षणिक योग्यता और विभाग या इकाई या अनुभाग के साथ।

(डी) स्नातक कार्यक्रम की स्वीकृत प्रवेश क्षमता का विवरण।

(ई) वर्तमान और पिछले वर्ष के लिए प्रवेशित छात्रों की सूची योग्यता, श्रेणी के अनुसार।

(एफ) विगत एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।

(जी) संस्थान द्वारा संचालित सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रमों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि का विवरण।

(एच) छात्रों या संकाय द्वारा प्राप्त पुरस्कार और उपलब्धि (यदि कोई हो) का विवरण।

(आई) संबद्ध विश्वविद्यालय और उसके कुलपति और रजिस्ट्रार का विवरण उनके संपर्क विवरण के साथ।

(जे) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं के परिणाम।

(के) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता या अनुमति की विस्तृत स्थिति (अनुमति पत्र और कॉलेज/संस्थान की वर्तमान अनुमति की स्थिति)।

(एल) अस्पताल में नैदानिक सामग्री या सुविधाओं या विशिष्टताओं सहित विवरण।

(एम) महाविद्यालय की वेबसाइट को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट के साथ जोड़ा जाएगा, जिसे बाद में आयुष मंत्रालय की वेबसाइट से भी जोड़ा जाएगा।

(एन) बाह्य रोगी विभाग और अंतःरोगी विभाग में शिक्षण, गैर-शिक्षण महाविद्यालयकर्मचारी, अस्पताल कर्मचारी, छात्रों, प्रशिक्षुओं और रोगियों की उपस्थिति का विवरण मासिक रूप से महाविद्यालयकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(ओ) वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए शैक्षणिक तिथि पत्रिका।

(5) बायोमेट्रिक (जैवमिति) उपस्थिति— भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण महाविद्यालय कर्मचारियों और अस्पताल कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होगी।

(6) संस्थागत शैक्षणिक समिति (आईएसी) – (ए) प्रत्येक महाविद्यालय एक संस्थागत शैक्षणिक समिति की स्थापना करेगा जिसमें महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग से एक वरिष्ठ संकाय, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक को सदस्य के रूप में और महाविद्यालय या संस्थान के प्रमुख को अध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाएगा।

(बी) यह समिति महाविद्यालय की शैक्षणिक और नैदानिक गतिविधियों की योजना बनाने या समीक्षा करने के लिए जब भी आवश्यक हो बैठके आयोजित करेगा और यह सुनिश्चित करेगी कि समस्त कार्य यथा व्यावहारिक और नैदानिक प्रशिक्षण, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन आदि सहित व्याख्यान, गैर-व्याख्यान कक्षाएं आदि समय-सारणी या शैक्षणिक या परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएं।

(सी) यह समिति महाविद्यालय की शैक्षणिक पाठ्य क्रम एवं पढाई से अलग भी समस्त गतिविधियों निरीक्षण कर उसकी जानकारी उपलब्ध करायेगी।

(7) छात्र मार्गदर्शन एवं सहायता कक्ष (एसएसजीसी): प्रत्येक महाविद्यालयमें एक छात्र मार्गदर्शन और सहायता कक्ष होगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को उनके शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यक्तिगत विकास में सहयोग प्रेरणा और प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित सेवाएं छात्र सहायता और मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के दायरे में आती हैं:

(ए) आवश्यकता पड़ने पर एक छात्र के समग्र विकास के लिए उसे शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक, शारीरिक स्वास्थ्य और प्रजनन सम्बंधित आदि समस्याओं पर व्यक्तिगत परामर्श प्रदान करना;

(बी) नवीन स्तर के छात्रों को आत्मविश्वासी और सक्षम बनने के लिए और उनके स्नातक कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशिष्ट देखभाल दी जाएगी;

(सी) महाविद्यालय संबद्ध विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्र सहायता और मार्गदर्शन इकाई का गठन करेगा और जहां ऐसे दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, वहां महाविद्यालय या संस्थान निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा:

(i) संयोजक (एक वरिष्ठ संकाय सदस्य);

(ii) प्रथम व्यवसायिक स्नातक सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी के सभी संकाय सदस्य;

(iii) सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी के दूसरे और तीसरे (अंतिम) व्यवसायिक प्रत्येक से एक संकाय;

(iv) प्रत्येक बैच (वर्ग) से दो छात्र प्रतिनिधि (एक पुरुष और एक महिला);

(डी) छात्र सहायता मार्गदर्शन इकाई छात्रों की वास्तविक शिकायतों के कारण की जांच करेगा; और

(ई) शिकायतों की गंभीरता या योग्यता के आधार पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगा तथा महाविद्यालय या संस्थान द्वारा परिभाषित नीति के आधार पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगा;

(एफ) छात्र सहायता मार्गदर्शन सेल उच्च शिक्षा और उनके नियोजन के लिए विभिन्न अवसरों की पहचान करेगा और तदनुसार छात्रों को सलाह देगा। यह इकाई छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और साक्षात्कार का सामना करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।

(8) विद्यार्थी परिषद— (ए) विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय या संस्थान के संपूर्ण छात्र समुदाय का प्रतिनिधि निकाय है।

(बी) विद्यार्थी परिषद महत्वाकांक्षी, मेहनती और समर्पित छात्र नेताओं का एक समूह होगा जो महाविद्यालयके विभिन्न कार्यक्रमों में सहयोग एवं सहभागिता के साथ उत्सव, चिकित्सा शिविरों, सोवा-रिग्पा प्रचार की गतिविधियों का संचालन करने और छात्र-संकाय-सामुदायिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए संकाय सलाहकार के साथ मिलकर काम करेगा।

(सी) विद्यार्थी परिषद के लिए संकाय सलाहकार संस्था के प्रमुख द्वारा नामित एक वरिष्ठ संकाय सदस्य हो सकता है।

(डी) विद्यार्थी परिषद की संरचना इस प्रकार होगी—

(i) अध्यक्ष;

(ii) सचिव;

(iii) सदस्य (प्रत्येक व्यावसायिक समूह से एक प्रतिनिधि)।

(ई) विद्यार्थी परिषद के कार्यकारी सदस्यों का चयन या नामांकन छात्रों द्वारा स्वयं एक वर्ष के कार्यकाल के लिए या सम्बंधित महाविद्यालय या संस्थान की मौजूदा नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

खंड- IV

अधिनियम की धारा 29 के तहत नवीन सोवा-रिग्पा स्नातक चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान खोलने के लिए और संचालित सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान को सीटों या प्रवेश क्षमता की संख्या में वृद्धि करने के लिए आवश्यक मानक

7. (1) कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 29 के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना एक नया सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित नहीं करेगा या मौजूदा स्नातक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा;

(2) कोई भी व्यक्ति (सोसायटी या न्यास या विश्वविद्यालय या कोई अन्य निकाय लेकिन जिसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है) एक नया सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान स्थापित करने या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मौजूदा पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या, छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता बढ़ाने का इरादा रखता है, वह विनियम 8 से 13 में उल्लिखित मानदंडों और विनियमन 8 और अनुलग्नक-1 और II में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक योजना या आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें विनिर्दिष्ट आवेदन शुल्क के साथ और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड।

8. योजना हेतु आवेदन प्रपत्र:-(1) कोई भी व्यक्ति (आवेदक) जो एक नया सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान स्थापित करना चाहता है, उसे समय-समय पर संशोधित प्रपत्र - 1 (अनुलग्नक -1) में ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से समस्त अभिलेखों, विवरणों और संलग्नकों के साथ विनियमन में उल्लिखित गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा;

(2) कोई भी सोवा-रिग्पा चिकित्सा कॉलेज या महाविद्यालय, जो - भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है यदि उसे प्रवेश संख्या बढ़ानी हो, समय-समय पर संशोधित प्रपत्र -2 (अनुलग्नक-2) में ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से इस विनियमन में उल्लिखित अभिलेखों या विवरणों या संलग्नकों और गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क के साथ आवेदन जमा करेगा;

(3) सामान्य निर्देश:-(ए) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा घोषित की जाएगी तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी;

(बी) किसी भी मामले में अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा;

(सी) अंतिम तिथि के बाद आवेदन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसे मामले में आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा;

(डी) स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का कोई भी अभिलेख हिंदी या अंग्रेजी की प्रतिलिपि में प्रस्तुत किया जाएगा;

(ई) यह समझा जाता है कि आवेदन जमा करने से पहले, आवेदक ने अधिनियम और उससे सम्बंधित सभी नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है।

9. प्राधिकरण जिसके पास योजनाएं या आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे- इस तरह के आवेदन या प्रस्ताव, जैसा कि विनियम 8 के तहत उल्लिखित है, समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्देशित अवधि के भीतर, अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

10. आवेदन करने के लिए पात्रता:-(1) नया सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान स्थापित करने के लिए आवेदन: विनियम 8 (प्रपत्र -1) के उप-विनियम (1) के तहत आवेदन करने के लिए, कोई व्यक्ति या आवेदक योग्य होगा यदि, -

(ए) नए सोवा-रिग्पा स्नातक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन इस विनियमन में निर्दिष्ट प्रवेश क्षमता के अनुसार होगा;

(बी) आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करने के समय, सोवा-रिग्पा अस्पताल पंजीकरण के बाद कम से कम एक वर्ष से कार्यरत हो।

(सी) अस्पताल के लिए उचित पंजीकरण होना अनिवार्य है और यह अस्पताल की स्थापना और संचालन के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण की सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और ऐसी अनुमति या मंजूरी की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(डी) यह प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा कि आवेदक का एक उद्देश्य सोवा-रिग्पा चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना है।

(ई) यह प्रमाणित करने के लिए अभिलेख प्रस्तुत करना होगा कि भूमि महाविद्यालय के स्वामित्व में है या महाविद्यालय के नाम तीस साल की अवधि के लिए या सम्बंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के नियमों या विनियमों के अनुसार उक्त अवधि से अधिक के लिए पट्टे पर होगी और पट्टे की समाप्ति पर नवीनीकरण भी हो सकता है; और

(i) पन्द्रह सीटों तक प्रवेश क्षमता तक के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए कम से कम एक एकड़ और मैदानी क्षेत्र के लिए दो एकड़;

(ii) सोलह से तीस सीटों तक की प्रवेश क्षमता के लिए, भूमि पहाड़ी क्षेत्र के लिए डेढ़ एकड़ और मैदानी क्षेत्र के लिए कम से कम तीन एकड़ और यदि जमीन दो टुकड़ों में हो तो उनमें पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए और भूखंड, यदि सड़क या नहर या नाले से अलग है लेकिन पुल से जुड़ा हुआ है, तो उसे भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा;

(एफ) प्रस्तावित स्थल पर एक नया सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए सम्बंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार से प्रपत्र -4 (अनुलग्नक-IV) के अनुसार 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' को अनिवार्य रूप से पत्र प्रस्तुत करना होगा;

(जी) किसी भी केंद्रीय या राज्य कानून के तहत स्थापित विश्वविद्यालय में एक नये सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रपत्र -5 (अनुलग्नक-V) में 'संबद्धता की सहमति' प्रस्तुत करना होगा;

(एच) एक उपक्रम प्रस्तुत करता है जो सोवा-रिग्पा में एक अस्पताल का स्वामित्व और प्रबंधन करता है और इन विनियमों में निर्धारित चरणबद्ध तरीके से (चरणबद्ध प्रतिष्ठानों और नए कॉलेजों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं) बुनियादी ढांचे और श्रमशक्ति स्थापित करने की स्थिति में है;

(आई) वह एक वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि, छात्रों का चयन या प्रवेश सख्ती से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा - सोवा-रिग्पा स्नातक कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, जैसा कि स्नातक सोवा-रिग्पा शिक्षा विनियम, 2022 के न्यूनतम मानकों में निर्दिष्ट है और प्रवेश की अधिकतम संख्या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं होगी;

(जे) वह एक वचन देता है कि, पाठ्यक्रमों के नामकरण और संकाय सदस्य की आवश्यकताओं को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सोवा-रिग्पा शिक्षा का न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 के न्यूनतम निर्धारित मानकों का अनुपालन करेगा;

(के) वह एक वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि प्रस्तावित सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालय के किसी भी कक्षा पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में पहले से ही छात्र को प्रवेश नहीं दिया है;

(एल) वह एक वचन पत्र प्रस्तुत करता है, जो " भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि, नई दिल्ली" के पक्ष में पांच साल की अवधि के लिए वैध सुरक्षा धन राशि प्रस्तुत करने की स्थिति में है; भुगतान की जाने वाली राशि निम्नानुसार है:-

(i) पंद्रह सीटों तक के नए सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए- पच्चीस लाख रुपये;

(ii) सोलह से तीस सीटों के बीच नए सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए - पचास लाख रुपये:

परन्तु यह नियम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शासित महाविद्यालय पर लागू नहीं होगा, यदि वे अपने योजना बजट में उनके द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध होने तक धनराशि उपलब्ध कराने का वचन देते हैं।

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मौजूदा स्नातक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन: विनियमन 8 (फॉर्म-2) के उप-विनियमन (2) के तहत आवेदन करने के लिए, एक सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज पात्र होगा यदि,

(ए) सीटों की संख्या या प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता बढ़ाने की अनुमति के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से फॉर्म-4 (अनुलग्नक-IV) में 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' या 'अनिवार्यता प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करता है;

(बी) प्रवेश संख्या बढ़ाने के लिए प्रपत्र -5 (अनुलग्नक-V) में किसी केंद्रीय या राज्य कानून के तहत स्थापित विश्वविद्यालय से 'संबद्धता की सहमति' प्रस्तुत करना होगा।

(सी) वह एक वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित सम्बंधित नियमों के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, कर्मचारियों, स्थान, उपकरण और अन्य मूलभूत संरचना के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम है;

(डी) यह प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है कि सोवा-रिग्पा में स्नातक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त कॉलेज और पहली अनुमति के बाद स्नातक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम के मामले में कम से कम चार साल और छह महीने पूरे किए:

बशर्ते उसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व या प्रबंधन वाले महाविद्यालय या संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड में निर्दिष्ट मापदंडों से छूट मिली हो;

(ई) एक वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि, छात्रों का चयन या प्रवेश कड़ाई से काउंसलिंग के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा - सोवा-रिग्पा स्नातक कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सोवा-रिग्पा शिक्षा का न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 निर्दिष्ट है;

(एफ) एक वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि संकाय सदस्य और छात्रों का अनुपात निर्धारित विनियमों के अनुसार बनाए रखा जाएगा;

(जी) एक वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि प्रवेश की अधिकतम संख्या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रवेश क्षमता स्वीकृति से अधिक नहीं होगी;

(एच) एक उपक्रम प्रस्तुत करता है जो इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से छात्र प्रवेश क्षमता के संबंध में बुनियादी ढांचे और मानव शक्ति स्थापित करने की स्थिति में हो;

(आई) एक वचन पत्र प्रस्तुत करता है कि, वह " भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि, नई दिल्ली" के पक्ष में पांच साल के लिए निश्चित सुरक्षा धन राशि का भुगतान करने की स्थिति में है।

भुगतान की जाने वाली राशि निम्नानुसार है, -

छात्र प्रवेश क्षमता को 'पंद्रह तक' स्लैब से 'सोलह से तीस' स्लैब तक बढ़ाने के लिए सुरक्षा जमा राशि बारह लाख पचास हजार रुपये है; बशर्ते कि यह राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा शासित महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगा, यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से धन प्रदान करने का वचन देते हैं जब तक कि उनके द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह से प्रदान नहीं की जाती हैं।

11. आवेदन के साथ जमा किया जाने वाला शुल्क – विनियम 8 के तहत उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों या संलग्नकों के साथ एक आवेदन निम्नलिखित गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क के साथ जमा किया जाएगा,-

(1) एक नया स्नातक सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए- दो लाख पचास हजार रुपये।

(2) मौजूदा स्नातक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए- एक लाख पच्चीस हजार रुपये।

गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन भुगतान (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या वास्तविक समय सकल निपटान) के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि" के पक्ष में निर्दिष्ट किया गया है लागू करें सहित।

12. अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अनुमति एवं मूल्यांकन :- (1) एक नया चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान स्थापित करने और प्रवेश संख्या बढ़ाने के लिए आवेदन या योजना का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर सीटों / प्रवेश क्षमता की संख्या बढ़ाने के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड निम्नलिखित के आधार पर आवेदन की जांच करेगा,-

(ए) पात्रता मापदंड;

(बी) आवेदन शुल्क;

(सी) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार या प्रशासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनिवार्यता प्रमाण पत्र;

(डी) विश्वविद्यालय की संबद्धता से सहमति पत्र; और

(ई) महाविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेख, शपथ पत्र, अन्य आवश्यक संलग्नक नियम के अनुरूप जो कि अनुलग्नक I और II में सूचीबद्ध है।

(2) इस विनियम में निर्दिष्ट अनिवार्य अभिलेखों के आभाव या अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदक को वापस कर दिया जाएगा; हालाँकि, इस तरह की अस्वीकृति से पहले, आवेदक को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा उल्लिखित समय अवधि के भीतर कमियों को सुधारने का अवसर दिया जाएगा;

(3) यदि जांच के बाद आवेदन को स्वीकार योग्य माना जाता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड महाविद्यालय का निरीक्षण करेगा या दौरा करेगा (भौतिक या आभासी या हाइब्रिड मोड या जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा तय किया गया है) और यदि आवेदक महाविद्यालय को विनियम 10 में निर्दिष्ट अर्हता में योग्य पाया जाता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड आशय पत्र या स्वीकृति पत्र जारी करेगा।

(4) आशय पत्र जारी करने के बाद, कॉलेज या संस्थान द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड फिर से कॉलेज या संस्थान का निरीक्षण या दौरा करेगा और शिक्षण या प्रशिक्षण या अनुसंधान की न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे, सुविधा, शिक्षण संकाय, मानव संसाधन के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं के अनुपालन या पूर्ति, स्थापना के पहले चरण के लिए निर्दिष्ट कार्यक्षमता और अन्य आवश्यकताएं (जैसा कि नए कॉलेजों के लिए इन विनियमों में विनियमन 13 के उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट है) या छात्र प्रवेश क्षमता और आशय पत्र की अन्य शर्तों के अनुसार आवश्यकताएं; का सत्यापन करेगा और तदनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड ऐसी योजना या प्रस्ताव या आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर आवेदन या योजना या प्रस्ताव को मंजूरी (अनुमति पत्र) या अस्वीकृत (अनुमति से इनकार) करने का आदेश जारी करेगा।

बशर्ते कि ऐसे योग्य आवेदन या योजना को अस्वीकार करने से पहले, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा व्यक्ति या आवेदक को दोषों को सुधारने का अवसर दिया जाएगा।

(5) आवेदन जमा करने के बाद यदि अनुमति अस्वीकार कर दी जाती है या आवेदन जमा करने के छह महीने के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो पीड़ित आवेदक इस तरह के इनकार के पंद्रह दिनों के भीतर आयोग को पहली अपील निर्दिष्ट शुल्क और सभी विवरणों के साथ (आयोग द्वारा निर्दिष्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन) के माध्यम से जैसा पसंद करे कर सकता है।

(6) अपील प्राप्त होने पर, आयोग अपील की जांच करेगा और आवेदक को आयोग के निर्णय के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(7) सुनवाई के बाद, यदि आयोग को पता चलता है कि आवेदक इस विनियमन में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो आयोग आवेदन पर विचार करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को निर्देश दे सकता है; यदि आवेदक न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, तो आयोग उस आवेदन को अस्वीकार कर देगा। आयोग अपील दायर करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को इस तरह के निर्णय से अवगत करा देगा।

(8) जहां आयोग ने आवेदन या प्रस्ताव या योजना को अस्वीकार या अस्वीकृत कर दिया है या उप-विनियमन (5) के तहत पहली अपील करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तो पीड़ित आवेदक या व्यक्ति ऐसे इनकार या अस्वीकृति या पंद्रह दिनों की निर्दिष्ट अवधि के अंतराल के संचार के सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार (आयुष मंत्रालय) को दूसरी अपील कर सकता है।

(9) धारा 29 के तहत मान्यता प्राप्त नव स्थापित महाविद्यालय की अनुमति का नवीनीकरण (ए) अनुमति पत्र के बाद, उस महाविद्यालय या संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह हर साल 31 दिसंबर से पहले सभी अभिलेखों और अनुपालन प्रपत्र के साथ आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों का भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से प्रवेश लेने की अनुमति के लिए, नवीनीकरण के लिए आवेदन करे और समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा और प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये, परिदर्शन हेतु यथा निर्दिष्ट प्रोफार्मा में वार्षिक कार्यन्वयन की सूचना प्रस्तुत करे।

(बी) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा एक नया चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान स्थापित करने के लिए दी गई अनुमति पत्र एक वर्ष के लिए वैध होगा और इसका वार्षिक आधार पर नवीनीकरण किया जाएगा (यानी, पहला नवीनीकरण, दूसरा नवीनीकरण और तीसरा नवीनीकरण) जब तक कि कॉलेज या संस्थान को

अधिनियम की धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित संस्थान के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, और विवरण तालिका-4 में दिखाया गया है।

(सी) पहला नवीनीकरण: महाविद्यालय स्थापना के दूसरे चरण के लिए इस विनियमन में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट (विनियम 13 के उप-विनियम (2) के अनुसार) हर साल 31 दिसंबर को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा और समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा और प्रक्रिया के अनुसार परिदर्शन हेतु यथा निर्दिष्ट प्रोफार्मा में वार्षिक कार्यन्वयन की सूचना प्रस्तुत करे।

(डी) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट, यात्रा प्रारूप और दस्तावेजों और आगंतुकों द्वारा प्रस्तुत अवलोकन रिपोर्ट का निरीक्षण या दौरा करेगा या जांच करेगा। स्थापना के दूसरे चरण (विनियमन 13 के उप-विनियमन (2) के अनुसार) के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं और वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड आगामी या अगले शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों के दूसरे बैच को प्रवेश देने के लिए विनियमन 15 में उल्लिखित 30 जून को या उससे पहले अनुमति का नवीनीकरण (पहला नवीनीकरण) जारी करेगा।

(ई) उपरोक्त खंड (ग) और (घ) में उल्लिखित विधि का अनुसरण अनुमति के दूसरे और तीसरे नवीकरण (क्रमशः प्रतिष्ठानों के तीसरे और अंतिम चरण की पूर्ति के लिए) के लिए किया जाएगा ताकि छात्रों के क्रमशः तीसरे और चौथे बैच को प्रवेश दिया जा सके जैसा कि तालिका-4 में दिखाया गया है।

(एफ) आगामी वर्षों में अनुमति के तीसरे नवीनीकरण के बाद, संस्थान को अधिनियम की धारा 28 के अनुसार पूर्ण रूप से स्थापित कॉलेज या संस्थान माना जाएगा, और तालिका-4 के अनुसार श्रेणीकरण के लिए अधिकारी होगा;

(जी) तीसरे नवीनीकरण के बाद, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड पूरी तरह से स्थापित मौजूदा महाविद्यालयों को अनुमति देने के लिए विनियमन 3 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार हर साल स्वतः संज्ञान लेते हुए कॉलेज या संस्थान का दौरा करेगा, या अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित नियमों के अनुसार इनकार करेगा।

(एच) धारा 29 के तहत संस्थान की स्थापना के किसी भी चरण में न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा न करने और वार्षिक लक्ष्य प्राप्त नहीं करने की स्थिति में भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड नवीनीकरण से इनकार कर देगा। अनुमति के नवीनीकरण से इनकार करने से पूर्व, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड आवेदक कॉलेज को कमियों के बारे में बताएगा और उन्हें कमियों को सुधारने का अवसर प्रदान करेगा। यदि उसके बाद भी कॉलेज या संस्थान को अनुमति के नवीनीकरण यदि कॉलेज या संस्थान को अनुमति के नवीनीकरण से इनकार कर दिया जाता है, तो कॉलेज या संस्थान आगामी या अगले शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।

(आई) विनियम 3 के उप-विनियम (2) में उल्लिखित एक वर्ष की सशर्त अनुमति नए कॉलेजों यानी संस्थान या प्रतिष्ठान के तहत कॉलेज (धारा 29 के तहत चरणबद्ध स्थापना प्रक्रिया से गुजर रहे) के लिए लागू नहीं होगी और केवल पूरी तरह से स्थापित कॉलेज या संस्थान के लिए लागू होगी।

तालिका 4

आशय पत्र, अनुमति पत्र, अनुमति के नवीनीकरण और नए सोवा-रिग्पा कॉलेजों या संस्थानों की श्रेणी का विवरण

| क्रमांक | भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 के तहत धारा | अनुमति एवं अनुमति का नवीनीकरण | वर्ग | बैच (समूह) |
|---------|--|-------------------------------|---|--|
| 1 | 29 | आशय का पत्र | विचाराधीन संस्थान | -- |
| 2 | | मान्यता पत्र | मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान (स्थापना के पहले चरण का समापन) | विद्यार्थियों के प्रथम बैच को प्रवेश की अनुमति |
| 3 | | (प्रथम) अनुमति का नवीनीकरण | मान्यता प्राप्त स्थापित संस्थान (स्थापना के दूसरे चरण का | विद्यार्थियों के द्वितीय बैच को प्रवेश की अनुमति |

| | | | | |
|---|----|------------------------------|--|--|
| | | | समापन) | |
| 4 | | (द्वितीय) अनुमति का नवीनीकरण | मान्यता प्राप्त स्थापित संस्थान (स्थापना के तृतीय चरण का समापन) | विद्यार्थियों के तृतीय बैच को प्रवेश की अनुमति |
| 5 | | (तृतीय) अनुमति का नवीनीकरण | मान्यता प्राप्त स्थापित संस्थान (स्थापना के चौथे या अंतिम चरण का समापन) | विद्यार्थियों के चौथे बैच को प्रवेश की अनुमति |
| 6 | 28 | अनुमति विस्तार | पूरी तरह से स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान रेटिंग (श्रेणीकरण) के योग्य है | विद्यार्थियों के पांचवें बैच को प्रवेश की अनुमति |

(10) नवीन कॉलेज या संस्थान की स्थापना के संबंध में आशय पत्र, अनुमति पत्र, अनुमति के नवीकरण पत्र जारी करने और सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन के माध्यम से नीचे दिए पते पर सभी लागू करों के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि' नई दिल्ली के पक्ष में करना होगा।

(i) निरीक्षण शुल्क: एक लाख रुपये (प्रति निरीक्षण)

(ii) डिजिटलीकरण शुल्क: तीस हजार रुपये (प्रति निरीक्षण)।

13. नए कॉलेजों या संस्थानों की चरण-वार स्थापना और न्यूनतम आवश्यक मानकों की आवश्यकताएं:- अधिनियम की धारा 29 के तहत मेनपा कचुपा (बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी) पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्राप्त वाले सोवा-रिग्पा महाविद्यालय को मूलभूत संरचना, सुविधाएं और जनशक्ति को आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पूरा करना होगा, अर्थात्:

(1) छात्रों के पहले बैच के प्रवेश से पहले, महाविद्यालय पहले चरण में न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अर्थात् – (ए) आवेदन जमा करते समय, विनियमन 4 के उप-विनियमन (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रस्तावित भूमि में एक पूरी तरह से विकसित अस्पताल भवन होगा, जिसमें पूरी तरह से कार्यशील और पंजीकृत सोवा-रिग्पा अस्पताल होगा, जो विनियमन 10 के उप-विनियमन (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट आवेदन की तारीख से कम से कम एक साल पहले मौजूद होगा। विनियम 4 के तहत उप-विनियमन (4) के खंड (बी) और विनियम 6 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्रों की प्रवेश क्षमता के अनुरूप शैय्याओं की उचित संख्या, शैय्या अधिभोग और बाह्य रोगी उपस्थिति।

(बी) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सोवा-रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक), विनियम 2022 में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता के साथ विनियम 5 के तहत उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सभी शिक्षकों और विनियम 5 के तहत उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो शिक्षण और प्रशिक्षण के पहले व्यावसायिक सत्र के लिए आवश्यक हैं।

(सी) (i) दो संयुक्त बाह्य-रोगी विभागों 1. लूस-नद (सामान्य औषध / काय चिकित्सा) और धोन-नद-दंग-धुग-नद (चिकित्सा मनोविज्ञान' एवं विष विज्ञान) का संयुक्त विभाग और 2. चयद-जोड (बाह्य चिकित्सा एवं शल्य) और झी-नद- दंग- मो-नद (बाल रोग और नवजात देखभाल) का संयुक्त विभाग में से प्रत्येक में अपेक्षित योग्यता वाले न्यूनतम एक विशेषज्ञ डॉक्टर या नैदानिक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

(ii) विशेषज्ञ चिकित्सक या नैदानिक शिक्षक के अनुभव को विशेषज्ञ चिकित्सक या नैदानिक शिक्षक की नियुक्ति की तारीख से या आवेदक द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को एक कॉलेज या संस्थान स्थापित करने के लिए आवेदन जमा करने से एक साल पहले शिक्षक के रूप में माना जाएगा, जो भी कम हो।

(डी) अनुसूची-I में उल्लिखित बाह्य चिकित्सा अनुभाग और लघु ऑपरेशन थियेटर और नैदानिक प्रयोगशाला और अनुसूची-X और XI के अनुसार सुविधाएं, और अनुसूची- XII के अनुसार बाह्य रोगी विभाग और आंतरिक रोगी विभाग के उपकरण

(ई) दो हजार पांच सौ पुस्तकों वाला एक पुस्तकालय, जिसमें पंद्रह छात्रों के लिए पंद्रह लोगों के बैठने की क्षमता हो और तीस छात्रों के लिए पच्चीस लोगों के बैठने की पर्याप्त क्षमता हो और अनुसूची-VI में निर्दिष्ट कर्मचारियों की उपलब्धता |

(एफ) अनुसूची-I से XIII में निर्दिष्ट सभी बुनियादी सुविधाओं, श्रमशक्ति के साथ शिक्षण और प्रशिक्षण के पहले व्यावसायिक सत्र के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और सुसज्जित दो व्याख्यान कक्ष या कक्षाएं, प्रयोगशाला, संग्रहालय और अन्य सहायक इकाइयों या अनुभागों से जुड़े शिक्षण विभाग (यानी, विच्छेदन कक्ष, शरीर रचना विज्ञान संग्रहालय, शरीर विज्ञान प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, रोग विज्ञान प्रयोगशाला) और इसमें विनियमन 4 के उप-विनियमन (5) के खंड (i) के अनुसार चिकित्सा शिक्षा इकाई और विनियमन 4 के उप-विनियमन (5) के खंड (एच) के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी सहायता और संचार सुविधाएं होंगी।

(जी) अनुसूची-II में निर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र और अनुसूची-IX में निर्दिष्ट उपकरण, एक शिक्षण फार्मैसी और गुणवत्ता परीक्षण हेतु एक प्रयोगशाला होगी तथा अनुसूची-XIII के अनुसार मटेरिया मेडिका में नमूने के लिए एक संग्रहालय होगा, जो कि मेज़स-दंग-स्मन-जोर विभाग (औषधि विवरणी औषध शास्त्र एवं भैषज्य विभाग) से जुड़ा होगा।

(एच) अनुसूची-III के अनुसार क्रमशः पंद्रह सीटों के लिए एक हजार वर्ग मीटर से अधिक भूमि और सोलह से तीस सीटों तक प्रवेश के लिए एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर भूमि पर एक वनौषधि उद्यान (हर्बल गार्डन) होगा, तथा जिसमें अनुसूची-VI के अनुसार कर्मचारी और औषधिय पौधों की न्यूनतम तीस प्रजातियों का रोपण होगा।

(आई) अस्पताल के सभी कर्मचारी अनुसूची-IV के अनुसार होंगे।

(जे) शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण महाविद्यालय कर्मचारियों और अस्पताल कर्मचारियों के लिए वेब कैमरा आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली के साथ बायोमेट्रिक (जैविक) उपस्थिति प्रणाली का उपयोग होगा।

(2) विद्यालय छात्रों के दूसरे बैच में प्रवेश से पहले, दूसरे चरण में न्यूनतम मानक आवश्यकताओं को पूरा करेगा या बनाए रखेगा, अर्थात्:—(ए) एक कार्यरत सोवा-रिग्पा अस्पताल होगा जिसमें विनियम 4 के तहत उप-विनियमन (4) के खंड (बी) और विनियम 6 के उप-विनियम (1) के तहत वार्षिक छात्रों की प्रवेश क्षमता के अनुरूप शैथ्याओं की उचित संख्या, शैथ्या अधिभोग और बाह्य रोगी उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(बी) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सोवा-रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक), विनियम 2022 में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता के साथ विनियम 5 के तहत उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सभी शिक्षकों और विनियम 5 के तहत उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, और प्रशिक्षण के पहले और दूसरे व्यावसायिक सत्र के अनुसार आवश्यक हैं।

(सी) दो संयुक्त बाह्य-रोगी विभागों में से प्रत्येक में अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के साथ न्यूनतम एक विशेषज्ञ डॉक्टर/या एक नैदानिक शिक्षक (1. लूस-नद (सामान्य औषधि चिकित्सा) और धोन-नद-दंग-धुग-नद (नैदानिक मनाविज्ञान एवं विष चिकित्सा विज्ञान) का संयुक्त विभाग और 2. चयद-जोड (बाह्य एवं शल्य चिकित्सा) और झी-नद- दंग- मो-नद (बाल एवं स्त्री रोग) का संयुक्त विभाग होगा।

(डी) अनुसूची-I में उल्लिखित बाह्य चिकित्सा अनुभाग और लघु ऑपरेशन थियेटर और नैदानिक प्रयोगशाला और अनुसूची-X और XI के अनुसार सुविधाएं, और अनुसूची- XII के अनुसार बाह्य रोगी विभाग और आंतरिक रोगी विभाग के उपकरण।

(ई) तीन हजार पुस्तकों वाला एक पुस्तकालय, जिसमें पंद्रह छात्रों के लिए बीस लोगो के बैठने की क्षमता हो और सोलह छात्रों से तीस छात्रों तीस छात्रों के लिए चालीस लोगो के बैठने की पर्याप्त क्षमता हो और अनुसूची-VI में निर्दिष्ट कर्मचारियों की उपलब्धता।

(एफ) अनुसूची-1 से XIII में निर्दिष्ट सभी बुनियादी संरचनाये, जनशक्ति की सुविधा के साथ शिक्षण और प्रशिक्षण के पहले और दूसरे व्यावसायिक सत्र के लिए प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और अन्य सहायक इकाइयों या अनुभागों (जैसे विच्छेदन हॉल, शरीर रचना संग्रहालय, शरीर विज्ञान प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, पैथोलॉजी प्रयोगशाला) के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित तीन व्याख्यान कक्ष या कक्षा कक्ष, शिक्षण विभाग, और विनियमन 4 के उप-विनियम (5) के खंड (i) के अनुसार चिकित्सा शिक्षा इकाई, विनियमन 4 के उप-विनियम (5) के खंड (एच) सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संचार सुविधाएं होंगी। और विनियमन 4 के उप-विनियम (5) के खंड (डी) के अनुसार क्लिनिकल स्किल लैब भी स्थापित होगा।

(जी) अनुसूची-II में निर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र और अनुसूची-IX में निर्दिष्ट उपकरण, एक शिक्षण फार्मैसी और गुणवत्ता परीक्षण हेतु एक प्रयोगशाला होगी तथा अनुसूची-XIII के अनुसार मटेरिया मेडिका में नमूने के लिए एक संग्रहालय होगा, जो कि मेज़स-दंग-स्मन-जोर विभाग (औषधि विवरणी औषध शास्त्र एवं भैषज्य विभाग) से जुड़ा होगा।

(एच) अनुसूची-III के अनुसार क्रमशः पंद्रह सीटों के लिए एक हजार वर्ग मीटर से अधिक भूमि और सोलह से तीस सीटों तक प्रवेश के लिए एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर भूमि पर एक वनौषधि उद्यान (हर्बल गार्डन) होगा जिसमें औषधीय पौधों की न्यूनतम चालीस प्रजातियों का रोपण हो।

(आई) अस्पताल के सभी कर्मचारी अनुसूची-IV में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

(जे) शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण महाविद्यालय कर्मचारियों और अस्पताल कर्मचारियों के लिए वेब कैमरा आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली समर्थित होगी।

(3) छात्रों के तीसरे बैच के प्रवेश से पहले, महाविद्यालय स्थापना के तीसरे चरण में निम्नानुसार न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा करेगा या बनाए रखेगा— (ए) एक कार्यात्मक सोवा-रिग्पा अस्पताल होगा जिसमें जिसमें विनियम 4 के तहत उप-विनियमन (4) के खंड (बी) और विनियम 6 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्रों की प्रवेश क्षमता के अनुरूप शैथ्याओं की उचित संख्या, शैथ्या अधिभोग और बाह्य रोगी उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(बी) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सोवा-रिग्पा शिक्षा के न्यूनतम मानक), विनियम 2022 में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता के साथ विनियम 5 के तहत उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सभी शिक्षकों और विनियम 5 के तहत उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी जो शिक्षण और प्रशिक्षण के पहले और दूसरे व्यावसायिक सत्र के लिए आवश्यक हैं।

(सी) दो संयुक्त बाह्य-रोगी विभागों में से प्रत्येक में अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के साथ न्यूनतम एक विशेषज्ञ डॉक्टर/या एक नैदानिक शिक्षक (1. लूस-नद (सामान्य औषधि चिकित्सा) और धोन-नद-दंग-धुग-नद (नैदानिक मनाविज्ञान एवं विष चिकित्सा विज्ञान) का संयुक्त विभाग और 2. चयद-जोड (बाह्य एवं शल्य चिकित्सा) और झी-नद- दंग- मो-नद (बाल एवं स्त्री रोग) का संयुक्त विभाग होगा

(डी) अनुसूची-I में उल्लिखित बाह्य चिकित्सा अनुभाग और लघु ऑपरेशन थियेटर और नैदानिक प्रयोगशाला और अनुसूची-X और XI के अनुसार सुविधाएं, और अनुसूची- XII के अनुसार बाह्य रोगी विभाग और आंतरिक रोगी विभाग के उपकरण।

(ई) तीन हजार पांच सौ किताबों से युक्त एक पुस्तकालय, जिसमें पंद्रह छात्रों के लिए बीस लोगो के बैठने की क्षमता हो और सोलह छात्रों से तीस छात्रों के लिए चालीस लोगो के बैठने की पर्याप्त क्षमता हो और अनुसूची-VI में निर्दिष्ट कर्मचारियों की उपलब्धता।

(एफ) शिक्षण और प्रशिक्षण के पहले और दूसरे व्यावसायिक सत्र के लिए प्रयोगशालाओं, संग्रहालय और अन्य सहायक इकाइयों या अनुभागों (जैसे विच्छेदन हॉल, शरीर रचना संग्रहालय, शरीर विज्ञान प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, पैथोलॉजी प्रयोगशाला) के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित और सुसज्जित चार व्याख्यान कक्ष या कक्षा कक्ष, शिक्षण विभाग, अनुसूची-1 से XIII में निर्दिष्ट सभी बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, जनशक्ति के साथ और और विनियमन 4 के उप-विनियम (5) के खंड (i) के अनुसार चिकित्सा शिक्षा इकाई, विनियमन 4 के उप-विनियम (5) के खंड (एच) सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संचार सुविधाएं होंगी। और विनियमन 4 के उप-विनियम (5) के खंड (डी) के अनुसार क्लिनिकल स्किल लैब भी स्थापित होगा।

(जी) अनुसूची-II में निर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र और अनुसूची-IX में निर्दिष्ट उपकरण, एक शिक्षण फार्मसी और गुणवत्ता परीक्षण हेतु एक प्रयोगशाला होगी तथा अनुसूची-XIII के अनुसार मटेरिया मेडिका में नमूने के लिए एक संग्रहालय होगा, जो कि मेज़स-दंग-स्मन-जोर विभाग (औषधि विवरणी औषध शास्त्र एवं भैषज्य विभाग)से जुड़ा होगा।

(एच) औषधीय पौधों की न्यूनतम पचास प्रजातियों के रोपण के साथ अनुसूची-III के अनुसार क्रमशः पंद्रह सीटों के लिए एक हजार वर्ग मीटर से अधिक भूमि और सोलह से तीस सीटों तक प्रवेश के लिए एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर भूमि पर एक वनौषधि उद्यान (हर्बल गार्डन) होगा ।

(आई) अस्पताल के सभी कर्मचारी अनुसूची-IV में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

(जे) शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण महाविद्यालय कर्मचारियों और अस्पताल कर्मचारियों के लिए वेब कैमरा आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली समर्थित होगी।

(4) छात्रों के चौथे बैच के शुरू होने से पहले, महाविद्यालय स्थापना के चौथे (अंतिम) चरण में न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा करेगा या बनाए रखेगा – (ए) विनियमन 4 के उप-विनियमन (4) के तहत खंड (डी) में निर्दिष्ट चार

स्वतंत्र बाह्य रोगी विभागों के साथ एक कार्यात्मक सोवा-रिग्पा अस्पताल होगा, जिसमें विनियम 4 के तहत उप-विनियमन (4) के खंड (बी) और विनियम 6 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक छात्रों की प्रवेश क्षमता के अनुरूप शैय्याओं की उचित संख्या, शैय्या अधिभोग और बाह्य रोगी उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(बी) सम्बंधित भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनियमों में उल्लिखित आवश्यक योग्यता के साथ विनियम 5 के तहत उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट सभी शिक्षक और विनियम 5 के तहत उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट गैर-शिक्षण कर्मचारी, जो शिक्षण और प्रशिक्षण के पहले, दूसरे और तीसरे व्यावसायिक सत्र के लिए आवश्यक हैं।

(सी) विनियम 4 से 6 और अनुसूची- I से XIII में निर्दिष्ट अनुसार कॉलेज, अस्पताल और अन्य इकाइयों की सभी बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और जनशक्ति आवश्यकताएं आदि।

(डी) चार हजार पुस्तकों वाला एक पुस्तकालय, पंद्रह सीटों तक प्रवेश के लिए तीस व्यक्तियों की बैठने की क्षमता और सोलह सीटों से तीस सीटों तक प्रवेश के लिए पचास व्यक्तियों की बैठने की क्षमता और अनुसूची-VI में निर्दिष्ट कर्मचारी।

(ई) शिक्षण और प्रशिक्षण के पहले, दूसरे, तीसरे और व्यावसायिक सत्र के लिए प्रयोगशाला, संग्रहालय और अन्य सहायक इकाइयों या अनुभागों (जैसे विच्छेदन हॉल, शरीर रचना संग्रहालय, शरीर विज्ञान प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, पैथोलॉजी प्रयोगशाला) आदि के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित पांच व्याख्यान कक्ष या कक्षा कक्ष, शिक्षण विभाग, अनुसूची-1 से XIII में निर्दिष्ट सभी सुविधायें यथा बुनियादी ढांचे, जनशक्ति और विनियमन 4 के उप-विनियम (5) के खंड (i) के अनुसार चिकित्सा शिक्षा इकाई, विनियमन 4 के उप-विनियम (5) के खंड (एच) सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संचार सुविधाएं होंगी। और विनियमन 4 के उप-विनियम (5) के खंड (डी) के अनुसार क्लिनिकल स्किल लैब भी स्थापित होगा।

(एफ) शिक्षण फार्मसी और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला और संग्रहालय, अनुसूची-2 में निर्दिष्ट न्यूनतम क्षेत्र के साथ, मेज़स-दंग-स्मन-जोर विभाग (औषधि विवरणी औषध शास्त्र एवं भैषज्य विभाग) विभाग से जुड़ा हुआ है। अनुसूची-IX में निर्दिष्ट उपकरण और अनुसूची-XIII के अनुसार मटेरिया मेडिका संग्रहालय में नमूने आदि रखने की व्यवस्था होगी।

(जी) अनुसूची-III के अनुसार न्यूनतम सत्तर प्रकार की औषधीय प्रजातियों वाला एक पूर्ण औषधीय उद्यान।

(एच) अस्पताल में दवा, अनुसांगिक चिकित्साकर्म, चिकित्सको और आपातकालीन प्रबंधन सहित चिकित्सा सेवाओं की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

(आई) शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण महाविद्यालय कर्मचारियों और अस्पताल कर्मचारियों के लिए वेब कैमरा आधारित कम्प्यूटरीकृत उपस्थिति प्रणाली के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली उपयोग में लाई जायेगी।

खंड -V

अधिनियम की धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित सोवा-रिग्पा कॉलेजों या संस्थानों की रेटिंग (श्रेणी करण)

14. पूरी तरह से स्थापित सोवा-रिग्पा कॉलेजों या संस्थानों की रेटिंग (श्रेणी करण): (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड इन विनियमों (अनुबंध-VI) में यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमुख क्षेत्रों और मानकों के अनुसार या समय-समय पर संशोधित किए गए प्रमुख क्षेत्रों और मानकों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक वर्ष कॉलेज या संस्थान का आकलन और मूल्यांकन करेगा।

(2) रेटिंग के लिए उल्लिखित मानक और मापदंड न्यूनतम आवश्यक मानकों से अधिक हैं; रेटिंग प्रक्रिया का उद्देश्य मूलभूत संरचना के मानकों या न्यूनतम मानव संसाधन तथा उनकी कार्यक्षमता के आधार पर पूरी तरह से स्थापित संस्थानों की रेटिंग करना है, और संस्थानों को शिक्षण, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान, नवाचार, सह-पाठ्यचर्या या पाठ्येतर गतिविधियों, नए प्रतिष्ठानों, शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र आदि जैसे क्षेत्रों में उच्च मानक स्तर प्राप्त करने लिए प्रोत्साहित करना है।

(3) धारा 28 के तहत पूरी तरह से स्थापित मान्यता प्राप्त कॉलेज या संस्थान, जो इस विनियमन में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, रेटिंग के लिए पात्र होंगे; जिस महाविद्यालय या संस्थान, को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारत सरकार द्वारा

अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है, ऐसे संस्थानों का वर्तमान शैक्षणिक सत्र में रेटिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(4) धारा 29 के अंतर्गत नव स्थापित महाविद्यालय, जो चरणबद्ध स्थापना के दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें तब तक रेटिंग के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि वे विनियम 13 में निर्दिष्ट सभी स्थापना प्रक्रिया का अनुपालन चरणबद्ध तरीके करते हुये (पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या अंतिम) अपने वार्षिक लक्ष्य पूरा नहीं कर लेते।

(5) महाविद्यालय /संस्थान की रेटिंग के गणना की विधि इस प्रकार है:-

(ए) मूल्यांकन हेतु प्रमुख संकेतांक या मानक, रेटिंग मापदंड -अधिकतम अंक क्रमशः तालिका - 6 के वर्ग (बी), (सी), (डी), और (ई) में दिए गए हैं;

(बी) कॉलम (डी) में प्रत्येक 01 बिन्दु को 01 अंक माना जाएगा;

(सी) मुख्य संकेतक अंक (वर्ग डी) को अधिकतम 10 स्कोर (वर्ग ई) में परिवर्तित किया जाएगा और कॉलेज/संस्थान द्वारा प्राप्त कुल अंक (कॉलम एफ) के अनुसार गणना की जाएगी;

(डी) कॉलेज/संस्थान द्वारा प्राप्त कुल अंक को प्रतिशत में बदलने की गणना निम्नानुसार की जाएगी;

कुल प्राप्त अंक.

----- x 100

400 (कुल अधिकतम अंक)

(6) कॉलेज या संस्थान का (श्रेणीकरण) मूल्यांकन के परिणाम तालिका-5 में दर्शाए गए तरीके से प्रदान की जाएगी या दी जाएगी।

(7) विनियमों में निरीक्षण शुल्क के अतिरिक्त यदि कोई वार्षिक रेटिंग शुल्क का प्राविधान होगा तो, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

तालिका 5

स्थिति, रेटिंग (श्रेणी) कुल अंक और प्रतिशत

| कॉलेज या संस्थान द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत में | स्थिति | श्रेणी (मूल्यांकन या ग्रास तशा) |
|---|--|------------------------------------|
| 81-100 | उत्तम या फुल ब्युंग या उत्कृष्ट | ए |
| 51-80 | मध्यम या लेगुस या अच्छा | बी |
| 51-80 | संतोषजनक या दोडलो खेंड त्साम या संतोषजनक | सी |

15. सोवा-रिग्पा महाविद्यालय में अनुमति और रेटिंग प्रक्रिया पूरी होने की तिथि और सोवा-रिग्पा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि (कट-ऑफ तिथि).-1) सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों को प्रवेश और रेटिंग प्रक्रिया लेने के लिए अनुमति देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष या सत्र के 30 जून तक पूरी की जाएगी।

(2) सोवा-रिग्पा कॉलेजों में प्रवेश के लिए कट-ऑफ तिथि आमतौर पर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की 30 सितंबर या समय-समय पर भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी।

अनुसूची - I

(विनियम 4 और 13 देखें)

सोवा-रिंग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान के संलग्न शिक्षण अस्पताल की न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता

| क्रमांक. | विवरण | 15 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) | 16-30 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) |
|---------------------------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | अस्पताल का कुल निर्मित क्षेत्र | 600 | 1000 |
| I | अस्पताल प्रशासनिक खंड | | |
| | 1. अधीक्षक या उपअधीक्षक कक्ष | | |
| | 2. चिकित्सा अधिकारी का कक्ष (दो रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी के लिए) | 50 | 75 |
| | 3. मैट्रून या नर्सिंग अधीक्षक कक्ष | | |
| | 4. स्वागत एवं पंजीकरण | | |
| II | बाह्य रोगी विभाग | | |
| | 1 चिकित्सकीय विभागों के लिए अलग ओपीडी (i) लुस- नद (सामान्य औषध / काय चिकित्सा) (ii) चयद-जोड (बाह्य चिकित्सा एवं शल्य) (iii) झी-नद- दंग- मोनद (बाल रोग और नवजात देखभाल) (iv) धोन-नद-दंग-धुग-नद (चिकित्सा मनोविज्ञान' एवं विष विज्ञान)) | 100 | 150 |
| | 2 ड्रेसिंग एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष | | |
| | 3. औषधालय | | |
| | 4 मरीजों के लिए प्रतीक्षा स्थान | | |
| | 5. भंडार | | |
| | 6. मरीजों और कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय | | |
| III | अंत:रोगी विभाग: | | |
| | 1. पुरुष और महिला मरीजों के लिए अलग-अलग वार्ड और अलग-अलग शौचालय और स्नानघर की सुविधा। | | |
| | 2. संलग्न शौचालय और स्नान के साथ डॉक्टरों का ड्यूटी रूम | 300 | 500 |
| | 3. नर्सिंग कर्मचारी कार्य कक्ष और अलग-अलग शौचालय और स्नानघर की सुविधा। | | |
| | 4. लिनन आदि के लिए भण्डार कक्ष। | | |
| IV | चयद-जोड (बाह्य चिकित्सा और लघु ऑपरेशन थिएटर) खंड : | | |
| | 1. बशाल (पुरुष/महिला) | | |
| | 2. स्काईग्स (पुरुष/महिला) | | |
| | 3. स्नास मैन (पुरुष/महिला) | | |
| | 4. 'जाम रत्सी और नी रु हा (पुरुष/महिला) | 100 | 200 |
| | 5. डग (नर/मादा) | | |
| | 6. लम्स (पुरुष/महिला) | | |
| 7. ब्युग पा (पुरुष/महिला) | | | |

| | | | |
|---|---|------------|-------------|
| | 8. गलार (पुरुष/महिला) | | |
| | 9. बीएसएग (पुरुष/महिला) | | |
| | 10. चिकित्सक का कक्ष | | |
| | 11. भंडार कक्ष | | |
| | 12. चयद-जोड (बाह्य चिकित्सा और लघु शल्य) ब्लॉक में वॉश बेसिन और गीजर सुविधा के साथ पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग टॉयलेट-बाथरूम की सुविधा। ये वार्डों के शौचालयों के अतिरिक्त होंगे। | | |
| V | नैदानिक प्रयोगशाला | 10 | 20 |
| VI | अस्पताल की रसोई | 25 | 30 |
| VII | भंडार | 15 | 25 |
| | संपूर्ण | 600 | 1000 |
| टिप्पणी: सशर्त अनुमति के लिए उपरोक्त उल्लिखित विभिन्न घटकों के बीच उपविभाजित क्षेत्र अस्सी प्रतिशत से कम नहीं होगा। लेकिन संलग्न अस्पताल का कुल निर्मित क्षेत्र विनियम 4 के उप- विनियम (बी) में निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार होगा। | | | |

अनुसूची - II

(विनियम 4 और 13 देखें)

सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान की न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता

| क्रमांक | विवरण | 15 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) | 16-30 छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) |
|---------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | महाविद्यालय भवन का कुल निर्मित क्षेत्र | 600 | 1000 |
| I | प्रशासनिक अनुभाग:- महाविद्यालय के प्रशासनिक अनुभाग में प्राचार्य कक्ष, निजी सहायक कक्ष, स्वागत कक्ष, आगंतुक प्रतिक्रियालय, कर्मचारी समिति कक्ष, क्लर्क कक्ष, नकद और लेखा अनुभाग, रिकॉर्ड रूम, सेंट्रल स्टोर और पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग शौचालय शामिल होंगे। | 100 | 150 |
| II | व्याख्यान कक्ष: कम से कम पांच व्याख्यान कक्ष होंगे, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल पंद्रह छात्रों के लिए कम से कम पच्चीस वर्ग मीटर और सोलह से तीस सीटों तक के लिए चालीस वर्ग मीटर होगा, जिसमें उचित बिजली की आपूर्ति, दृश्य-श्रव्य शिक्षण सहायता, पंखे या कूलर और आरामदायक बैठने की व्यवस्था, थिएटर जैसी होगी। प्रत्येक मंजिल पर लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएंगे। | 125 | 200 |
| III | सम्मेलन, संगोष्ठी या परीक्षा सभागृह या बहुउद्देश्यीय सभागृह: बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, परीक्षा, परामर्श आदि के लिए महाविद्यालय परिसर के भीतर एक सौ से दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक बड़ा सभागृह उपलब्ध होगा, जिसमें पर्याप्त बिजली और बैठने की व्यवस्था और दृश्य-श्रव्य प्रणाली, शौचालय आदि की सुविधा से युक्त होगा। | 100 | 140 |
| IV | केन्द्रीय पुस्तकालय:- केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना छात्रों की प्रवेश क्षमता के अनुसार पंद्रह छात्रों तक कम से कम तीस व्यक्तियों और सोलह से तीस प्रवेश क्षमता तक पचास व्यक्तियों के बैठने की क्षमता, | 80 | 120 |

| | | | |
|------|---|------------|-------------|
| | <p>होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त संख्या में अलमारियां या सामान, स्टॉक रखने के लिए पर्याप्त जगह, शिक्षकों के लिए अलग पढ़ने की जगह, लाइब्रेरियन का कमरा, फोटोकॉपियर या वीडियो स्थान, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा वाला कंप्यूटर होना चाहिए। पुस्तकालय में उचित प्रकाश व्यवस्था, पंखे या कूलर, पीने के पानी की व्यवस्था और शौचालय की सुविधा होनी चाहिए।</p> <p>पुस्तकालय में छात्रों के पहले बैच के प्रवेश के समय सोवा-रिग्पा, आधुनिक चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान के विभिन्न शीर्षकों की दो हजार पांच सौ पुस्तकें होंगी। छात्रों के दूसरे, तीसरे और चौथे बैच के प्रवेश से पहले पुस्तकों की संख्या क्रमशः तीन हजार, तीन हजार पांच सौ, चार हजार हो जाएगी। पांच साल या उससे अधिक समय तक अस्तित्व में रहने वाले कॉलेज में चार हजार से अधिक किताबें होंगी।</p> | | |
| V | <p>शिक्षण विभाग: शिक्षण विभाग में कुल आठ विभाग होंगे जिनमें से प्रत्येक में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कमरे होंगे। विभागवार क्षेत्र की आवश्यकता इस प्रकार होगी:--</p> | 120 | 240 |
| | 1. लोगुयस दंग शिसई तदुप विभाग (सोवा-रिग्पा का इतिहास और मौलिक सिद्धांत) विभाग में भाषा की प्रयोगशाला। | 10 | 20 |
| | 2. डूपा- लूस (मानव शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान) विच्छेदन हॉल, शरीर रचना संग्रहालय और शरीर विज्ञान साथ में व्यावहारिक प्रयोगशाला | 20 | 40 |
| | 3. मेंजस-दंग-स्मन-जोर (औषधि विवरणी, औषध शास्त्र एवं भेषज्य विभाग) शिक्षण हेतु औषधालय और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला भेषजगुण विज्ञान संग्रहालय वाला विभाग। | 20 | 40 |
| | 4. थमल- नद- मेद-दंग-तग- थव्स (रोग प्रतिरोध एवं सोवा -रिग्पा निदान) निदान हेतु प्रयोगशाला, चिकित्सकीय कौशल प्रयोगशाला विभाग | 10 | 20 |
| | 5. चयद-जोड. (बाह्य चिकित्सा एवं शल्य) विभाग | 15 | 30 |
| | 6. लुस-नद (सामान्य औषध/ काय चिकित्सा) विभाग | 20 | 40 |
| | 7. झी-नद- दंग- मोनद (बाल रोग और नवजात देखभाल) विभाग | 15 | 30 |
| | 8. धोन-नद दंग धुग-नद (नैदानिक मनोविज्ञान एवं विष विज्ञान) विभाग | 10 | 20 |
| VI | <p>शिक्षण औषध निर्माण शाला और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला: शिक्षण फार्मसी और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला: महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की सोवा-रिग्पा दवाओं की तैयारी, एक कच्ची दवा की खरीद और दवा की पहचान के लिए उचित प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ एक औषध निर्माण शाला होगी। जो औषध गुणवत्ता का परीक्षण प्रयोगशाला में कर के उसके गुणवत्ता का विश्लेषण शिक्षण/अनुसंधान उद्देश्य के लिए किया जाएगा।</p> | 40 | 80 |
| VII | <p>कॉमन रूम: छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था के साथ कॉमन रूम (लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग) उपलब्ध होंगे।</p> | 20 | 30 |
| VIII | <p>जलपान गृह: महाविद्यालय परिसर में लगभग पच्चीस व्यक्तियों (15 छात्रों तक) और पचास व्यक्तियों (16 से 30 छात्रों तक) के बैठने की व्यवस्था के साथ जलपान की सुविधा उपलब्ध होगी।</p> | 15 | 40 |
| | कुल | 600 | 1000 |

टिप्पणी: 1. सशर्त अनुमति के लिए सोवा-रिग्पा कॉलेज का कुल निर्मित क्षेत्र विनियमन 4 के उप-विनियम (बी) में उल्लिखित क्षेत्र के अनुसार होगा जो विभिन्न घटकों के बीच उपरोक्त संकेतित उप-विभाजित क्षेत्र के अस्सी प्रतिशत (80%) से कम नहीं होगा।
2. महाविद्यालय या संस्थान अतिरिक्त रूप से महाविद्यालय भवन में चिकित्सा शिक्षा इकाई के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करेगा।

अनुसूची-III

[देखें विनियम 3, 4 और 13]

सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान के औषध उद्यान (हर्बल गार्डन) की न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता

| क्रमांक (1) | विवरण (2) | पन्द्रह विद्यार्थी के लिए क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) (3) | सोलह से तीस विद्यार्थी के लिए क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) (4) |
|----------------|--|---|---|
| 1 | औषध उद्यान : औषधीय पौधों की सत्तर प्रजातियों वाला एक सुविकसित औषधीय पौधा उद्यान। | 1000 | 1500 |

टिप्पणी: सशर्त अनुमति के लिए, उपरोक्त संकेतित क्षेत्र विनियम 4 के उप-विनियम (ए) में निर्दिष्ट अनुसार सोवा-रिग्पा कॉलेज के कुल क्षेत्र के भीतर प्लस या माइनस बीस प्रतिशत के भीतर भिन्न हो सकता है।

अनुसूची-IV

[देखें विनियम 3, 5 और 13 देखें]

सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान का संलग्न शिक्षण अस्पताल में अस्पताल स्टाफ की न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता

| क्रमांक (1) | पद (2) | पंद्रह प्रवेशार्थियों की क्षमता तक (कर्मचारियों की आवश्यक संख्या और उनकी पात्रता) (3) | सौलह-तीस प्रवेशार्थियों की क्षमता तक (कर्मचारियों की आवश्यक संख्या और उनकी पात्रता) (4) |
|----------------|--|---|--|
| 1. | चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक | 1. प्राचार्य या डीन या निदेशक ही पदेन चिकित्सा अधीक्षक के तौर पर कार्य भार देखेंगे या 2. उप चिकित्सा अधीक्षक; निम्नलिखित पात्रता के साथ:- क) दो साल के नैदानिक अनुभव के साथ सोवा-रिग्पा में मान्य उपाधी हो ख) संकाय सदस्य के अलावा पूर्णकालिक नियमित पदधारी। | 1. प्राचार्य या डीन या निदेशक ही पदेन चिकित्सा अधीक्षक के तौर पर कार्य भार देखेंगे या 2. उप चिकित्सा अधीक्षक निम्नलिखित पात्रता के साथ:- क) दो साल के नैदानिक अनुभव के साथ सोवा-रिग्पा में मान्य उपाधी हो ख) संकाय सदस्य के अलावा पूर्णकालिक नियमित पदधारी। |
| 2. | परामर्शदाता | नैदानिक विभागों में शिक्षक | नैदानिक विभागों में शिक्षक |
| 3. | स्थानिक चिकित्साधिकारी | दो (सोवा-रिग्पा में स्नातक) | दो (सोवा-रिग्पा में स्नातक) |
| 4. | मैट्रन या नर्सिंग अधीक्षक | एक (नर्सिंग में स्नातक या 3 साल के अनुभव के साथ सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा) | एक (नर्सिंग में स्नातक या 3 साल के अनुभव के साथ सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा) |
| 5. | अंतः रोगी विभाग हेतु स्टाफ नर्स | एक (प्रत्येक दस शैय्या पर एक) (डिप्लोमा-जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी या धुएरावा) | दो (प्रत्येक दस शैय्या पर एक) (डिप्लोमा-जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी या धुएरावा) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 6. | वार्ड बॉय या आया | एक (प्रत्येक दस शैय्या पर एक) (योग्यता -न्यूनतम 10वीं कक्षा) | दो (प्रत्येक दस शैय्या पर एक) (योग्यता -न्यूनतम 10वीं कक्षा) |
| 7. | औषध कारक (फार्मासिस्ट) | एक (फार्मेसी में डिप्लोमा या धुएरावा या सोवा-रिग्पा औषधियों के वितरण में अनुभव के साथ 10+2) | एक (फार्मेसी में डिप्लोमा या धुएरावा या सोवा-रिग्पा औषधियों के वितरण में अनुभव के साथ 10+2) |
| 8. | ड्रेसर | एक (योग्यता -न्यूनतम 10वीं कक्षा) | एक (योग्यता -न्यूनतम 10वीं कक्षा) |
| 9. | कार्यालय के लिए कर्मचारी (पंजीकरण, लेखा, रिकॉर्ड का रखरखाव, डेटा प्रविष्टि आदि के लिए) | एक (लेखा कार्य और कंप्यूटर पर कार्य में अनुभव के साथ स्नातक) | एक (लेखा कार्य और कंप्यूटर पर कार्य में अनुभव के साथ स्नातक) |
| आधुनिक चिकित्सा के कर्मचारी | | | |
| 10. | चिकित्सा विशेषज्ञ | एक अंशकालिक या अनुबंध पर या कॉल पर | एक अंशकालिक या अनुबंध पर या कॉल पर |
| 11. | पैथोलॉजिस्ट (निदान विशेषज्ञ) | एक अंशकालिक या अनुबंध पर या कॉल पर | एक अंशकालिक या अनुबंध पर या कॉल पर |
| 12. | रेडिओलॉजिस्ट (विकिरण विशेषज्ञ) | एक अंशकालिक या अनुबंध पर या कॉल पर | एक अंशकालिक या अनुबंध पर या कॉल पर |
| अंतःरोगी विभाग और बहिरंग विभाग तथा च्यद-जोड के तहत बाह्य चिकित्सा एवं लघु शल्य चिकित्सा) अनुभाग के लिए कर्मचारी | | | |
| 13. | विशेषज्ञ | च्यद-जोड विभाग के अध्यापक | च्यद-जोड विभाग के अध्यापक |
| 14. | सहायक/ चिकित्सक | एक पुरुष और एक महिला (सोवा-रिग्पा बाह्य चिकित्सा में 06 महीने के प्रशिक्षण/अभिविन्यास के साथ न्यूनतम कक्षा 10वीं तक) | दो पुरुष और दो महिला (सोवा-रिग्पा बाह्य चिकित्सा में 06 महीने के प्रशिक्षण/अभिविन्यास के साथ न्यूनतम कक्षा 10वीं तक) |
| नैदानिक प्रयोगशाला | | | |
| 15. | प्रयोगशाला तकनीशियन | एक (मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा) | एक (मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि या डिप्लोमा) |
| 16. | चपरासी या परिचर | एक (न्यूनतम योग्यता 10वीं तक) | एक (न्यूनतम योग्यता 10वीं तक) |
| | कुल | पंद्रह शिक्षण विभागों के शिक्षकों को छोड़कर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है | उन्नीस शिक्षण विभागों के शिक्षकों को छोड़कर जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है |
| टिप्पणी: 1. अस्पताल सुरक्षा, नागरिक और विद्युत, पाइपलाइन, स्वच्छता, आहार और जलपान गृह, कपड़े धोने, अपविष्ट का उचित ढंग से निपटारा के पर्याप्त प्रावधान से सुसज्जित होगा। 2. आवश्यक ड्यूटी कर्मचारी और सेवाएँ चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी। 3. गैर-तकनीकी कर्मचारियों जैसे हाउसकीपिंग, स्वीपर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढई, सुरक्षा गार्ड, कपड़े धोने वाला, माली, परिचर, रसोइया, स्वच्छता आदि की सेवाएँ अनुबंध के आधार पर या आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो सकती हैं। 4. सशर्त अनुमति के लिए उपरोक्त अस्पताल स्टाफ का न्यूनतम अस्सी प्रतिशत (80%) होना आवश्यक होगा। | | | |

अनुसूची-V

[दिखें -विनियम 3, 5 और 13]

सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान में संकाय सदस्यों हेतु न्यूनतम मानक एवं आवश्यकता

| क्रमांक (1) | संकाय विभाग (2) | पन्द्रह छात्रों पर संकाय सदस्य की आवश्यकता (3) | | | सौलह से तीस छात्रों पर संकाय सदस्य की आवश्यकता (4) | | |
|----------------|--|--|--------------|---|--|--------------|---|
| | | आचार्य | सह आचार्य | सहायक आचार्य | आचार्य | सह आचार्य | सहायक आचार्य |
| 1. | लोगुय्स दंग शिसई तदुप विभाग (सोवा-रिग्पा का इतिहास और मौलिक सिद्धांत) विभाग | --- | | 1 लोगुय्स दंग शिसई तदुप + 1 भोटी भाषा + 1 सोवा-रिग्पा चिकित्सा ज्योतिष | 1 या 1 | | 1 लोगुय्स दंग शिसई तदुप + 1 भोटी भाषा + 1 सोवा-रिग्पा चिकित्सा ज्योतिष |
| 2. | डूपा-लूस (मानव शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान) विभाग | --- | | 1 | --- | | 1 |
| 3. | मेज़स-दंग-स्मन-जोर विभाग (औषधि विवरणी औषध शास्त्र एवं भैषज्य) विभाग | 1 या 1 | | 1 | 1 या 1 | | 2 |
| 4. | थमल-नद- मेद-दंग-तग- थब्स (रोग प्रतिरोग एवं रोवा-रिग्पा निदान) विभाग | --- | | 1 | --- | | 2 |
| 5. | च्यद-जोड (बाह्य चिकित्सा एवं शल्य) विभाग | 1 या 1 | | 1 | 1 या 1 | | 2 |
| 6. | लूस-नद (सामान्य औषधि/ काय चिकित्सा विभाग) | --- | | 1 | 1 या 1 | | 2 |
| 7. | झी-नद- दंग- मो-नद (बाल रोग और नवजात देखभाल) विभाग | --- | | 1 | --- | | 1 |
| 8. | धोन-नद-दंग-धुग-नद (चिकित्सा मनोविज्ञान' एवं विष विज्ञान) विभाग | --- | | 1 | --- | | 1 |
| | | | दो | दस | चार | | चौदह |
| | कुल | | | बारह | | | अठारह |

टिप्पणी:

- शिक्षकों की कमी दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश लेने की सशर्त अनुमति प्राप्त करने के लिए आठ विभागों में से प्रत्येक में न्यूनतम एक शिक्षक तथा कुल आवश्यकता (यानी 15 छात्रों के लिए न्यूनतम 11 संकाय सदस्य और 30 प्रवेश क्षमता के लिए 16)।
- जहाँ भी विभाग में अतिरिक्त प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) उपलब्ध हैं, उसी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर

(रीडर) या सहायक प्रोफेसर (लेक्चरर) की आवश्यकता के विरुद्ध अतिरिक्त प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) पर विचार किया जाएगा।

3. एक विभाग में उपलब्ध अतिरिक्त प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) या सहायक प्रोफेसर (लेक्चरर) को किसी अन्य विभाग में नहीं गिना जाएगा या उन पर विचार नहीं किया जाएगा जहां संकाय की कमी है।

अनुसूची – VI

[देखें विनियम 3, 5 और 13]

सोवा-रिंग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान की गैर-शिक्षण कर्मचारी (तकनीकी और अन्य) की न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता

| क्रमांक (1) | विभाग/अनुभाग (2) | पद (कर्मचारियों की आवश्यक संख्या और उनकी पात्रता) (3) | पंद्रह प्रवेशार्थियों की क्षमता तक (4) | सौलह से तीस प्रवेशार्थियों की क्षमता तक (5) |
|----------------|--|--|---|--|
| 1. | पुस्तकालय | पुस्तकालय प्रमुख या सहायक पुस्तकालय प्रमुख (पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक) | 1 | 1 |
| | | लाइब्रेरी अटेंडेंट या चपरासी (न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) | 1 | 1 |
| 2. | महाविद्यालय कार्यालय | लिपिक कर्मचारी (एक) (संचार और कंप्यूटर अनुप्रयोगों में कौशल वाला कोई भी स्नातक) | 2 | 2 |
| | | लेखा कर्मचारी (एक) (वाणिज्य/व्यवसाय या अस्पताल प्रबंधन में स्नातक) | | |
| 3. | वनौषधि उद्यान | माली | 1 | 1 |
| 4. | शिक्षण औषध शाला और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला | औषधालय प्रबंधक | मेज़स-दंग-स्मन-जोर विभाग के शिक्षक (औषधि विवरणी औषध शास्त्र एवं भैषज्य विभाग) | |
| | | चपरासी या परिचारक (न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण) | 1 | 1 |
| | | बहुदेशीय कर्मचारी | 1 | 2 |
| कुल | | | सात | आठ |

टिप्पणी: चपरासी/ परिचारक, सफाई कर्मी, लिफ्टर, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक, संग्रहालय परिचारक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, सुरक्षा आदि को उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुबंध के आधार पर/आउटसोर्स पर नियुक्त किया जा सकता है।

अनुसूची VII

[देखें विनियम 3, 4 और 13]

डूपा- लूस (मानव शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान) विभाग के अंतर्गत शरीर रचना (विच्छेदन हॉल) और शरीर क्रिया प्रैक्टिकल प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरणों की न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता

| क्रमांक (1) | आवश्यक उपकरण एवं सामग्री (2) | पंद्रह प्रवेशार्थियों की क्षमता तक (3) | सौलह-तीस प्रवेशार्थियों की क्षमता तक (4) |
|----------------|--------------------------------------|---|---|
| ए | शरीर रचना (विच्छेदन हॉल)/ प्रयोगशाला | | |
| 1. | शरीर रचना (विच्छेदन हॉल) | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------|
| | एक शरीर को सुरक्षित रखने की क्षमता वाला टैंक | एक | एक |
| | परिरक्षक रसायन | मिश्रित | मिश्रित |
| | विच्छेदन चौकी (पूर्ण आकार) | एक | एक |
| | विच्छेदन चौकी (अर्ध आकार) | एक | एक |
| | विच्छेदन उपकरण | मिश्रित | मिश्रित |
| 2. | विविध | | |
| | विभिन्न प्रकार अस्थि काटने हेतु यंत्र 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 बारीक नुकीली छेनी अस्थि विच्छेदनकर्ता | मिश्रित | मिश्रित |
| | शल्य चिकित्सा के दस्ताने | मिश्रित | मिश्रित |
| | सर्जिकल ब्लेड | मिश्रित | मिश्रित |
| | डिस्पोजेबल सिरिंज - 20सी सी , 10सी सी , 5सी सी | मिश्रित | मिश्रित |
| | तौलिया | मिश्रित | मिश्रित |
| | कूड़ादान | मिश्रित | मिश्रित |
| 3. | फर्नीचर और अन्य उपकरण | | |
| | विशेष कर धातु निर्मित स्टूल | पंद्रह | तीस |
| | वाँश बेसिन | मिश्रित | मिश्रित |
| | एक्स-रे देखने की सुविधा | एक | एक |
| | विभिन्न आकारों के कांच के जार | मिश्रित | मिश्रित |
| बी . | शरीर संरचना संग्रहालय | | |
| 1. | नमूना | न्यूनतम बीस नमूने | |
| टिप्पणी: 1. यदि शव और विच्छेदन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो व्यावहारिक शरीर रचना के लिए निकटतम चिकित्सा कॉलेज/मान्यता प्राप्त अस्पताल के सहयोग से सत्र आयोजित किए जाएंगे जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। | | | |
| 2. सोवा-रिंग्पा पारंपरिक शरीर संरचना थांगका/ शरीर संरचना चार्ट प्रयोगशाला में प्रदर्शित किए जाएंगे। | | | |
| 3. शरीर संरचना शिक्षण के लिए डिजिटल मोड की सुविधा प्रदान किया जा सकता है। | | | |
| 4. उपर्युक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएँ हैं। हालाँकि, छात्रों की संख्या और पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक सत्र के लिए आवश्यक सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएंगी। | | | |
| सी | शरीर क्रिया प्रयोगशाला | | |
| 1. | साथ सूक्ष्मदर्शी के साथ आयल इमर्सन | एक | दो |
| 2. | ईएसआर जाँच के लिए वेस्टरग्रेन का पिपेट | पांच | सात |
| 3. | हेमाटोक्रिट ट्यूब | पांच | सात |
| 4. | साहली का हीमोग्लोबिनो मीटर | पांच | सात |
| 5. | स्टेथोस्कोप | तीन | सात |
| 6. | क्लिनिकल थर्मामीटर | तीन | सात |
| 7. | घुटने का हथौड़ा | दो | तीन |
| 8. | ट्यूनिंग कांटे | दो | तीन |
| 9. | स्टॉपवाँच | दो | दो |
| 10. | सूक्ष्म स्लाइड | मिश्रित | मिश्रित |
| 11. | कवर स्लिप, कांच के बर्तन | मिश्रित | मिश्रित |
| 12. | रेफ्रिजरेटर | एक | एक |
| 13. | जीवाणु मुक्त बनानेवाला यंत्र | एक | एक |
| 14. | रक्त चाप मापनी | दो | दो |

| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| 15. | टोर्च | दो | तीन |
| 16. | मापने का टेप | दो | चार |
| 17. | वजन मापक | एक | एक |
| 18. | स्पाइरो मीटर | एक | एक |
| 19. | पीक फ्लो मीटर | एक | एक |
| 20. | रीजेन्ट्स | मिश्रित | मिश्रित |
| 21. | बयांग खोग युल थिंग 2डी/3डी/चार्ट/मॉडल आदि। | मिश्रित | मिश्रित |
| 22. | एसडीओंग 'ग्रेम्स (कॉन्सेप्ट मैपिंग) 2डी/3डी/चार्ट/मॉडल आदि। | मिश्रित | मिश्रित |

टिप्पणी: 1. शरीर क्रिया में शिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए डिजिटल मोड पर भी पढाया जायेगा।
2. उपर्युक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएँ हैं। हालांकि, छात्रों की संख्या और पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक सत्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुसूची-VIII

[विनियम 3, 4 और 13 देखें]

थमल-नद- मेद-दंग-तग- थब्स (रोग प्रतिरोग एवं रोवा-रिग्पा निदान विभाग) विभाग के अंतर्गत सोवा-रिग्पा पैथोलॉजी की प्रैक्टिकल प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरणों की न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता

| क्रमांक (1) | आवश्यक सामग्री एवं उपकरण (2) | 15 प्रवेशार्थियों की क्षमता तक (3) | 16-30 प्रवेशार्थियों की क्षमता तक (4) |
|----------------|-------------------------------------|--|---|
| 1. | सेल्क्स और अलमारियाँ | मिश्रित | मिश्रित |
| 2. | सोवा-रिग्पा मूत्र विश्लेषण हेतु सेट | दो | तीन |
| 3. | स्टेथेस्कोप | दो | तीन |
| 4. | क्लिनिकल थर्मामीटर | दो | तीन |
| 5. | घुटने का हथौड़ा | दो | तीन |
| 6. | जीभ को दबाने वाला चम्मच | दो | चार |
| 7. | मापने का टेप | दो | तीन |
| 8. | वजन मापनी | एक | एक |
| 9. | रक्तचाप उपकरण | दो | तीन |
| 10. | पल्स ऑक्सीमीटर | एक | एक |
| 11. | ग्लूकोमीटर | एक | एक |

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएँ हैं। हालांकि, छात्रों की संख्या और पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक सत्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।
2. पैथोलॉजी शिक्षण के लिए डिजिटल मोड भी प्रदान किया जा सकता है।
3. पैथोलॉजी संबंधी प्रशिक्षण शिक्षण अस्पताल से जुड़ी नैदानिक प्रयोगशाला में आयोजित किया जाना चाहिए।
4. पैथोलॉजी में उन्नत व्यावहारिक प्रशिक्षण के मामले में, निकटतम मेडिकल कॉलेज या अस्पताल या एनएवीएच मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के साथ सहयोग किया जा सकता है जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अनुसूची- IX

[विनियम 3, 4 और 13 देखें]

मेज़स-दंग-स्मन-जोर विभाग (औषधि विवरणी औषध शास्त्र एवं भैषज्य विभाग) विभाग के अंतर्गत संचालित शिक्षण फार्मैसी और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के लिए उपकरणों की न्यूनतम मानक आवश्यकता

| क्रमांक (1) | आवश्यक उपकरण एवं सामग्री (2) | 15 प्रवेशार्थियों की क्षमता तक (3) | 16-30 प्रवेशार्थियों की क्षमता तक (4) |
|----------------|---|--|---|
| ए. | मटेरिया मेडिका हेतु (व्योवहारिक) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला | | |
| 1 | रिन पो चेइ स्मन का नमूना (रत्न औषधि और बहुमूल्य धातु) | पांच नमूने | दस नमूने |
| 2 | रडो स्मन का नमूना (पत्थर की दवा) | पांच नमूने | दस नमूने |
| 3 | सा स्मन का नमूना (मृदा औषधि) | पांच नमूने | दस नमूने |
| 4 | रतसिस मान का नमूना (सुगंधित औषधि) | पांच नमूने | आठ नमूने |
| 5 | शिंग स्मन का नमूना (काष्ठ औषधि) | दस नमूने | पंद्रह नमूने |
| 6 | एलडम बू थांग स्मन का नमूना (मजबूत जड़ वाली जड़ी-बूटी औषधि) | दस नमूने | पंद्रह नमूने |
| 7 | स्रगो स्मन का नमूना (पतली जड़ वाली जड़ी-बूटी औषधि) | बीस नमूने | पच्चीस नमूने |
| 8 | लैन तश्वाई स्मन (नमक औषधि) का नमूना | पांच नमूने | आठ नमूने |
| 9 | मटेरिया मेडिका थांगकास/स्कॉल | पांच | आठ |
| 10 | हर्वेरियम नमूने | तीस | पचास |
| 11 | हर्वेरियम सेल्क्स /अलमारियाँ | मिश्रित | मिश्रित |
| 12 | हर्वेरियम तैयार करने वाले उपकरण | मिश्रित | मिश्रित |
| बी | शिक्षण फार्मैसी और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला और फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल प्रयोगशाला | | |
| 1. | हीटिंग डिवाइस | | |
| ए. | गैस स्टोव/इलेक्ट्रिक स्टोव/हॉट प्लेट/इंडक्शन | एक | दो |
| बी. | चुल्हा (चारकोल) | एक | एक |
| 2. | वेसेल्स कंटेनर | | |
| ए. | पीतल/ तांबा | मिश्रित | मिश्रित |
| बी. | स्टेनलेस स्टील/स्टील | मिश्रित | मिश्रित |
| सी. | मिट्टी के बर्तन - बर्तन | मिश्रित | मिश्रित |
| डी. | विभिन्न आकारों की कड़ाही | मिश्रित | मिश्रित |
| इ. | प्रेशर कुकर | एक | दो |
| एफ. | तलने की कड़ाही | मिश्रित | मिश्रित |
| जी. | कच्ची दवा भंडारण के लिए स्टील कंटेनर | मिश्रित | मिश्रित |
| 3. | संतुलित वजन मापने का पैमाना | | |
| ए. | शारीरिक | एक | एक |
| बी. | डिजिटल | एक | एक |
| 4. | विभिन्न प्रकार | | |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---------|---------|
| ए. | स्पैटुला | मिश्रित | मिश्रित |
| बी. | करछुल और चम्मच | मिश्रित | मिश्रित |
| सी. | चाकू | मिश्रित | मिश्रित |
| डी. | प्लेटें | मिश्रित | मिश्रित |
| इ. | अलग-अलग आकार के मापन उपकरण | मिश्रित | मिश्रित |
| एफ. | छलनी (मिश्रित संख्या और आकार) | मिश्रित | मिश्रित |
| जी. | स्कूप | मिश्रित | मिश्रित |
| एच. | तामचीनी ट्रे | मिश्रित | मिश्रित |
| 5. | मिक्सर ग्राइंडर | एक | दो |
| 6. | रेफ्रिजरेटर | एक | एक |
| 7. | भंडारण के लिए अलमारी और रैक | मिश्रित | मिश्रित |
| 8. | विभिन्न आकार के ओखली और मूसल | मिश्रित | मिश्रित |
| 9. | पत्थर की पटिया (विखंडन के लिए) | दो | तीन |

टिप्पणी : उपर्युक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएँ हैं। हालांकि, छात्रों की संख्या और पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक सत्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाएगा।

अनुसूची-X

[विनियम 3, 4 और 13 देखें]

चर्द-जोड़ (बाह्य एवं शल्य चिकित्सा) विभाग के अंतर्गत अस्पताल में बाह्य चिकित्सा एवं लघु शल्य अनुभाग के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्रियों का न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता

| क्रमांक (1) | आवश्यक उपकरण एवं यंत्र (2) | आवश्यक मात्रा या संख्या (3) |
|----------------|--|--------------------------------|
| ए | बाह्य चिकित्सा अनुभाग | |
| 1. | जैंग्स बम (काँपर कर्पिंग सेट) | दो |
| 2. | शेल बम (ग्लास या प्लास्टिक कर्पिंग सेट) | दो |
| 3. | त्सुग्स (हीटिंग थेरेपी टूल) | दो |
| 4. | एनीमा सेट | दो |
| 5. | वमन बेसिन | दो |
| 6. | नाक का ड्रॉपर | मिश्रित |
| 7. | संपीडन चिकित्सा के लिए औषधिय सामग्री | मिश्रित |
| 8. | एसजीयोग्स, डिप और चिंग्स (फ्रैक्चर और चोटों के लिए लकड़ी की खपच्चियाँ और पट्टियाँ) | मिश्रित |
| 9. | थेरेपी टेबल | एक |
| 10. | दस्ताने, एप्रन, टोपी और मास्क | मिश्रित |
| 11. | विरेचक कुर्सी | एक |
| 12. | बेडशीट | मिश्रित |
| 13. | थर्मामीटर | एक |
| 14. | विभिन्न आकारों का तौलिया | मिश्रित |
| 15. | गर्दन तकिया या बोल्स्टर | मिश्रित |
| 16. | विभिन्न आकारों की चप्पलें | मिश्रित |
| 17. | स्नान वस्त्र | मिश्रित |
| 18. | विसारक (डिफ्यूजर) | दो |

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 19. | इलेक्ट्रिक स्टोव या हॉट प्लेट या इंडक्शन कुक-टॉप | एक |
| 20. | कड़ाही | मिश्रित |
| 21. | करछुल | मिश्रित |
| 22. | बाथटब | एक |
| 23. | गरम पानी का यंत्र | एक |
| 24. | भाप कक्ष | एक |
| 25. | स्टीमर पाँट | एक |
| 26. | दीवार घड़ी | एक |
| 27. | हीटर | आवश्यकतानुसार |
| 28. | किनारे की मेज | मिश्रित |
| 29. | कपड़े धोने की टोकरी | मिश्रित |
| 30. | अलमारी | मिश्रित |
| 31. | पानी साफ़ करने की मशीन | एक |
| 32. | तौलनयंत्र | एक |
| 33. | बीपी मशीन (रक्त चाप यंत्र) | एक |
| 34. | कैंची | मिश्रित |
| 35. | आँख की ड्रॉपर | दो |
| 36. | कपड़े को धागे से संपीडित करें | मिश्रित |
| बी | लघु ऑपरेशन थिएटर या शल्य अनुभाग | |
| 1. | गब्सुंग बू (लैंसेट) | मिश्रित |
| 2. | जीसर खाब (गोल्डन नीडल) | एक |
| 3. | में बत्सई यो ब्याद (मोकसीबस्टन या कॉटरी टूल) | एक |
| | स्प्रा मी - मोक्सा | मिश्रित |
| | तेल पा (सोना या चांदी या तांबा या पीतल या लोहा) | एक |
| | टेल जीडीएन (कॉटरी गार्ड या पैड) | एक |
| 4. | बीएसएनयाल थाग (टूर्निकेट) | एक |
| 5. | स्कार मी (छाया रहित छत लगी हुई) (स्पॉट लाइट) | एक |
| 6. | स्पैंग रास (एप्रन) | मिश्रित |
| 7. | स्मन बम (नमूना जार) | मिश्रित |
| 8. | एमए रास स्त्रोड (ड्रेसिंग ड्रम) | एक |
| 9. | एमए रास स्त्रोड स्टेग्स (ड्रम स्टैंड) | एक |
| 10. | रस्टा खाब स्टेग सा (इंट्रावेनस स्टैंड) स्मन बम (नमूना जार) | एक |
| 11. | ग्लोग पार ब्रटैग बायड (एक्स-रे व्यू डिवाइस)) | एक |
| 12. | डप गौस (शल्य चिकित्सक का गाउन) | मिश्रित |
| 13. | खा रास डांग मगो रास (मास्क और टोपी)) | मिश्रित |
| 14. | संग रास डांग श्रीन बाल डांग एमए डीक्रिस (धुंध, कपास और पट्टी) | मिश्रित |
| 15. | लैग शब स्त्रा त्शोग्स (विभिन्न आकार के दस्ताने) | मिश्रित |
| 16. | लैग 'फीड्स' डज़िन एलकैग्स (तौलिया क्लिप) | मिश्रित |
| 17. | जेम त्से (विभिन्न कैंची) | मिश्रित |
| 18. | स्कैम पा स्त्रा त्शोग्स (विशेष प्रकार की सणसी) | मिश्रित |
| 19. | जीसीआईएन 'ड्रेन गिग्स एसबब (रबड़ कैथेटर) | मिश्रित |
| 20. | शा पाग्स त्सेम खाब (सुटिंग सुई) | मिश्रित |
| 21. | दप्यद स्कूप (सर्जिकल धागा) | मिश्रित |
| 22. | दप्यद या स्त्रौद दप्यद लेंगा (अम्बु बैग) | मिश्रित |
| 23. | मायुर स्काईओब ग्लॉग (आपातकालीन प्रकाश) | एक |
| 24. | मुझे जीएसओडी बायड (अग्निशामक यंत्र)) | एक |

| | | |
|--|--|---------------|
| 25. | ब्लूग्रास बू /ग्रिस्पू ((सर्जिकल ब्लेड) | मिश्रित |
| 26. | डड रलुंग गडन बायड (फ्यूमिगेटर)) | एक |
| 27. | 'ख्यागस सगम (रेफ्रिजरेटर) | एक |
| 28. | स्त्रिगस 'बड रलुंग' खोर (एग्जॉस्ट फैन) | एक |
| 29. | रंग 'गुल गुस' खु (ऑटो लिनन वॉशिंग मशीन) | एक |
| 30. | प्रोक्टोस्कोप रोशनी के साथ या बिना | एक |
| 31. | इन्वर्स स्टेगस 'खोर लो कैन (रिवाॉल्विंग स्टूल) | आवश्यकतानुसार |
| 32. | गेन्नियल सिरिंज | मिश्रित |
| 33. | नाद पा एमजीयोगस 'ड्रेन खोर लो कैन (ट्रॉली के साथ स्ट्रेचर) | एक |
| 34. | खाब 'डज़िन बायड (सुई धारक) | मिश्रित |
| 35. | खग शेस ब्रताग ब्याद (रक्तचाप उपकरण, स्फिग्मोमैनोमीटर) | एक |
| टिप्पणी: न्यूनतम मानक के अनुसार यह है जो आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। | | |

अनुसूची-XI

[विनियम 3, 4 और 13 देखें]

थमल-नद- मेद-दंग-तग- थब्स (रोग प्रतिरोग एवं रोवा-रिग्पा निदान विभाग) विभाग के अंतर्गत अस्पताल में नैदानिक प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण और उपकरणों का न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता

| क्रमांक (1) | आवश्यक उपकरण एवं यंत्र (2) | आवश्यकता (3) |
|----------------|---|-----------------|
| 1. | माइक्रोस्कोप तेल विसर्जन के साथ | एक |
| 2. | ईएसआर के लिए वेस्टरग्रेन का पिपेट | मिश्रित |
| 3. | हेमाटोक्रिट ट्यूब | मिश्रित |
| 4. | साहली का हीमोग्लोबिनोमीटर | एक |
| 5. | सेंट्रीफ्यूज ग्रेजुएटेड मशीन | एक |
| 6. | स्टेथोस्कोप | एक |
| 7. | जीवाणु रहित डिस्पोजेबल लैंसेट/सुई | मिश्रित |
| 8. | थर्मामीटर | दो |
| 9. | मूत्रमापी | एक |
| 10. | घुटने का हथौड़ा | एक |
| 11. | ट्यूनिंग कांटा | एक |
| 12. | परखनली | मिश्रित |
| 13. | स्टॉप वाच | एक |
| 14. | माइक्रो स्लाइड, कवर स्लिप और कांच के बर्तन | मिश्रित |
| 15. | रेफ्रिजरेटर | एक |
| 16. | जीवाणु रहित बनाने वाला यंत्र | एक |
| 17. | बीपी उपकरण | एक |
| 18. | टोर्च | एक |
| 19. | मापने का टेप | दो |
| 20. | तोलनयंत्र | एक |
| 21. | पीक फ्लो मीटर | एक |
| 22. | अभिकर्मकों (रीजेन्ट्स) | मिश्रित |
| 23. | बुसेन बुमेर(लेम्प बर्नर) | एक |
| 24. | ड्रॉपर | दो |
| 25. | रैपिड टेस्ट किट (हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, रेनल | मिश्रित |

| | | |
|-----|--|---------------|
| | प्रोफाइल, लिबर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल आदि) | |
| 26. | डब्ल्यूबीसी पिपेट | मिश्रित |
| 27. | एचबी पिपेट | मिश्रित |
| 28. | लाल कोशिका पिपेट | मिश्रित |
| 29. | एन्कुबेटर | एक |
| 30. | नमूना संग्रह (शीशियाँ और कंटेनर) | मिश्रित |
| 31. | सुई निष्प्रयोजक | एक |
| 32. | ग्लास रौड | मिश्रित |
| 33. | लिटमस पैपर | मिश्रित |
| 34. | पी एच इन्डिकेडर स्ट्रिप | मिश्रित |
| 35. | फिल्टर पैपर | मिश्रित |
| 36. | मैगिफाईन लेन्स | मिश्रित |
| 37. | टैंग डिप्रेसर | दो |
| 38. | डिस्पोसेबल दस्ताने | आवश्यकतानुसार |
| 39. | सोवा-रिग्पा मूत्र विश्लेषण सेट | एक |

टिप्पणी: 1. कॉलेज अस्पताल में एक्स-रे यूनिट स्थापित कर सकता है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अल्ट्रासोनोग्राम भी प्रदान किया जा सकता है।

2. उच्च हेमेटोलॉजिकल, बायोकेमिकल, पैथोलॉजिकल जांच, सोनोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग अध्ययन आदि के लिए, निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/मान्यता प्राप्त अस्पताल या प्रयोगशाला के साथ सहयोग लिया जा सकता है।

अनुसूची- XII

[विनियम 3, 4 और 13 देखें]

अस्पताल में बाह्य-रोगी विभाग और अंतःरोगी विभाग के लिए आवश्यक उपकरण और उपकरणों का न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता विवरण

| क्रमांक (1) | आवश्यक उपकरण एवं यंत्र (2) | आवश्यकतानुसार मात्र या संख्या बहिरंग विभाग (3) | आवश्यकतानुसार मात्र या संख्या अन्तरंग विभाग (4) |
|----------------|--|--|---|
| 1. | सोवा-रिग्पा मूत्र विश्लेषण सेट | प्रत्येक बहिरंग कक्ष में एक | पांच |
| 2. | एक्स-रे देखने का बॉक्स | एक | दो |
| 3. | रक्तचाप उपकरण | प्रत्येक बहिरंग कक्ष में एक | दो |
| 4. | स्टेथोस्कोप | प्रत्येक बहिरंग कक्ष में एक | चार |
| 5. | परीक्षा तालिक | प्रत्येक बहिरंग कक्ष में एक | दो |
| 6. | थर्मामीटर | प्रत्येक बहिरंग कक्ष में एक | छह |
| 7. | जिह्वा को दबाने वाला यंत्र | प्रत्येक बहिरंग कक्ष में एक | छह |
| 8. | रुई के गोले | मिश्रित | मिश्रित |
| 9. | टोर्च | प्रत्येक बहिरंग कक्ष में एक | चार |
| 10. | मापने का टेप | प्रत्येक बहिरंग कक्ष में एक | चार |
| 11. | वजन मापने की मशीन और ऊंचाई मापने का स्टैंड | एक | दो |
| 12. | घुटने का हथौड़ा | प्रत्येक बहिरंग कक्ष में एक | छह |

| | | | |
|---|----------------|-----------------------------|-----|
| 13. | पल्स ऑक्सीमीटर | प्रत्येक बहिरंग कक्ष में एक | तीन |
| टिप्पणी:- झी-नद- दंग- मो-नद (बाल एवं स्त्री रोग) के बहिरंग विभाग -सिम के स्पेकुलम, कुस्को के स्पेकुलम और स्केल (बच्चे का वजन) आदि आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध करने होंगे। | | | |

अनुसूची- XIII

[विनियम 3, 4 और 13 देखें]

मेज़स-दंग-स्मन-जोर विभाग (औषधि विवरणी औषध शास्त्र एवं भैषज्य विभाग) विभाग के अंतर्गत मटेरिया मेडिका संग्रहालय के लिए आवश्यक नमूनों और कलाकृतियों का न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकता विवरण

| क्रमांक (1) | आवश्यक नमूने और अन्य वस्तुएँ (2) |
|----------------|---|
| 1. | औषधि बुद्ध मंडल |
| 2. | थांगका (स्कॉल या डिजिटल या चार्ट या कोई भी रूप) |
| 3. | सोवा-रिग्पा चिकित्सा पांडुलिपियाँ या पुराने ग्रंथ |
| 4. | च्यद -की चोस-थब्स (बाह्य चिकित्सीय उपकरण) |
| 5. | शल्य उपकरण |
| 6. | रिनपोचेई स्मन का नमूना (रत्न चिकित्सा और कीमती धातु); कम से कम दस नमूने |
| 7. | आरडीओएस मैन (पत्थर की दवा) का नमूना; कम से कम पांच नमूने |
| 8. | सा स्मन (मृदा औषधि) का नमूना; कम से कम पांच नमूने |
| 9. | रेथ्से सीमेन (सुगंधित औषधि) का नमूना; कम से कम पांच नमूने |
| 10. | शिंग स्मन (काष्ठ चिकित्सा) का नमूना; कम से कम पंद्रह नमूने |
| 11. | लडुम्बु थांग स्मन (मजबूत जड़ वाली जड़ी-बूटी औषधि) का नमूना; कम से कम दस नमूने |
| 12. | स्रगो स्मन का नमूना (पतली जड़ वाली जड़ी-बूटी औषधि); कम से कम बीस नमूने |
| 13. | लैंटश्वार्ड स्मन (नमक औषधि) का नमूना; कम से कम पांच नमूने थांगका (स्कॉल या डिजिटल या चार्ट या कोई भी रूप) |
| 14. | तैयार औषधियों का नमूना |
| 15. | हर्वेरियम नमूने |

डॉ. वी. एल. मेहरा, सचिव प्रभारी, एनसीआईएसएम
[विज्ञापन-III/4/असा./652/2023-24]

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1

प्रपत्र - 1

(देखें विनियम 8 और 10)

धारा 29 के अंतर्गत नए सोवा-रिग्पा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की अनुमति के लिए आवेदन

| क्रमांक | सम्बंधित | विवरण |
|-----------------------------------|--|-------|
| भाग-1 आवेदक का पूर्ण विवरण | | |
| 1 | आवेदक का नाम (ब्लॉक अक्षरों में) | |
| 2 | पूर्ण पता पिन कोड सहित | |
| 3 | कार्यालय फोन तथा मोबाइल नंबर | |
| 4 | कार्यालयी ईमेल आई डी | |
| 5 | आवेदक राज्य, संघ शासित विश्विद्यालय या ट्रस्ट या सामाजिक संगठन है | |
| 6 | ट्रस्ट या सामाजिक संगठन की सयुक्तता | |
| 7 | आवेदक निकाय का पंजीकरण या समावेश (संख्या और तिथि, यदि कोई हो) | |
| 8 | संस्थान का प्रकार (सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या निजी या मानद | |

| | | |
|--|---|-------------|
| | विश्वविद्यालय) | |
| 9 | इस ट्रस्ट या सोसायटी या विश्वविद्यालय से कोई अन्य सोवा-रिंग्पा कालेज संचालित हो रहा है | हाँ या ना |
| | यदि हाँ तो दोनों कालेजों के मध्य की दूरी | |
| | वैश्विक संबंधों की स्थिति में प्रिंट कॉपी संलग्न करें | |
| 10 | यदि आवेदक एक न्यास या संस्था है तो पिछले तीन वर्षों के लिए वित्तीय विवरण प्रदान किया जाएगा। प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय संसाधनों का विवरण। | |
| 11 | वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें) | |
| 12 | परियोजना के वित्तपोषण के साधन: आवेदक का योगदान (प्रमाण संलग्न करें) | |
| | अनुदान (प्रमाण संलग्न करें) | |
| | दान (प्रमाण संलग्न करें) | |
| | बराबरी (सबूत संलग्न करें) | |
| | सावधि ऋण (प्रमाण संलग्न करें) | |
| | अन्य स्रोत, यदि कोई हो (प्रमाण संलग्न करें) | |
| भाग II शुल्क विवरण | | |
| 13 | आवेदन शुल्क लेनदेन आईडी | |
| | प्रोसेसिंग शुल्क लेन-देन आईडी | |
| | भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य शुल्क | |
| भाग-III: आवश्यक आवश्यकता विवरण | | |
| 14 | राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की तिथि। | |
| 15 | अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता | से ----- तक |
| 16 | संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम पता | |
| | योजना के लिए संबद्धता की सहमति की तिथि | |
| | योजना के लिए संबद्धता की सहमति के वर्ष | से ----- तक |
| भाग-IV: प्रस्तावित कॉलेज का विवरण | | |
| 17 | प्रस्तावित सोवा-रिंग्पा कालेज का नाम | |
| 18 | पिन कोड सहित पूरा पता | |
| 19 | प्रस्तावित कालेज के प्राचार्य का नाम | |
| 20 | प्रस्तावित कालेज वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता (पंद्रह या तीस) | |
| 21 | आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर | |
| 22 | आधिकारिक ई-मेल आईडी | |
| 23 | कॉलेज और अस्पताल का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लिंक उसकी प्रिंट कॉपी के साथ उपलब्ध कराएं | |
| 24 | भूमि का कुल क्षेत्रफल | |
| 25 | भूमि पट्टे पर अथवा स्वयं की है | |
| | यदि यह पट्टे पर है, तो पट्टे के वर्ष | |
| | आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से दो वर्ष पहले, भूमि की कर भुगतान रसीद | |
| | भारमुक्ति प्रमाण पत्र | |
| 26 | भूमि की श्रेणी (टियर I और टियर II) - स्थानीय प्राधिकारी से प्रमाण संलग्न करें | |
| 27 | संबंधित प्राधिकारियों से प्रासंगिक भवन निर्माण की अनुमति | |

| | | |
|--|---|--|
| 28 | स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित भवन योजना की सत्य प्रति संलग्न करें | |
| भाग-V: कॉलेज की स्थापना (चरण-I) विवरण | | |
| 29 | प्रशासनिक अनुभाग | |
| 30 | केंद्रीय पुस्तकालय जिसमें छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार इन विनियमों में निर्दिष्ट पुस्तकों की संख्या हो | |
| 31 | शिक्षण विभाग | |
| | 1. लोगुयस दंग शिसई तदुप विभाग (सोवा-रिंग्पा का इतिहास और मौलिक सिद्धांत) भाषा प्रयोगशाला वाला विभाग। | |
| | 2. डूपा- लूस (मानव शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान) विच्छेदन हॉल, शरीर रचना संग्रहालय और शरीर क्रिया विज्ञान प्रैक्टिकल प्रयोगशाला के साथ विभाग | |
| | 3. मेंज़स -दंग-स्टमन-जोर (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स) शिक्षण फार्मसी और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला या फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल प्रयोगशाला, मटेरिया मेडिका प्रैक्टिकल प्रयोगशाला और मटेरिया मेडिका संग्रहालय के साथ विभाग। | |
| | 4. थमल- नद- मेद-दंग-तग- थब्स (रोग प्रतिरोध एवं सोवा -रिंग्पा निदान) पैथोलॉजी प्रैक्टिकल प्रयोगशाला वाला विभाग | |
| 32 | व्याख्यान कक्ष | |
| 33 | सेमिनार या सम्मेलन या परीक्षा या बहुउद्देशीय या योग हॉल | |
| 34 | कैंटीन | |
| 35 | हर्बल उद्यान | |
| 36 | कॉलेज की वेबसाइट | |
| 37 | बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली | |
| 38 | चिकित्सा शिक्षा इकाई | |
| 39 | सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना | |
| 40 | पाठ्य एवं पठेयतर गतिविधियों की सुविधा | |
| 41 | सामान्य कमरे (लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग) | |
| 42 | सामान्य कमरे शिक्षण संकायों सदस्यों हेतु | |
| 43 | गैर-शिक्षण कर्मचारियों (पुरुष और महिला अलग-अलग) के लिए शौचालय की सुविधा | |
| 44 | महाविद्यालय हेतु मानव संसाधन :- | |
| | शिक्षण कर्मचारी (चरण-1 की आवश्यकता के अनुसार) | |
| | गैर-शिक्षण कर्मचारी (चरण-I आवश्यकता के अनुसार) | |
| भाग -VI कालेज के बैंक का विवरण | | |
| 45 | खाते का नाम | |
| | महाविद्यालय के नाम पर खाता संख्या | |
| | बैंक का नाम | |
| | भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड के साथ बैंक की शाखा का नाम | |
| भाग-VII: अस्पताल का विवरण | | |
| 46 | प्रस्तावित महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल का नाम | |
| 47 | अस्पताल की स्थापना की तिथि | |
| 48 | अस्पताल का पंजीकरण प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि संलग्न करें) | |
| 49 | मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण (प्रतिलिपि संलग्न करें) | |
| 50 | पंचायत लाइसेंस | |
| 51 | अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र | |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| 52 | अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र | |
| 53 | प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र | |
| 54 | अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र | |
| 55 | जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन समझौता | |
| 56 | स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति का नवीनीकरण और वैधता अवधि (प्रमाण संलग्न करें) | |
| 57 | प्रशासन ब्लॉक | |
| 58 | बाह्य रोगी विभाग और फार्मसी या डिस्पेंसरी सहित अन्य अनुभाग या इकाइयाँ (i) लुस- नद (सामान्य औषध / काय चिकित्सा) (ii) च्यद-जोड (बाह्य चिकित्सा एवं शल्य) (iii) झी-नद- दंग- मोनद (बाल रोग और नवजात देखभाल) (iv) धॉन-नद-दंग-धुग-नद (चिकित्सा मनोविज्ञान' एवं विष विज्ञान) और (i) और (iv) के संयुक्त बाह्य रोगी विभाग और (ii) और (iii) के संयुक्त बाह्य रोगी विभाग | |
| 59 | अंतःरोगी विभाग और अन्य अनुभाग या इकाइयाँ | |
| 60 | डीप्याड सब्योग (एटरनल थेरेपी एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर) ब्लॉक | |
| 61 | क्लिनिकल प्रयोगशाला | |
| 62 | अस्पताल रसोई | |
| 63 | स्टोर | |
| 64 | आवेदन की तारीख से पिछले एक वर्ष में बाह्य रोगी विभागों में मरीजों की उपस्थिति की कुल संख्या | |
| 65 | आवेदन की तारीख से पिछले एक वर्ष में प्रति दिन बाह्य रोगी विभाग के रोगियों की औसत संख्या | |
| 66 | आवेदन की तिथि से पिछले एक वर्ष में औसत भर्ती रोगियों की संख्या | |
| 67 | अस्पताल में मानव संसाधन आवेदन जमा करने से पहले पिछले एक वर्ष से मौजूदा और कार्यमुक्त अस्पताल कर्मचारी (नाम, पदनाम, अनुभाग या इकाई, योग्यता, अनुभव, नियुक्ति आदेश, कार्यभार ग्रहण पत्र और तारीख, कार्यमुक्ति पत्र और तारीख, राज्य पंजीकरण प्रमाण पत्र या शिक्षक कोड के विवरण के साथ) लागू मामले) अनुसूची-IV के अनुसार अनुभागवार चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक सलाहकार निवासी चिकित्सा अधिकारी मैट्रन या नर्सिंग अधीक्षक स्टाफ नर्स वार्ड बॉय या आया फार्मसिस्ट ट्रेसर कार्यालय के कर्मचारी आधुनिक चिकित्सा कर्मचारियों का विवरण बाहरी चिकित्सा और लघु ऑपरेशन थिएटर अनुभाग नैदानिक प्रयोगशाला | |
| 68 | अस्पताल रिकॉर्ड (जो भी लागू हो उस पर निशान लगाएं) | कम्प्यूटरीकृत या मैनुअल |
| भाग-VIII: अस्पताल का बैंकिंग विवरण | | |
| 69 | खाते का नाम | |

| | |
|---|--|
| अस्पताल का खाता संख्या | |
| बैंक का नाम | |
| बैंक की शाखा का नाम और आई फ सी कोड | |
| आवेदन जमा करने की तारीख से पिछले एक वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं: | |
| ए. अस्पताल के कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन का विवरण (माहवार) | |
| बी. दवाओं की खरीद का विवरण (इंडेंट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें) | |
| सी. अस्पताल उपभोग्य सामग्रियों की खरीद का विवरण (इंडेंट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें) | |
| डी. प्रासंगिक करों के भुगतान का विवरण (प्रति संलग्न करें) | |
| ई. अस्पताल की आय का विवरण (प्रति संलग्न करें) | |
| एफ. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा विवरण | |

आवेदक का हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद

स्थान :

दिनांक :

अनुलग्नको की सूची:

1. ट्रस्टियों के नाम के साथ उपनियम या ज्ञापन और एसोसिएशन या ट्रस्ट या सोसायटी के लेख की प्रमाणित प्रति।
2. ट्रस्ट के पंजीकरण या निगमन के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
3. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित बैलेंस शीट।
4. स्वामित्व या पट्टा समझौते के प्रमाण के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के स्वामित्व विलेख की प्रमाणित प्रति।
5. उपलब्ध स्थलों के भूमि उपयोग को दर्शाने वाली ज़ोनिंग योजनाओं की प्रमाणित प्रति।
6. अस्पताल पंजीकरण प्रमाणपत्र और इसकी वैधता अवधि के साथ मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण।
7. निर्धारित प्रारूप में लागू शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित स्थल पर संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की प्रमाणित प्रति।
8. निर्धारित प्रारूप में लागू शैक्षणिक सत्र के लिए एक नया सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए किसी भी केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रतिमा के तहत स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी 'संबद्धता की सहमति' की प्रमाणित प्रति।
9. राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यायन बोर्ड द्वारा जारी प्रत्यायन प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)।
10. आवेदक के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के संबंध में स्वतंत्र पृष्ठताछ करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकों को संबोधित प्राधिकरण पत्र।
11. यह कहते हुए हलफनामा प्रस्तुत करें कि सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज और संलग्न शिक्षण अस्पताल के लिए निर्दिष्ट भूमि और भवन विशेष रूप से यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड या भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सोवा-रिग्पा पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए हैं।
12. यह कहते हुए हलफनामा प्रस्तुत करें कि छात्रों को " भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग -राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा सोवा-रिग्पा स्नातक" की योग्यता के आधार पर और केवल केंद्रीय परामर्श के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा और निर्दिष्ट स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं दिया जाएगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा।

13. यह कहते हुए हलफनामा प्रस्तुत करें कि पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम का नामकरण, बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और छात्र-शिक्षक अनुपात सहित मानव संसाधन संबंधित नियमों में निर्दिष्ट आयोग के विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
14. हलफनामा प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज के किसी भी कक्षा या मानक या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में पहले से ही छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया है।
15. एक वचन पत्र प्रस्तुत करें कि संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि के पक्ष में पांच साल की अवधि के लिए वैध निश्चित सुरक्षा जमा राशि जमा करने की स्थिति में है।
16. आवेदन शुल्क और जमा किए गए प्रोसेसिंग शुल्क का प्रमाण।
17. आधिकारिक बैंक खाते के पिछले एक वर्ष के बैंक लेनदेन की प्रतिलिपि: कॉलेज और अस्पताल।
18. पिछले एक वर्ष के लिए अस्पताल कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रतिलिपि।
19. आवेदन पत्र के विभिन्न भागों के अनुसार अन्य संलग्नक (कृपया विवरण इंगित करें):-
- ए. सर्वे क्रमांक सहित भूमि का वितरण।
- बी. भूमि की श्रेणी जैसे टियर I और टियर II शहर (X और Y श्रेणियां), उत्तर-पूर्वी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रमाण, स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र।
- सी. भारमुक्ति प्रमाण पत्र।
- डी. भूमि और अस्पताल भवन के लिए कर भुगतान की रसीद।
- इ. बिल्डिंग प्लान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित।
- एफ. इन विनियमों के अनुसार वास्तुकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाणपत्र।
- जी. अस्पताल की स्थापना के लिए पंचायत लाइसेंस।
- एच. अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाणपत्र।
- आई. अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।
- जे. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र।
- के. आपदा प्रबंधन प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)।
- एल. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।
- एम. बायोमेट्रिकल अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।
- एन. कॉलेज और अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।
- ओ. कॉलेज एवं अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।
20. भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
(नोट: सभी प्रतियां स्वप्रमाणित होंगी)

अनुलग्नक -II

प्रपत्र -2

[देखें विनियम 8 और 10]

अधिनियम की धारा 29 के तहत सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन

| | | |
|----|--|--|
| 1. | आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) | |
| 2. | पिन कोड, आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर और | |

| | | |
|-----|---|--|
| | आधिकारिक ई-मेल आईडी के साथ पूरा पता | |
| 3. | आवेदक की स्थिति चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट | |
| 4. | पंजीकरण या निगमन (संख्या और दिनांक, यदि कोई हो) | |
| 5. | सोवा-रिग्पा महाविद्यालयका नाम और पता | |
| 6. | राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' या 'अनिवार्यता प्रमाण पत्र' की तिथि | |
| 7. | चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए कॉलेज या संस्थान की अनुमति की स्थिति | |
| 8. | i. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता ii. प्रथम संबद्धता की तिथि iii. परियोजना के लिए प्रथम संबद्धता की तिथि | |
| 9. | स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रथम बैच के लिए प्रवेश का वर्ष | |
| 10. | प्रथम प्रवेशित स्नातक या स्नातकोत्तर बैच के पूरा होने का महीना और वर्ष | |
| 11. | मौजूदा स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए आयुष मंत्रालय या तत्कालीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली के केंद्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या और मान्यता की तारीख | |
| 12. | अध्ययन के प्रस्तावित नए या उच्चतर पाठ्यक्रम का नाम | |
| 13. | छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता (पंद्रह या सोलह से तीस तक) में वृद्धि के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या निर्दिष्ट करें | |
| 14. | विवरण (ए) अतिरिक्त वित्तीय आवंटन - (बी) अतिरिक्त स्थान, उपकरण और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रावधान - (सी) छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त स्टाफ (शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ और अस्पताल स्टाफ) की भर्ती | |
| 15. | अन्य प्रासंगिक जानकारी | |

स्थान : _____

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक : _____

अनुलग्नको की सूची:

1. सम्बंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की सत्यापित प्रति।
2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता सहमति पत्र की सत्यापित प्रति।
3. मेडिकल कॉलेज या संस्थान के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में स्वतंत्र पृष्ठताछ करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकरो को संबोधित प्राधिकरण पत्र।
4. आयुष मंत्रालय या पूर्ववर्ती केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डसे कॉलेज या संस्थान की मान्यता को मंजूरी देने वाले पत्र की सत्यापित प्रति, यदि पहले से ही स्नातक डिग्री कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है।
5. हलफनामे में कहा गया है कि छात्रों को "सोवा-रिग्पा स्नातक के लिए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली-राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा" योग्यता के आधार पर और केवल सोवा-रिग्पा केंद्रीय परामर्श के माध्यम से और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्डद्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से परे प्रवेश दिया जाएगा।
- 6 शपथ पत्र में यह लिखा होना चाहिए कि संबंधित विनियमों में उल्लिखित छात्र प्रवेश क्षमता के संबंध में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार मानव संसाधन बनाए रखा जाएगा।

7. आवेदन शुल्क और जमा की गई प्रोसेसिंग फीस का प्रमाण।

8. अन्य अनुलग्नकों

ए. ट्रस्टियों के नाम के साथ उपनियम या ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख या ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति और ट्रस्ट या सोसायटी पंजीकरण या निगमन की नवीनीकृत प्रति।

बी. स्वामित्व या पट्टा समझौते के प्रमाण के रूप में भूमि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।

सी. मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में पहला अस्पताल पंजीकरण प्रमाणपत्र या नवीनीकृत।

डी. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र।

ई. आपदा प्रबंधन प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)।

एफ. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।

जी. बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।

एच. कॉलेज और अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।

आई. कॉलेज एवं अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।

जे. बिल्डिंग प्लान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित।

के. इन विनियमों के अनुसार वास्तुकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाणपत्र।

एल. मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए उपकरण, उपकरण आदि के बिल खरीदें।

एम. पिछले एक वर्ष के बिलों के साथ तैयार या खरीदी गई दवाओं की सूची।

एन. पिछले एक वर्ष के बिलों सहित खरीदी गई कच्ची औषधियों की सूची।

ओ. अस्पताल का समेकित डेटा: पिछले एक वर्ष के लिए रोगी डेटा (बाह्य रोगी विभाग, आंतरिक रोगी विभाग और बिस्तर अधिभोग)।

पी. अस्पताल भवन सहित भूमि, भवन के लिए भुगतान की गई कर रसीद।

क्यू. यह कहते हुए एक वचन पत्र प्रस्तुत करें कि संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि के पक्ष में पांच साल की अवधि के लिए वैध निश्चित सुरक्षा जमा राशि जमा करने में सक्षम है।

आर. यह कहते हुए एक वचन पत्र प्रस्तुत करें कि संस्थान ने प्रस्तावित सेवन क्षमता के अनुसार इन नियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया है।

9. समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों का कोई अन्य संलग्नक।

टिप्पणी : सभी प्रतियां स्व-सत्यापित होंगी।

अनुलग्नक -III

प्रपत्र -3

[देखें विनियम 10]

अधिनियम की धारा 29 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता प्रमाण पत्र एक नया स्नातक सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान स्थापित करना

(राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा)

संदर्भ संख्या.....

दिनांक:

| आवेदक का मूल विवरण | |
|--------------------|---|
| 1. | पते के साथ आवेदक का नाम (ब्लॉक पत्रों में) |
| 2. | संस्थान का प्रकार (सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या निजी या मानद विश्वविद्यालय) |
| 3. | प्रस्तावित सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान का नाम |

| | | |
|--|---|------------------|
| | प्रस्तावित महाविद्यालय या संस्थान का पता | |
| | प्रस्तावित छात्र प्रवेश क्षमता (पंद्रह या तीस) | |
| 4. | क्या आवेदक पहले से ही सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज चला रहा है | हां या न |
| 5. | यदि हां, तो निकटतम कॉलेज और प्रस्तावित कॉलेज के बीच की दूरी क्या है (यदि दूरी पच्चीस या पच्चीस किलोमीटर से कम है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा) | |
| नया सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अन्य विवरण | | |
| 6. | राज्य में पहले से मौजूद सोवा-रिग्पा चिकित्सा संस्थानों की संख्या | |
| 7. | राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत सोवा-रिग्पा डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात | |
| 8. | राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत सोवा-रिग्पा डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात | |
| 9. | नए सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (रोगियों) की उपलब्धता का दायरा | खराब या पर्याप्त |
| 10. | अस्पताल की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख | |
| 11. | राज्य सरकार द्वारा उन छात्रों पर, जो राज्य के निवासी नहीं हैं, राज्य में प्रवेश प्राप्त करने पर लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हों, को निर्दिष्ट करना होगा | |
| 12. | प्रस्तावित सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज खोलने का पूर्ण औचित्य | |

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र

अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र ----- को जारी किया जाता है ----- (आवेदक का नाम) की स्थापना के लिए -----(प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का नाम) ----- (प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का पता) ----- (पंद्रह या तीस) की छात्र प्रवेश क्षमता के साथ। यह प्रमाणपत्र उपरोक्त विवरण, तथ्यों या शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र निम्नलिखित नियम और शर्तों पर जारी किया जाता है:

- कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।
- कॉलेज उसी परिसर में कोई अन्य कॉलेज, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।
- कॉलेज छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
- कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित मौजूदा नियमों, दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुसार " भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग-राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा सोवा-रिग्पा स्नातक" पात्र छात्रों को प्रवेश देगा।
- संस्थान हर समय स्वायत्त बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।

6. कॉलेज को अन्य सोसायटी या ट्रस्ट को हस्तांतरित करने की स्थिति में, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जैसा भी मामला हो, से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

7. यदि आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोगद्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को बनाने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो मेडिकल द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड;

या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुमति से विश्वविद्यालय कॉलेज में पहले से ही प्रवेशित छात्रों की जिम्मेदारी लेगा।

8. आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के लिए कॉलेज द्वारा अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कॉलेज को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने की स्थिति में, राज्य सरकार कॉलेज को अपने अधिकार में ले लेगी। उन छात्रों की जिम्मेदारी, जिन्हें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की अनुमति से पहले ही कॉलेज में प्रवेश मिल चुका है।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय सील

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक -IV

प्रपत्र -4

[देखें विनियम 10]

अधिनियम की धारा 29 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता प्रमाण पत्र सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज या संस्थान में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में सीटों या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए

(राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा)

संदर्भ संख्या.....

दिनांक:

| आवेदक का मूल विवरण | | |
|---|--|--|
| 1 | आवेदक का नाम | |
| 2 | आवेदक संस्थान का नाम | |
| 3 | आधिकारिक संपर्क नंबर और ई-मेल आईडी के साथ पता | |
| 4 | आवेदन का विषय | छात्र प्रवेश क्षमता को से तक बढ़ाएँ। |
| 5 | महाविद्यालय या संस्थान की स्थापना का वर्ष | |
| सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य विवरण | | |
| 6 | राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सोवा-रिग्पा पंजीकृत डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात | |
| 7 | राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में डॉक्टर (सभी प्रणालियों के पंजीकृत चिकित्सक) | |
| 8 | नए सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (मरीजों) की उपलब्धता की गुंजाइश | खराब या पर्याप्त |

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र

अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र ----- को जारी किया जाता है ---- (आवेदक का नाम) द्वारा संचालित मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता को ----- से ----- तक बढ़ाने के लिए ----- (कॉलेज या संस्थान का नाम) ----- (कॉलेज या संस्थान का पता)। यह प्रमाणपत्र उपरोक्त विवरण, तथ्यों या शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम और शर्तों पर जारी किया जाता है:

1. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।
2. कॉलेज छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
3. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए मौजूदा नियमों, दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुसार " भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग -राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा सोवा-रिग्पा स्नातक" पात्र छात्रों को प्रवेश देगा।
4. संस्थान हर समय स्वायत्त बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।
5. यदि आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को बनाने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो मेडिकल द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की अनुमति से विश्वविद्यालय कॉलेज में पहले से ही प्रवेशित छात्रों की जिम्मेदारी लेगा।
6. आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के लिए कॉलेज का पालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कॉलेज को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने के मामले में, राज्य सरकार उन छात्रों की जिम्मेदारी लेगी जो पहले से ही भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से कॉलेज में भर्ती हो चुके हैं।

अनुलग्नक -V

प्रपत्र -5

[देखें अधिनियम 10]

एकीकरण का संयोजन

(संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा)

(एक नया सोवा-रिग्पा कॉलेज स्थापित करने या सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेज में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन जमा करने की पूर्व-आवश्यकता)

| क्रम संख्या | विश्वविद्यालय विवरण |
|-------------|----------------------|
| 1 | विश्वविद्यालय का नाम |
| 2 | पता |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | विश्वविद्यालय का प्रकार | केंद्रीय या राज्य या मानित-सरकार या मानित-निजी या निजी राज्य |
| 4 | सम्पर्क करने का विवरण | |
| 5 | संपर्क व्यक्ति (नाम एवं पदनाम) | |
| | मोबाइल नंबर | |
| | ईमेल आईडी | |
| 6 | स्थापना वर्ष | |
| 7 | मौजूदा संकाय | |
| 8 | प्रत्यायन यदि कोई हो | |
| 9 | आज तक विश्वविद्यालय से संबद्ध सोवा-रिग्पा मेडिकल कॉलेजों की संख्या। | |

संबद्धता की सहमति

स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय, सैद्धांतिक रूप से संबद्धता की सहमति जारी करने के लिए सहमत है ----- (कॉलेज का नाम) छात्र प्रवेश क्षमता के साथ ----- - प्रस्तावित कॉलेज की (पंद्रह या तीस) सीटों या सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में ----- से ----- तक वृद्धि ----- पहले से मौजूद स्नातक कार्यक्रम में।

संबद्धता की सहमति शैक्षणिक वर्ष(वर्षों) के लिए जारी की जाती है

संबद्धता की सहमति निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी की जाती है:

1. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
2. कॉलेज संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट केंद्रीय परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग -राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा सोवा-रिग्पा स्नातक" योग्य छात्रों को प्रवेश देगा।
3. कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अनुसार शिक्षण और प्रशिक्षण के निर्धारित घंटों का संचालन सुनिश्चित करेगा।
4. कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम तीन महीने पहले हर साल संबद्धता की निरंतरता प्राप्त करनी होगी।
5. अन्य विश्वविद्यालय से संबद्धता बदलने या डीम्ड स्थिति के लिए आवेदन करने की स्थिति में वर्तमान संबद्ध विश्वविद्यालय से पूर्व 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किया जाएगा।
6. वर्तमान विश्वविद्यालय से असंबद्धता की स्थिति में, मौजूदा बैच अंतिम छात्र को डिग्री प्रदान होने तक वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ जारी रहेंगे।

रजिस्ट्रार

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक -VI

अधिनियम की धारा 28 के तहत पूर्ण रूप से स्थापित मौजूदा सोवा-रिंग्पा मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों की रेटिंग
(मानक या प्रमुख क्षेत्र, मूल्यांकन मानदंड, रेटिंग मानदंड और रेटिंग स्कोर)
(देखें विनियम 14)

| क्रमांक (ए) | मानक या प्रमुख क्षेत्र (बी) | मूल्यांकन के मानदंड (निरीक्षण या प्रत्यक्ष निरीक्षण और सत्यापन) (सी) | श्रेणी करण मानदंड निरीक्षण या प्रत्यक्ष निरीक्षण और सत्यापन) (डी) | अधिकतम अंक प्रति सूचक (इ) | संस्थान द्वारा प्राप्त अंक (एफ.) | टिप्पणियां (जी) |
|----------------|---|---|--|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | भूमि | 1. गूगल मानचित्र के साथ सत्यापन 2. भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार- हाँ या नहीं (यदि हाँ- तो श्रेणी हेतु आगे बढ़ें या यदि नहीं-तो टिप्पणी करें) मूल्यांकन: प्रत्येक 10 प्रतिशत में अतिरिक्त भूमि के लिए- 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 2 | निर्मित क्षेत्र (महाविद्यालय एवं अस्पताल) | 1. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत रूप रेखा 2. सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित सम्बंधित अभिलेखों का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणियाँ) रेटिंग: प्रत्येक बाह्य रोगी विभाग, अंत: रोगी विभाग, लेक्चर हॉल या कक्षा, विभागों, पुस्तकालय हेतु 10 प्रतिशत में अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 3 | अंत: रोगी विभागों में शैय्या की संख्या | भौतिक या आभासी सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणियाँ) रेटिंग: अतिरिक्त 02 शैय्या पर - 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 4 | अंत: रोगी विभागों में बिस्तर अधिभोग | अंत: रोगी विभाग के अभिलेखों और आंकड़ों का भौतिक या आभासी सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणियाँ) रेटिंग: प्रत्येक अतिरिक्त शैय्या पर भर्ती हेतु 05 प्रतिशत - 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 5 | बाह्य रोगी विभाग | 1. भौतिक या आभासी सत्यापन 2. बाह्य रोगी विभाग अभिलेख और आकड़ा, उपकरण और यंत्रों का | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणियाँ) रेटिंग: अस्पताल में बाहरी मरीजों हेतु प्रत्येक विशेष सुविधा पर 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | सत्यापन | | | | |
| 6 | बाह्य रोगी विभागों में रोगी की उपस्थिति | 1. भौतिक या आभासी सत्यापन 2. केंद्रीय या ओपीडी अभिलेख और आकड़ा, उपकरण और यंत्रों का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणिया रेटिंग: प्रत्येक 10 प्रतिशत में अतिरिक्त अंक जोड़ने के लिए 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 7 | अस्पताल में नैदानिक प्रयोगशाला | 1. भौतिक या आभासी सत्यापन 2. प्रयोगशाला के अभिलेख और आकड़ों का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणिया रेटिंग : (श्रेणी) ए) जांच के लिए मौजूदा सुविधाओं के अलावा अन्य उन्नत जांच की सुविधा के लिए - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) अतिरिक्त प्रत्येक नैदानिक सुविधा के लिए जैसे ईसीजी, यूएसजी, एक्स-रे इत्यादि पर - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) सी) प्रत्येक विशेष मान्यता पर जैसे एनएबीएल या प्रमाणन आईएसओ आदि के लिए - 05 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 30 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| 8 | अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली | 1 सुविधा का भौतिक या आभासी सत्यापन 2. सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन सम्बंधित अभिलेखों का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणिया रेटिंग: प्रत्येक अतिरिक्त अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा जैसे वर्मीकम्पोस्ट, एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), इंसीनरेटर, बायो-गैस प्लांट आदि के लिए, - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 9 | कार्यालय | सुविधा का भौतिक या आभासी सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणिया ई-ऑफिस: ई-ऑफिस मॉड्यूल जैसे वेतन भुगतान रजिस्टर, ऑनलाइन छुट्टी, कर्मचारी प्रोफाइल आदि प्रत्येक के लिए अतिरिक्त , 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 10 | नैदानिक कौशल प्रयोगशाला | 1. इकाई में उपलब्ध सुविधाओं का भौतिक या आभासी सत्यापन 2. सम्बंधित अभिलेखों और | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणिया रेटिंग: ए) पुतले : प्रत्येक नए पुतले की उपलब्धता पर 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) सिमुलेटर (प्रेरक) : प्रत्येक सिमुलेटर(जीवंत प्रेरक पद्धति की सुविधा पर - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 30 (को 10 में परिवर्तित करके) | बी) सिमुलेटर: प्रत्येक सिमुलेटर को जोड़ने के लिए 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | कार्यक्षमता का आकलन तथा सत्यापन | सी) प्रत्येक आभासी या वास्तविकता से संबंधित शिक्षण या प्रशिक्षण प्रणाली को अपनाने पर 05 अंक (अधिकतम 10 अंक) | | | |
| 11 | बाह्य चिकित्सा एवं लघु शल्य कक्ष | 1. इकाई का भौतिक या आभासी सत्यापन 2. सम्बंधित आकड़ो या अभिलेखों का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हॉ या नहीं (यदि रेटिंग- हॉ या यदि नहीं तो टिप्पणिया रेटिंग : ए) 50 बाह्य मरीजों के उपचार के लिए- 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) प्रत्येक 05 (मरीजों) का सोवा-रिग्पा बाह्य शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार पर - 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 20 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| 12 | भाषा प्रयोगशाला | 1.इकाई का भौतिक या आभासी सत्यापन 2. सम्बंधित आकड़ो या अभिलेखों का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हॉ या नहीं (यदि रेटिंग- हॉ या यदि नहीं तो टिप्पणिया रेटिंग:उपलब्ध सुविधाओं के प्रत्येक उन्नयन या विकाश के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 13 | अनुसंधान सुविधा | 1. सुविधा का भौतिक या आभासी सत्यापन 2. सम्बंधित अभिलेखों या अभिलेखों का सत्यापन | रेटिंग: ए) मूलभूत सुविधाओं के साथ शोध इकाई की स्थापना- 10 अंक बी) प्रकाशन: संकाय या छात्र द्वारा प्रत्येक वैज्ञानिक प्रकाशन के लिए-02 अंक (अधिकतम 10 अंक) सी) अनुसंधान परियोजना (स्व-वित्त पोषित या बाहर द्वारा वित्त पोषित): प्रत्येक अनुसंधान परियोजना के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) डी) प्रत्येक नवाचार के लिए (जैसे पेटेंट, स्व विकसित उत्पाद तथा व्यावसायीकरण आदि) पर 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) ई) संस्था द्वारा जर्नल का प्रकाशन-10 अंक एफ) एनसीआईएसएम द्वारा प्रकाशन हेतु अनुदान: प्रत्येक अनुदान पर -02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 60 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| 14 | सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियाँ | 1. सुविधा का भौतिक या आभासी सत्यापन 2. सम्बंधित अभिलेखों का सत्यापन | रेटिंग : ए) बुनियादी इनडोर खेलों की उपलब्धता (शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस शामिल) - 05 अंक; बी) इनडोर गेम्स इसके आलावा प्रत्येक अतिरिक्त के लिए-01 अंक (अधिकतम 10 अंक) सी) बुनियादी आउटडोर खेलों की उपलब्धता (वॉली-बॉल, थ्रो-बॉल और शटल बैडमिंटन) - 05 अंक; डी) आउटडोर गेम्स इसके आलावा प्रत्येक अतिरिक्त के लिए- 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) ई) छात्रों द्वारा प्राप्त किसी भी के पर पुरस्कार को तालिका-7के अनुसार (अधिकतम 20 अंक) के अनुसार अंक दिए जाएंगे। | 50 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| 15 | सूचना प्रौद्योगिकी सहायता और संचार सुविधा | 1. सुविधा का भौतिक या आभासी सत्यापन 2. डेटा उपयोग का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणियाँ) रेटिंग: वाई-फाई कैंपस, फ़ायरवॉल सुरक्षा, इन्टरनेट जैसी प्रत्येक अतिरिक्त आईटी सुविधा के लिए - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 16 | चिकित्सा शिक्षा इकाई | 1. इकाई का भौतिक या आभासी सत्यापन 2. सम्बंधित अभिलेखों, फोटो आदि का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणियाँ) रेटिंग: ए) प्रत्येक अतिरिक्त सुविधा जैसे ई-शिक्षण सामग्री स्टूडियो, फोटोग्राफी इकाई आदि के लिए - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) पिछले एक वर्ष में शिक्षण कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा आयोजित प्रत्येक आंतरिक अभिविन्यास या प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए-एक अंक (अधिकतम दस अंक) सी) पिछले एक वर्ष में गैर-शिक्षण और अस्पताल के कर्मचारियों के लिए संस्थान द्वारा आयोजित प्रत्येक आंतरिक अभिविन्यास या प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए-एक अंक (अधिकतम दस अंक) डी) पिछले एक वर्ष में अन्य संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रत्येक अभिविन्यास या प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए-एक अंक (अधिकतम दस अंक) ई) अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा शिक्षा इकाई द्वारा आयोजित प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए-दो अंक (अधिकतम दस अंक) | 50 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| 17 | मानव संसाधन अस्पताल कर्मचारी शिक्षण कर्मचारी गैर-शिक्षण कर्मचारी | भौतिक या आभासी सत्यापन - कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति, व्यक्तिगत फाइलें, बैंक विवरण, फॉर्म 16 या सूचना प्रौद्योगिकी विवरण, अधिग्रहण, बायोमेट्रिक उपस्थिति, शुल्क रोस्टर, समय सारिणी आदि, जैसा भी लागू हो। | गैर-शिक्षण और अस्पताल कर्मचारी: न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार- हाँ या नहीं (यदि हाँ-रेटिंग या यदि नहीं-टिप्पणी) रेटिंग: ए) अस्पताल कर्मचारी और गैर-शिक्षण कर्मचारी अतिरिक्त होने पर प्रत्येक के लिए 05 प्रतिशत अतिरिक्त -01 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) पूर्णकालिक नियमित संकाय सदस्य : न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार हाँ या नहीं (यदि हाँ-रेटिंग या यदि नहीं-टिप्पणी) सी) प्रत्येक 1 पूर्णकालिक नियमित शिक्षक के लिए - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) डी) अंशकालिक शिक्षक: प्रत्येक अतिरिक्त 01 अंशकालिक शिक्षक के लिए (प्रति सप्ताह न्यूनतम 6 घंटे) - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) ई) अतिथि संकाय : प्रत्येक अतिरिक्त 01 विजिटिंग फैकल्टी के लिए (प्रति माह न्यूनतम एक विजिट) - 02 प्वाइंट (अधिकतम 10 प्वाइंट) एफ) अतिरिक्त योग्यता: एमएसई में उल्लिखित | 50 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|----------------------------------|--|--|
| | | | आवश्यक योग्यताओं के अलावा संकाय सदस्य द्वारा प्रत्येक अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए- 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) | | | |
| 18 | महाविद्यालय काउंसिल | भौतिक या आभासी सत्यापन-संविधान का आधिकारिक क्रम, बैठक का एजेंडा, कार्यवृत्त, कार्रवाई की गई रिपोर्ट, आदि। | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हाँ या नहीं (यदि रेटिंग- हाँ या यदि नहीं तो टिप्पणियाँ) रेटिंग: प्रत्येक कार्य प्रारम्भ और रउसके कार्यान्वयन के लिए - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 19 | महाविद्यालय की वेबसाइट | वेबसाइट का ऑनलाइन सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार वेबसाइट विकसित की गई - हां या नहीं (यदि हां तो रेटिंग या यदि नहीं तो टिप्पणी) ए) रेटिंग: प्रत्येक अतिरिक्त वेब पेज के लिए-01 अंक (अधिकतम 10 अंक) न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार वेबसाइट का रखरखाव - हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं तो टिप्पणी) बी) रेटिंग: प्रत्येक अतिरिक्त गतिविधि के लिए- 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 20 (को परिवर्तित करके 10) | | |
| 20 | बायो-मीट्रिक उपस्थिति | भौतिक या आभासी सत्यापन-डिवाइस और सम्बंधित रिकॉर्ड के माध्यम से | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार बनाए रखा गया - हां या नहीं (यदि हां तो रेटिंग या यदि नहीं तो टिप्पणी) प्रशिक्षुओं, छात्रों आदि के लिए सुविधा विस्तारित - प्रत्येक 05 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 10 | | |
| 21 | संस्थागत शैक्षणिक समिति | भौतिक या आभासी सत्यापन- बैठक का एजेंडा और कार्यवृत्त, के अनुसार की गई कार्रवाई रिपोर्ट। | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार गठित- हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी) रेटिंग: प्रत्येक कार्यनिर्णय के क्रियान्वयन जैसे मास्टर टाइम-टेबल, वार्षिक या मासिक शैक्षणिक योजना, छात्र के प्रदर्शन की समीक्षा, वार्षिक शैक्षणिक ऑडिट रिपोर्ट, पाठ योजना, छात्र प्रतिक्रिया की समीक्षा और उनपर की गई कार्रवाई. रिपोर्ट आदि के कार्यान्वयन के लिए - 01 अंक (अधिकतम 10) अंक) | 10 | | |
| 22 | छात्र सहायता और मार्गदर्शन इकाई | भौतिक या आभासी सत्यापन - बैठक का एजेंडा और मिनट, पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट, गुरु शिष्य फाइलें, छात्रों की | प्रति न्यूनतम आवश्यक मानकों गठित एसएस- हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी) रेटिंग ए) (पीटीए और पूर्व छात्रों के लिए आयोजित प्रत्येक बैठक पर - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)) बी) गुरु शिष्य बैठक के प्रत्येक चक्र के लिए (सभी शिष्यों को सम्बंधित गुरु से एक बार मिलना- 01 चक्र पर 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 30 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------------|--|--|
| | | काउंसलिंग के रिकॉर्ड, शिकायतों और उनके निवारण के लिए किये उपायों का रिकॉर्ड आदि। | सी) प्रत्येक कैम्पस प्लेसमेंट (परिसर में नियुक्ति) एक गतिविधि के लिए- 05 अंक (अधिकतम 10 अंक) | | | |
| 23 | विद्यार्थी परिषद | भौतिक या आभासी सत्यापन- बैठक का कार्यक्रम और कार्यवृत्त, कार्रवाई की गई रिपोर्ट और संबंधित फाइलें | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार- हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी) रेटिंग: प्रत्येक कार्य निर्णय और कार्यान्वयन के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)) | 10 | | |
| 24 | व्याख्यान कक्ष | भौतिक या आभासी सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं- तो टिप्पणी) रेटिंग: प्रत्येक आईसीटी से युक्त कक्ष के लिए - 05 अंक (अधिकतम 20 अंक) | 20 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| 25 | सेमिनार या सम्मेलन या परीक्षा या बहुउद्देश्यीय हॉल | भौतिक या आभासी सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार बहुउद्देश्यीय हॉल- हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहींतो -टिप्पणी) रेटिंग: ए) अलग सभागार की उपलब्धता - 04 अंक बी) अलग सेमिनार हॉल की उपलब्धता- 03 अंक सी) एक अलग परीक्षा हॉल की उपलब्धता- 03 अंक | 10 | | |
| 26 | केंद्रीय पुस्तकालय | भौतिक या आभासी सत्यापन- पुस्तकालय की सुविधाएं, और रिकॉर्ड आदि का | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार बहुउद्देश्यीय हॉल- हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहींतो -टिप्पणी) रेटिंग: ए) प्रत्येक 10 प्रतिशत अतिरिक्त पुस्तकों के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) डिजिटल लाइब्रेरी (अतिरिक्त)-10 अंक | 20 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| 27 | अध्यापन विभाग | | | | | |
| | सोरिंग-लोगुय्स-दंग-शि-चई-तहुब (सोवा-रिग्पा का इतिहास और मौलिक सिद्धांत) विभाग | भौतिक या आभासी सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार - हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं- तो टिप्पणी) रेटिंग: ए) शिक्षण सामग्री सम्बन्धी प्रत्येक नवीन पद्धति के प्रदर्शन पर (नियमित चार्ट के अलावा) -02 अंक, अधिकतम 10 अंक बी) प्रत्येक नवीन शिक्षण पद्धति के लिए (पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट के अलावा) - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 20 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| | डूपा- लूस | भौतिक या | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार विभाग में | 30 | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|
| (मानव शरीर रचना और शरीर विज्ञान) विभाग | आभासी सत्यापन-विभाग, विच्छेदन कक्ष, शरीर विज्ञान प्रयोगशाला, उपकरण और अभिलेख आदि। | हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी) रेटिंग: ए) शरीर रचना संग्रहालय में प्रत्येक अतिरिक्त नमूने के लिए - 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन की प्रत्येक नवीन पद्धति (नियमित चार्ट के अलावा) के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) सी) प्रत्येक नवीन शिक्षण पद्धति के लिए (पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट के अलावा) - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | (को 10 में परिवर्तित करके) | | | |
| मेंजम-दंग-स्मन-जोर (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स) विभाग | भौतिक या आभासी सत्यापन-विभाग, शिक्षण फार्मैसी और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, संग्रहालय, उपकरण और अभिलेख आदि। | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार विभाग में हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी) रेटिंग: ए) शिक्षण फार्मैसी और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला: तथा प्रत्येक अतिरिक्त सुविधा या नवीन खुराक के लिए - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) संग्रहालय: 10 प्रतिशत नमूनों के प्रत्येक वृद्धि और अन्य वस्तुओं की प्रत्येक वृद्धि के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) सी) शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन की प्रत्येक नवीन पद्धति (नियमित चार्ट के अलावा) के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) डी) प्रत्येक नवीन शिक्षण पद्धति के लिए (पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट के अलावा) - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 30 को 10 में परिवर्तित करके | | | |
| थमल-नद-मेद (रोग प्रतिरोध एवं सोवा-रिग्पा पैथोलॉजी) विभाग | भौतिक या आभासी सत्यापन-विभाग, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, उपकरण और अभिलेख आदि। | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार विभाग में हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी) रेटिंग: ए) प्रतिरोधात्मक औषधि और पैथोलॉजी के लिए स्थापित संग्रहालय प्रत्येक के लिए 05 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन की प्रत्येक नवीन पद्धति (नियमित चार्ट के अलावा) के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) सी) प्रत्येक नवीन शिक्षण पद्धति के लिए (पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट के अलावा) - 2 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 30 को 10 में परिवर्तित करके | | | |
| च्छद -की चोस-थब्स (बाह्य चिकित्सा और शल्य) विभाग | 1. भौतिक या आभासी सत्यापन 2 ओपीडी या आईपीडी रिकॉर्ड का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार विभाग में हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी) रेटिंग: ए) शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन की प्रत्येक नवीन पद्धति (नियमित चार्ट के अलावा) के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) प्रत्येक नवीन शिक्षण पद्धति के लिए (पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट के अलावा) - 02 अंक | 50 (को 10 में परिवर्तित करके) | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| | | (अधिकतम 10 अंक) सी) प्रत्येक साक्ष्य आधारित विकास अनुपालन के लिए - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) डी) 270 से अधिक रोगियों के बाद प्रत्येक अतिरिक्त 30 रोगियों की ओपीडी लिए - 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) ई) 329 भर्ती दिनों के अलावा प्रत्येक 30 अतिरिक्त (आईपीडी) में भर्ती दिनों के लिए - 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) | | | |
| लुस- नद (सामान्य चिकित्सा) विभाग | 1. भौतिक या आभासी सत्यापन 2 ओपीडी या आईपीडी अभिलेख का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार विभाग में हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी) रेटिंग: ए) शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन की प्रत्येक अभिनव विधि (नियमित चार्ट के अलावा) के लिए-एक बिंदु (अधिकतम दस अंक) बी) प्रत्येक नवीन शिक्षण पद्धति के लिए (पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट के अलावा)-एक बिंदु (अधिकतम दस अंक) सी) प्रत्येक विकसित साक्ष्य-आधारित उपचार प्रोटोकॉल के लिए-दो बिंदु (अधिकतम दस अंक) डी) (i) पिछले एक वर्ष में तीन हजार छह सौ से अधिक रोगियों वाले प्रत्येक अतिरिक्त चालीस बाह्य रोगी विभाग के रोगियों के लिए (पंद्रह छात्रों के प्रवेश की क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक) (ii) पिछले एक वर्ष में प्रत्येक अतिरिक्त अस्सी बाह्य रोगी विभाग के रोगियों के लिए सात हजार दो सौ से अधिक रोगियों के लिए (तीस छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक) ई) (i) पिछले एक वर्ष में चार सौ अड़तीस से अधिक अतिरिक्त चालीस रोगी विभाग बिस्तर दिनों के लिए (पंद्रह छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक) (ii) पिछले एक वर्ष में आठ सौ छत्तर बिस्तर दिनों से अधिक के प्रत्येक अतिरिक्त रोगी विभाग के बिस्तर दिनों के लिए (तीस छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक) | 50 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| झी-नद-दंग-मो-नद (बाल एवं स्त्री रोग) विभाग | 1. भौतिक या आभासी सत्यापन 2 ओपीडी या आईपीडी अभिलेख का सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार विभाग में हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी) रेटिंग: ए) शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन की प्रत्येक अभिनव विधि (नियमित चार्ट के अलावा) के लिए-एक बिंदु (अधिकतम दस अंक) बी) प्रत्येक नवीन शिक्षण पद्धति के लिए (पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट के अलावा)-एक बिंदु (अधिकतम दस अंक) सी) प्रत्येक विकसित साक्ष्य-आधारित उपचार प्रोटोकॉल के लिए-दो बिंदु (अधिकतम दस अंक) | 50 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |

| | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| | | <p>डी) (i) पिछले एक वर्ष में प्रत्येक अतिरिक्त बीस बाह्य रोगी विभाग के रोगियों के लिए एक हजार आठ सौ से अधिक रोगियों के लिए (पंद्रह छात्रों के प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक)</p> <p>(ii) पिछले एक वर्ष में तीन हजार छह सौ से अधिक रोगियों वाले प्रत्येक अतिरिक्त चालीस बाह्य रोगी विभाग के रोगियों के लिए (तीस छात्रों के प्रवेश की क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक)</p> <p>ई) (i) पिछले एक वर्ष में दो सौ उन्नीस विस्तर दिनों से अधिक के प्रत्येक अतिरिक्त बीस रोगी विभाग के विस्तर दिनों के लिए (पंद्रह छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक)</p> <p>(ii) पिछले एक वर्ष में चार सौ अड़तीस दिनों से अधिक के प्रत्येक अतिरिक्त चालीस रोगी विभाग के विस्तर दिनों के लिए (तीस छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक)</p> | | | |
| धौन-नद दंग धुग नद (नैदानिक मनोविज्ञान और विष विज्ञान) विभाग | <p>1. भौतिक या आभासी सत्यापन</p> <p>2 ओपीडी या आईपीडी अभिलेख का सत्यापन</p> | <p>न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार विभाग में हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी)</p> <p>रेटिंग:</p> <p>ए) शिक्षण सामग्री के प्रदर्शन की प्रत्येक नवीन पद्धति (नियमित चार्ट के अलावा) के लिए- 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)</p> <p>बी) प्रत्येक नवीन शिक्षण पद्धति के लिए (पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट के अलावा) - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)</p> <p>सी) प्रत्येक साक्ष्य आधारित अन्वेषण(विकास) अनुपालन के लिए - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक)</p> <p>डी) (i) पिछले एक वर्ष में नौ सौ से अधिक रोगियों वाले प्रत्येक दस अतिरिक्त बाह्य रोगी विभाग के रोगियों के लिए (पंद्रह छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक)</p> <p>(ii) पिछले एक वर्ष में प्रत्येक अतिरिक्त बीस बाह्य रोगी विभाग के रोगियों के लिए एक हजार आठ सौ से अधिक रोगियों के लिए (तीस छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक)</p> <p>ई) (i) पिछले एक वर्ष में एक सौ दस विस्तर दिनों से अधिक के प्रत्येक दस अतिरिक्त रोगी विभाग के विस्तर दिनों के लिए (पंद्रह छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक)</p> <p>(ii) पिछले एक वर्ष में प्रत्येक अतिरिक्त बीस रोगी विभाग विस्तर दिनों के लिए (तीस छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज)-एक अंक (अधिकतम दस अंक)</p> | 50 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|---|---|--|--|
| 28 | वनौषधि उद्यान | 1. भौतिक या आभासी सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार विभाग में हां या नहीं (यदि हां-तो रेटिंग या यदि नहीं-तो टिप्पणी) रेटिंग: ए) प्रत्येक 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रजातियों की जड़ी बूटी के लिए - 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) प्रत्येक दुर्लभ या लुप्तप्राय औषधीय पौधे के संरक्षण के लिए - 01 अंक, (अधिकतम 10 अंक) सी) प्रत्येक नवीन खेती पद्धति के लिए - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 30 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| 29 | छात्रावास | भौतिक या आभासी सत्यापन | रेटिंग: ए) लड़कों के छात्रावास और लड़कियों के छात्रावास की उपलब्धता - प्रत्येक छात्रावास के लिए 05 अंक (अधिकतम 10 अंक) बी) प्रत्येक अतिरिक्त सुविधा जैसे वाचनालय, छात्रावास पुस्तकालय, मनोरंजक सुविधा, वाई-फाई आदि प्रदान करना - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | 20 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| 30 | जलपान गृह | भौतिक या आभासी सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार हां या नहीं (यदि नहीं-तो टिप्पणी) | | | |
| 31 | च्यद -की चोस-थब्स (बाह्य चिकित्सा एवं लघु शल्य) प्रखंड | सुविधा एवं अभिलेख का भौतिक या आभासी सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार हां या नहीं (यदि नहीं-तो टिप्पणी) | | | |
| 32 | अस्पताल की रसोई | भौतिक या आभासी सत्यापन | न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार हां या नहीं (यदि नहीं-तो टिप्पणी) | | | |
| अन्य | | | | | | |
| 33 | स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (अतिरिक्त) | प्रासंगिक अभिलेखों का भौतिक या आभासी सत्यापन | रेटिंग: ए) शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र, टेलीमेडिसिन, मोबाइल क्लिनिक आदि में प्रत्येक उपग्रह बाह्य रोगी विभाग के लिए-पाँच अंक (अधिकतम बीस अंक) बी) प्रत्येक चिकित्सा शिविर या स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आदि के लिए-एक अंक (अधिकतम दस अंक) | 30 (को 10 में परिवर्तित करके) | | |
| 34 | विद्यार्थी प्रेरणात्मक सूचकांक | भौतिक या ऑनलाइन सर्वेक्षण (प्रतिक्रिया) | मूल्यांकन: प्रत्येक दस प्रतिशत के लिए, कुल अंक के पचास प्रतिशत से अधिक अंक के लिए-दो अंक प्रत्येक दस प्रतिशत अंक के लिए, कुल अंक के पचास प्रतिशत से कम-दो नकारात्मक अंक | 10 संस्था द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से नकारात्मक अंक, यदि कोई हों, काटे जाने चाहिए। | | |

| संकाय निष्ठा सूचकांक | भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार | 10 | | | |
|---------------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| 35 | संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएँ | भौतिक या आभासी सत्यापन | महाविद्यालय या अस्पताल: राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, प्रवेश स्तर के अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड आदि जैसी अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रत्यायन, जिन्हें सरकारी निकायों द्वारा उत्कृष्टता केंद्र, भारत सरकार के मंत्रालय के लिए नोडल केंद्र या आयुष या भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन सरकार आदि के रूप में मान्यता प्राप्त है। | 70 (को 10 में परिवर्तित करके | |
| | | प्रत्येक पर्यावरण-अनुकूल पहल जैसे वर्षा जल संचयन, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि के लिए - 02 अंक, (अधिकतम 10 अंक) | | | |
| | | शैक्षणिक और अनुसंधान उद्देश्य के लिए अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कार्य क्रियान्वयन समझौता करने पर : प्रत्येक समझौता होने पर - 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | | | |
| | | जन- सामन्य बीच सोवा-रिगपा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्थायी प्रदर्शनी या संग्रहालय- 10 अंक | | | |
| | | कुल 50% से अधिक उत्तीर्ण से अधिक प्रत्येक 10% उत्तीर्ण प्रतिशत के लिए (सूचना देने की अवधि तक) तथा पूरक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं का औसत) पर 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | | | |
| | | सूचना प्रस्तुति अवधि में आयोजित सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के औसत के प्रत्येक 10% प्रथम कक्षाओं (विषयवार नहीं) के लिए- 01 अंक (अधिकतम 10 अंक) | | | |
| | कॉलेज या संस्थान द्वारा प्राप्त प्रत्येक पुरस्कार के लिए 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) | | | | |
| कुल योग अंक या प्राप्तांक | | 400 | | | |

अनुलग्नक VI ए

गतिविधियाँ :- पाठ्येतर गतिविधियाँ और सह पाठ्येतर (अंकों का वितरण)

| प्रतियोगिता का स्तर | प्रथम पुरस्कार | द्वितीय पुरस्कार | तृतीय पुरस्कार |
|---------------------|----------------|------------------|----------------|
| अंतरराष्ट्रीय | 7 | 6 | 5 |
| राष्ट्रीय | 6 | 5 | 4 |

| | | | |
|--------------------|---|---|---|
| राज्य | 5 | 4 | 3 |
| विश्वविद्यालय | 4 | 3 | 2 |
| अंतर-महाविद्यालयीन | 3 | 2 | 1 |

[नोट: यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सोवा-रिग्पा महाविद्यालय और संलग्न अस्पतालों के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।]

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2023

File No. 18-12/2022-BUSS (Sowa-Rigpa-UG-MES).—In exercise of the powers conferred by clauses (d), (e), (s), (t), (u), (w), (x), (y), (z), (za), (zb) and (zc) of sub-section (2) and sub-section (1) of section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), and in supersession of the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standards for Under-graduate Sowa-Rigpa Colleges and Attached Hospitals) Regulations, 2017 and the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Commission for Indian System of Medicine hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Sowa-Rigpa Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);
- (b) “annexure” means an annexure appended to these regulations;
- (c) “appendix” means an appendix appended to these regulations;
- (d) “applicant” means an authority representing a society, trust, University, or any other body, but does not include the Central Government;
- (e) “assessment” of a college or institution means the act of verifying the availability of minimum essential standards as specified in these regulations in terms of infrastructure, human resources, and functionality of an institution and its attached teaching hospital;
- (f) “attached teaching hospital” means the teaching hospital attached to the Sowa-Rigpa medical college or institution that offers standard healthcare services to the public and teaching or training to the students of the Sowa-Rigpa system of medicine;
- (g) “educational ecosystem” means an ecosystem where, among all the stakeholders of the medical college or institution, all the departments and other units of the college or institution function in coordination and collaboration with each other to provide comprehensive education to students in an appropriate academic environment;
- (h) “fully established institution” means an college or institution that has completed all phase-wise establishments under Section 29 of the Act, issued a letter of permission, received the first, second, and third renewals of permission, and is considered fully established under Section 28 of the Act in the successive years after the third renewal of permission;
- (i) “functionality of the hospital” means an attached teaching hospital fulfilling all the minimum essential standard requirements as specified by the National Commission for Indian System of Medicine that offers clinical training to medical students and provides medical services including consultation, diagnosis (clinical

and investigational), treatment (medical, surgical, and procedural), preventive health care, medical advice, counselling, nursing care, medicine dispensing, public outreach activities with proper documentation, and maintaining a hospital management system; and shall be ready to treat or attend any type of patient at any point in time with its manpower and infrastructure;

(j) “functionality of the college or institution” means a Sowa-Rigpa college or institution fulfilling all the minimum essential standards as specified by the National Commission for Indian System of Medicine that offers teaching and training to students of Sowa-Rigpa as per the course curriculum and syllabus specified by the National Commission for Indian System of Medicine by establishing an education ecosystem;

(k) “institution under establishment” means the college or institution undergoing phase-wise establishments (first, second, third, and final phases of establishments) under Section 29 of the Act;

(l) “letter of intent” means preliminary approval along with conditions and timelines issued by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to the applicant through the procedure mentioned in these regulations to establish a new Sowa-Rigpa college or institution or to increase seats or student intake capacity or admission capacity in existing courses or programmes or to start any new or postgraduate programme recognised by the National Commission for Indian System of Medicine;

(m) “letter of permission” means permission granted to the applicant by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine through the procedure mentioned in these regulations to establish a new Sowa-Rigpa college or institution or to increase seats or student intake capacity or admission capacity in existing courses or programmes or to start a postgraduate or new programme recognised by the National Commission for Indian System of Medicine and to admit the students as per the sanctioned student intake capacity sanctioned by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(n) “minimum essential standards” means mandatory minimum requirements in terms of infrastructure, human resources, and functionality, as well as a level of quality or standard that is thought to be acceptable as a minimum and below the minimum, which is unacceptable;

(o) “person” means any society, trust, University, or any other body, but does not include the Central Government;

(p) “rating” of a college or institution means rating of a fully established existing recognised college or institution under Section 28 of the Act through a rating procedure carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine based on criteria or standards over and above the minimum essential standards as laid down by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa in these regulations;

(q) “renewal of permission” means renewed permission (i.e., first, second, and third renewal) granted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to a new college or institution under establishment (i.e., undergoing second, third, and fourth phase-wise establishments) through the procedures as mentioned in these regulations during successive academic years after the issuance of a letter of permission on fulfillment of minimum essential standards as mentioned in phase-wise establishments, for admitting students as per the sanctioned student intake capacity for that particular academic year;

(r) “sanctioned student intake capacity” means the number of seats sanctioned or permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to a recognised college or institution for admission of students in a specified academic course or programme for that particular academic year;

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act, shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER-II

INSPECTION OR VISITATION AND ASSESSMENT OF FULLY ESTABLISHED EXISTING SOWA-RIGPA MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTIONS UNDER SECTION 28 OF THE ACT

3. Assessment of fully established existing colleges under section 28 of the Act.- Assessment shall be the act of verifying the availability of the minimum essential standards of a college or institution in terms of infrastructure, human resources, and functionality as mentioned in these regulations through the assessment procedure determined by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time; it shall be for the grant or denial of permission for admission of students or to take such measures mentioned in clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act.

(1) Fulfillment of minimum essential standards to grant permission.- (a) fully-established existing Sowa-Rigpa colleges or institutions and their attached hospitals under section 28 of the Act, shall fulfil all minimum essential

standards for infrastructure, teaching and training facilities, human resources and functionalities referred to in these regulations 4 to 6 and Schedule- I to XIII;

(b) each college or institution shall submit a compliance report on the fulfilment of the minimum essential standard requirements as mentioned in these regulations on or before 31st day of December of every year for consideration of the grant of permission for taking admissions in the upcoming or next academic year;

(c) the inspection or visitation proforma as prescribed by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine on the National Commission for Indian System of Medicine website for annual disclosure, shall be filled and submitted by the colleges or institutions online or offline within the period as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time;

(d) the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall determine the procedure for inspection or visitation, and assessment of college or institution in accordance with standards laid down by the Board of Unani, Siddha and Sowa- Rigpa in these regulations, and the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall carry out *suo-moto* inspection or visitation of existing colleges or institutions every year in between the 1st January to 30th of June to assess the fulfilment of minimum essential standards in terms of infrastructure, facilities, human resources, and functionality as per these regulations;

(e) inspection or visitation shall be conducted on physical or virtual or hybrid mode as decided by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(f) during inspection or visitation, the visitors shall verify the data submitted by the college or institution through the visitation proforma online or offline as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine and submit the visitors report with the duly filled visitors proforma, documents provided by the college or institution, and observations made by the visitors to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine online or offline as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine along with the videography and photography of staff (teaching staff, non-teaching staff, and hospital staff) and infrastructure taken during the inspection or visitation and submitted by the college or institution to the visitors;

(g) after submission by the visitors, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall verify the data and documents submitted by the college and visitors;

(h) after verification,-

(i) the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall decide to grant the permission for admitting students for the upcoming or next academic session or not;

(ii) if it is found that the college or institution has not fulfilled or failed to maintain the minimum essential standards as specified by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa in these regulations, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall deny the permission for admitting students for the coming or upcoming or next academic session or shall take such measures, including issuing warning, imposition of monetary penalty, reducing intake, or stoppage of admission and recommending to the commission for withdrawal of recognition under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act;

(iii) such decision of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine (i.e., grant of permission or denial of permission or measures such as penalty etc.) shall be communicated to the college or institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine on or before 30th June of each academic year;

(i) (i) in case of denial of permission by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, the aggrieved college or institution may prefer an appeal to the National Commission for Indian System of Medicine within a period of thirty days of communication of such decision by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine (as per the sub-section (3) of section 24 of the Act) through online or offline as decided by the Commission; Appeal is made by the aggrieved college or institution after the stipulated period of thirty days from the date of such communication as mentioned above, such appeal by the college or institution shall not be considered by the Commission;

(ii) upon receipt of an appeal, the Commission shall examine the appeal and the aggrieved applicant shall be given a reasonable opportunity for hearing;

(iii) if the Commission finds that the college or institution has fulfilled all minimum essential standard requirements as per these regulations, the Commission may direct the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to consider the application;

(iv) if the college or institution has not fulfilled the minimum essential standards as per these regulations, the commission shall deny the permission and communicate the same to the college or institution within a period of fifteen days of receipt of the appeal;

(v) in case of disapproval by the Commission, the aggrieved college or institution may prefer an appeal to the Ministry of Ayush, Government of India within a period of fifteen days of the communication of such decision as per sub-section (6) of section 9 of the Act or the lapse period of fifteen days from the date of an appeal to the Commission as mentioned in sub-clause (i) [i.e. no order has been passed by the commission within fifteen days from the date of preferring an appeal by the college or institution to the Commission];

(vi) in case of denial of permission, the college or institution shall not be eligible to admit students for the coming or upcoming or next academic session and shall not be entitled for rating;

(j) on receipt of any complaint or the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine is cognizant of any irregularity or malpractice or inadequacy in the fulfilment of stipulated minimum essential standard requirements as specified in these regulations, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine may conduct re-inspection or re-visitation of that particular institution and for such irregularities, the college or institution shall be liable for actions under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act;

(k) the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall verify that the teaching faculty present in the college is not working at any other place or institution. Teachers who are physically absent but present only "on paper" shall not be allowed by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine, and if the institution does so, a monetary penalty shall be imposed on the concerned college or institution as well as the concerned teacher under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act;

(l) as per the provision under clause (e) of sub-section (1) of section 28 of the Act, the medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall make assessment status of Sowa-Rigpa medical colleges or institutions available on the National Commission for Indian System of Medicine website or public domain sixty days before Sowa-Rigpa central counselling conducted by the Commission for admissions every year;

(m) the annual visitation fee shall be paid as given below by way of a Demand Draft or Online Payment (National Electronic Funds Transfer or Real Time Gross Settlement) as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine in favour of 'the National Commission Fund for Indian System of Medicine' New Delhi along with all applicable taxes;

(i) Visitation fee: Rupees one lakh (per visitation);

(ii) Digitisation fee: Rupees thirty thousand (per visitation).

(2) Requirements of minimum essential standards to grant conditional permission.- The conditional permission of one year for a particular academic session shall be granted only to those fully established colleges or institutions under section 28, which are fulfilling the following requirements on the basis of inspection or visitation made by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine between the 1st January to 30th June every year to admit the students for the coming or upcoming or next academic session,-

(a) the requirement of hospital staff as specified in Schedule-IV;

(b) the requirement of teachers as specified in Schedule-V;

(c) the requirement of non-teaching staff as specified in Schedule-VI;

(d) the requirement of teaching hospital as specified under sub-regulation (4) of regulations 4 and sub-regulation (1) and (2) of regulation 6;

(e) availability of a minimum of seventy-five per cent. of required equipment as specified in Schedule-VII to Schedule-XIII;

(f) availability of college website as specified in sub-regulation (4) of regulation 6;

(g) availability of biometric attendance system as specified in sub regulation (5) of regulation 6;

(h) availability of herbal garden as specified in the Schedule -III;

(i) availability of college council as specified in the sub-regulation (3) of regulation 6;

(j) availability of minimum total constructed area of the college and hospital as specified in sub-regulation (2) of regulation 4.

CHAPTER-III**MINIMUM ESSENTIAL STANDARD REQUIREMENTS FOR SOWA-RIGPA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION AND ATTACHED TEACHING HOSPITAL**

4. Infrastructure and Facilities.- (1) Requirement of Land.- (a) the total built up area required for adequate infrastructure including medical college, attached teaching hospital and other infrastructure required under these regulations, is made available in a single piece of land, not less than one acre for hilly region and two acres for plain region, for student intake capacity up to fifteen seats. For student intake capacity from sixteen to thirty seats, the land shall not be less than one and half acres for hilly region and three acres for plain region and in not more than two plots at a distance not exceeding five kilometers, and the plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with bridge, shall be treated as one piece of land;

(b) the land shall be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college or institution for a period not less than thirty years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory Administration and the renewal of permission shall, however, be required on expiry of lease;

(c) the requirement of the size and possession of the land is not applicable for the colleges or institutions established prior to the date of this notification, but at the end of the current lease period, such colleges shall either own the land or get it on lease for a period not less than thirty years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory Administration, or such colleges shall own the land on special permission by the respective State Government or Union territory Administration.

(2) Requirement of minimum constructed area.- (a) the college and attached teaching hospital shall have the constructed area of six hundred square meters each for students intake capacity up to fifteen seats;

(b) the college and attached hospital, which has students intake capacity of sixteen to thirty seats shall have the constructed area of one thousand square meters each;

(c) the college and hospital shall be constructed in separate buildings as per the details specified in Schedule-I and Schedule-II in these regulations and the requirement of separate college and hospital buildings shall be applicable only to the colleges established after the date of this notification;

(d) the total constructed area shall be based upon the permissible Floor Area Ratio or Floor Space Index allowed by the authority concerned or local laws or rules;

(e) for permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, a certificate from the concerned authorities certifying or approving the constructed buildings having the required construction area as per Schedule-I and Schedule-II;

(f) the college shall maintain other infrastructural requirements such as canteen, outdoor and indoor games facility, civil and electrical services, security services, workshop, adequate parking space, waste management etc;

(g) the herbal garden shall have the minimum area as prescribed in Schedule-III of these regulations.

(3) Admission capacity.- The annual student intake capacity for an undergraduate Sowa-Rigpa course or programme shall be in the slabs of fifteen (up to fifteen) and thirty (sixteen to thirty) students. The colleges having student intake capacity of up to fifteen and sixteen to thirty seats shall comply the minimum essential standard requirements for up to fifteen and sixteen to thirty seats respectively, as specified in Schedule-I to Schedule-XIII in these regulations.

(4) Requirement of Teaching Hospital.- (a) the teaching hospital shall fulfil all the statutory requirements of the concerned State or Union territory Administration or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission or clearance to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine and "No objection Certificate" issued by the concerned State Government or Union territory Administration or concerned authority;

(b) requirement of beds.- the ratio of students with number of beds shall be 3:2 for undergraduate course, as given in the Table-1 and the distance between two beds in general ward shall not be less than one meter;

Table-1**Minimum Essential Requirement of Beds in In-Patient Department**

| Student intake capacity per year (1) | Minimum number of beds in In-Patient Department with respect to 3:2 student-bed ratio (2) |
|---|--|
| up to fifteen students | ten beds |
| Sixteen to thirty students | twenty beds |

(c) space requirement.-the hospital shall accommodate Out-Patient Departments and In-Patient Departments, hospital administration section, reception, patient's waiting area, dressing room, clinical laboratory, hospital pharmacy or dispensary or drug store, kitchen, service rooms, medical record-room, *dpyad sbyong* (external therapy and surgery) and minor operation theatre section, emergency room, store rooms, duty rooms for doctors, nurses and other staff required for a fully functional hospital and the specification of built up area in the attached hospital shall be as per Schedule-I in these regulations;

(d) Out-Patient Department.- the hospital shall have minimum four clinical departments, with minimum space as mentioned in the Schedule-I and instruments and equipment as per the Schedule-XII in these regulations, namely,-

- (i) *lus nad* (General Medicine);
- (ii) *dpyad sbyong* (External Therapy and Surgery);
- (iii) *byis nad dang mo nad* (Paediatrics and Gynaecology);
- (iv) *gdon nad dang dug nad* (Clinical Psychology and Toxicology);

(e) In-Patient Department.- (i) the In-Patient Department of the hospital shall have separate wards for male and female patients with minimum space as per Schedule-I and instruments and equipment as per the Schedule-XII in these regulations;

(ii) the Out-Patient Departments shall admit the patients in male and female In-Patient Department wards and the overall beds may be divided or allotted for the departments of *lus nad* (General Medicine), *dpyad sbyong* (External Therapy and Surgery), *byis nad dang mo nad* (Paediatrics and Gynaecology) and *gdon nad dang dug nad* (Clinical Psychology and Toxicology) in the ratio of 4:3:2:1 respectively;

(f) Clinical Laboratory.- (i) there shall be a clinical laboratory for Clinical Diagnosis and Investigations under *tha mal nad med dang brtag thabs* (Department of Disease Prevention and Sowa-Rigpa Pathology) in the hospital with adequate space, infrastructure and facilities as specified in Schedule-I and Schedule-XI in these regulations for carrying out the minimum basic routine, pathological, biochemical and hematological investigations and Sowa-Rigpa clinical diagnostic methods or tools for the patients referred from Out-Patient and In-Patient Departments of the hospital;

(ii) the Sowa-Rigpa teaching hospital may also recommend patients to the nearest recognised modern medicine hospital or authorized diagnostic laboratory for higher hematological, biochemical, pathological, sonographic and radiological or imaging investigations;

(g) External Therapy and Minor Operation Theatre Section.- teaching hospital shall have external therapy and minor operation theatre section under the Department of *dpyad sbyong* (External Therapy and Surgery) with minimum space as mentioned in Schedule-I and equipment and instruments as mentioned in Schedule-X in these regulations;

(h) Speciality Clinic.- Out-patient department(s) listed under clause (d), may establish speciality clinic(s) on the subject(s) or disease(s) confined to the department as needed, with all adequate infrastructure and facilities. The space for the establishment of speciality clinic is over and above the requirement of minimum total constructed area of the teaching hospital as mentioned in these regulations;

(i) Waste Management System.- each college or institution must have a policy on waste management including bio-medical waste and well-defined arrangement for segregation and disposal. Facilities for waste management shall be commensurate with the Central or State or Union Territory norms as applicable.

(5) Requirements of college.- (a) office support.- Principal or Dean or Director, and each department shall have independent computer and printer facility;

(b) space requirement.- the college shall accommodate administrative section, lecture halls or class rooms, seminar or conference or examination or multi-purpose hall, teaching departments and attached laboratory or museum as applicable, teaching pharmacy and quality testing laboratory, central library, canteen, and the specification of built-up area as specified in the Schedule-II and the facilities in the laboratory or museum as specified in the Schedules-VII, VIII, IX and Schedule-XIII of these regulations;

(c) requirement of equipment, instruments, machinery, and specimens in the college including teaching hospital.- to ensure proper provision of teaching and training materials to the students, the college shall possess minimum seventy five per cent. of required equipment or instrument or machinery in the teaching departments, teaching hospital, laboratories, dissection hall, library, pharmacy, museum and other units of college and hospital, as specified under Schedule-VII to Schedule- XIII;

(d) Clinical Skill Laboratory.- (i) the college or institution shall maintain a clinical skill laboratory for Sowa-Rigpa diagnosis and clinical application of Sowa-Rigpa medical astrology under the Department of *tha mal nad med dang brtag thabs* (Diseases Prevention and Sowa-Rigpa Pathology) with adequate seating arrangements and basic facilities including models for demonstration and to provide hands on training or learning experience to the students for promoting their clinical skills in the areas of Sowa-Rigpa diagnosis including pulse, urine, tongue, physical examination, and clinical application of Sowa-Rigpa basic principles and medical astrology, which are essential for diagnosis and assessment of prognosis;

(ii) the college or institution may provide the facilities like simulators or mannequins or virtual reality for teaching and training in the clinical skill laboratory so as to upscale clinical skills of the students. The clinical departments shall utilise this facility to train the students;

(e) Language Laboratory.- (i) the college shall establish a language laboratory with adequate facilities like computer with internet facility, audio-visual aids, recording facility under the Department of *lo rgyus dang lta grub* (History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa);

(ii) language skills include Listening, Speaking, Reading and Writing of the students shall be augmented in the language laboratory. The Language Laboratory shall transform a passive language class into an active speaking-based learning environment;

(iii) the Bhoti-language teacher and other teachers in this department shall spend substantial time with the students to upgrade or upscale their Bhoti language skills in communication, phonetics and articulation of Sowa-Rigpa medical terminologies. Text, images, audio, video, and voice recordings can be integrated for effective training;

(f) Research facility.- (i) the college has to establish research cell, constitute Institutional Ethics Committee, provide adequate support to innovation, incubation, research activities, publication and Intellectual Property Rights and develop institutional policy to support research activities;

(ii) the teaching departments have to guide and support the students to carry out subject-related minor research activities in the areas such as Sowa-Rigpa basic principles, drugs, diagnostic methods, diet, treatment, therapeutic procedures, Sowa-Rigpa medical astrology, clinical psychology, spiritual aspect of Sowa-Rigpa, technological innovations, teaching technologies of Sowa-Rigpa and publish research papers under the guidance of teaching faculty;

(g) Facility for Co-curricular and Extra-curricular activities.- adequate facilities shall be provided by the college or institution for conduction of co-curricular and extra-curricular activities such as physical education, recreation, National Service Scheme, adventure club, science club, arts club, sports club, Language (Bhoti) club, journal club etc;

(h) Information Technology support and Communication facilities.- (i) the college or institution shall provide internet connectivity with broadband not less than one hundred mbps to facilitate or support online teaching or learning including elective programme, learning management system (if any), video-conferencing, webinars, video recording of lectures or practical demonstration, faculty development and training programme, capacity building programme, hospital management system (if any);

(ii) there shall be adequate communication network between various sections of the college and attached teaching hospital for providing better services, coordination, and patient care;

(iii) information technology support shall be ensured in the maintenance of college website, biometric attendance, Closed-Circuit Television surveillance and to facilitate virtual or hybrid mode visitation or assessment process of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(i) Medical Education Unit.- (i) medical education unit shall be established by the college or institution for conducting faculty development and training programme, quality improvement programme, orientation programme on teaching or training technologies, curriculum management training, continuing medical education programme etc;

(ii) the unit shall be provided with computer, laptop, internet or Wi-Fi connectivity, multi-media projector, audio-visual system, printer, copier, photograph, and video recording facility.

- (6) Timeline to complete the additional establishments by fully established existing colleges.- all fully established recognised existing colleges under section 28 shall establish or accommodate the following sections or units as shown in the Table-2 under the concerned teaching department or section with adequate space in the concerned area as specified in the Schedule-I and Schedule-II with all minimum essential standard requirements as specified in these regulations. The timeline to establish or accommodate such section or units from the date of notification of these regulations shall be as per the Table-2.

Table-2

Timeline to Complete New Additional Minimum Essential Standard Requirements

| Serial Number (1) | Section or Unit to be established. (2) | Department or Section. (3) | Timeline to complete the establishment from the date of notification of these regulations. (4) |
|----------------------|--|---|---|
| 1 | Four clinical Out-Patient Department mentioned in clause (d), sub-regulation (4) of regulation 4 in the place of existing male and female Out-Patient Department | 1. <i>lus nad</i> (General Medicine) 2. <i>dpyad sbyong</i> (External Therapy and Surgery) 3. <i>byis nad dang mo nad</i> (Paediatrics and Gynaecology) and 4. <i>gdon nad dang dug nad</i> (Clinical Psychology and Toxicology) in the hospital | Eighteen months |
| 2 | External Therapy Section as per Schedule-X | <i>dpyad sbyong</i> (External Therapy and Surgery) in the hospital | Twelve months |
| 3 | Teaching departments as per 'V' of Schedule-II * | College | Immediately after notification |
| 4 | Clinical Skill Laboratory as per clause (d) sub-regulation (5) under regulation 4 | <i>tha mal nad med dang brtag thabs</i> (Disease Prevention and Sowa-Rigpa Pathology) | Twelve months |
| 5 | Language Laboratory as per clause (e) sub-regulation (5) under regulation 4 | <i>lo rgyus dang lta grub</i> (History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa) | Twelve months |
| 6 | Medical Education Unit as per clause (i) sub-regulation (5) under regulation 4 | College | Twelve months |
| 7 | Anatomy Museum as per the Schedule-VII | <i>grub pa lus</i> (Human Anatomy and Physiology) | Twelve months |
| 8 | Materia Medica Practical Laboratory and Museum as per the Schedule-IX and XIII respectively | <i>sman rdzas dang sman sbyor</i> (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics) | Twelve months |
| 9 | Pathology Practical Laboratory as per Schedule-VIII | <i>tha mal nad med dang brtag thabs</i> (Disease Prevention and Sowa-Rigpa Pathology) | Twelve months |
| 10 | Information Technology support and Communication facilities as per clause (h) sub-regulation (5) under regulation 4 | College and Hospital | Immediately after notification |

[Note: *applicable for the students admitted from 2022-2023 session onwards; for previous batches-curriculum, syllabus for theory, practical, teaching departments etc., as per the Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standards for under-graduate Sowa-Rigpa Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2017 and the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of under-graduate Sowa-Rigpa Medical Education) Regulations, 2017]

5. Human Resources.- (1) Hospital staff.- The minimum staff required for the attached teaching hospital shall be as specified in Schedule-IV of these regulations.

(2) Teaching staff.- The minimum teaching staff required for the college appointed on full-time and regular basis, shall be as specified in Schedule-V of these regulations.

(3) Non-teaching staff.- The minimum non-teaching staff (technical and other staff) required for the college or institution shall be as specified in Schedule-VI of these regulations.

(4) The head of the institution (Principal or Director or Dean) of each Sowa-Rigpa institution shall undergo the orientation programme or capacity building programme on “Educational Administration” conducted by the National Commission for Indian System of Medicine within the period specified by the Commission from time to time. It is a mandatory requirement for holding the post of the head of the institution. Failing which, he or she shall not be considered for the post of head of the institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(5) Deputing teaching staff.- The head of the institution shall depute the teaching staff of their institution to perform their duties assigned by the commission or its autonomous boards and attend official meetings or training programmes or capacity building programmes conducted by the commission or its autonomous boards based on their appointment order. In such cases, on-duty leave shall be sanctioned for the duty days specified in the official communication of the Commission, along with the days of travel.

6. Functionality of the College and Attached Teaching Hospital.- (1) Bed occupancy and Out-Patient Department Attendance.- The ratio of students with number of beds shall be 3:2, In-Patient Department bed occupancy shall be minimum thirty per cent. and Out-Patient Department attendance shall be 1:2 for undergraduate course, as given in Table-3.

Table-3

Minimum Bed occupancy in In-Patient Departments and Patient’s Attendance in Out-Patient Department

| Student Intake Capacity per year (1) | Number of beds (3:2 student-bed ratio) (2) | Minimum per day average number of patients in In-Patient Department during last one calendar year (three hundred sixty-five days) (thirty per cent. bed occupancy) (3) | Minimum per day average number of patients in Out-Patient Department during last one calendar year (three hundred days) (1:2 student-patient ratio) (4) |
|---|---|---|--|
| Up to fifteen students | Ten | Three | Thirty |
| Sixteen to thirty students | Twenty | Six | Sixty |

To calculate the number of beds occupied, the college shall maintain the date and time of admission and discharge of each patient. The bed occupied by a patient at mid-night, shall be counted as one bed day occupied and if a patient is discharged before mid-night that shall be counted as 0.5 bed day occupied. To calculate bed occupancy following formula shall be applicable-

Number of bed days occupied X 100

Number of beds X Number of days

(2) Maintenance of record of Out-Patient Department and In-Patient Department.- The college and hospital shall maintain the computerised central and departmental registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department; shall maintain the Out-Patient Department and In-Patient Department records or registers, case papers or sheets of Out-Patient Department and In-Patient Department patients, laboratory and radiological investigation registers, *dpyad sbyong* (External Therapy and Surgery) and Minor operation theatre registers, medicines dispensing register, pharmacy stock registers, pharmacy indent or supply order register, diet register for In-Patient Department patients, duty roster of hospital staff, death certificates so as to substantiate fully functional Sowa-Rigpa hospital and shall be fulfilling the requirements as specified in sub-regulation (4) of regulation 4 and sub-regulation (1) of regulation 6.

(3) College Council.- (a) every Sowa-Rigpa medical college or institution shall have a college council comprising of Head of Departments and the Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent as members and Principal or Dean or Director as chairperson;

(b) the college council shall meet minimum four times in a year to express views on annual plan, budget, establishments, developments, maintenance of academic standards, curriculum and training programme, enforcement of discipline, other academic matters, co-curricular and extra-curricular activities; and

(c) the college council shall also organise inter-departmental meetings, grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the institution regularly.

(4) College Website.- Each and every college or institution shall have its own website wherein the following details updated in the first week of every month,-

- (a) details of Principal or Dean or Director and Medical Superintendent including their name, age, photograph, State or National registration number, qualification, date of joining, unique teacher's code residential address with mobile numbers and e-mail ID;
- (b) details of teaching staff along with their photograph, designation, teaching department, academic qualification, unique teacher's code, State or National registration number, date of birth, total teaching experience along with the name of previous institutions (if any), date of joining, permanent address, contact number and e-mail ID;
- (c) details of non-teaching staff of the college and hospital staff of the attached teaching hospital with their position, qualification, joining date and name of the department or unit or section;
- (d) details of the sanctioned student intake capacity of undergraduate programme;
- (e) list of students admitted, merit-wise, category-wise in the current and previous academic session or year;
- (f) any research publications by the staff or student during the last one year;
- (g) details of continuing medical education programmes, conferences, seminars, workshops etc. conducted by the college or institution;
- (h) details of award and achievement received by the students or faculty or institution;
- (i) details of the affiliated University and its vice-chancellor and registrar along with their contact details;
- (j) result of all the university examinations of last one year;
- (k) detailed status of recognition or permission (letter of permission and current permission status of the college or institution) for conducting undergraduate course and admitting students;
- (l) details of clinical material or facilities or specialities in the hospital;
- (m) the college website to be linked with the National Commission for Indian System of Medicine website, which shall be linked to the Ministry of AYUSH website;
- (n) the month-wise statement of attendance of teaching, non-teaching college staff, hospital staff, students, interns and patients in out-patient department and in-patient department; and
- (o) academic calendar for the current academic session.

(5) Biometric Attendance.- There shall be biometric attendance system for teaching staff, non-teaching college staff and hospital staff as specified by National Commission for Indian System of Medicine from time to time.

(6) Institutional Academic Committee.- (a) each college or institution shall have an institutional academic committee as per the university guidelines, and if such guidelines are not available, the college or institutions shall establish an institutional academic committee by comprising one higher faculty member or a faculty member from each department of the college, the medical superintendent or deputy medical superintendent of the hospital as members, and the head of the college or institution as the chairperson;

(b) the committee shall conduct meetings as and when necessary to plan or review the academic or clinical activities of the college, to ensure lecture and non-lecture classes, including practical and clinical training, are conducted as per the academic calendar, curriculum, and syllabus, and to ensure formative and summative assessments are conducted as per the timetable or academic or examination calendar;

(c) the committee shall conduct academic audits and reports and monitor all co-curricular and extra-curricular activities of the college.

(7) Student Support and Guidance Cell.- Each college or institution shall have a student support and guidance cell that is intended to support and encourage students in their academic, social, emotional, and personal development. The following services come under the purview of the student support and guidance cell,-

(a) to provide individualised counselling for the holistic development of a student by addressing academic, scholastic, psycho-social, physical, and reproductive health issues on a need-basis;

(b) distinctive care shall be given to new batch students to become confident and competent professionals and also to overcome academic learning-related difficulties that they face in the initial phase of their undergraduate programme;

(c) the college shall constitute the Student Support and Guidance Cell as per the guidelines of the affiliated university, and where such guidelines are not available, the college or institution shall constitute it as per the following guidelines and shall make relevant guidelines for its functioning:

- (i) convener (a senior faculty member);
- (ii) all teaching faculty of the first professional course or programme;
- (iii) each faculty member from the second and third professional courses or programmes; and
- (iv) two student representatives from each batch (one male and one female);

(d) the student support and guidance cell shall deal with genuine grievances of the students in respect of the policy defined by the college or institution; the student support and guidance cell shall investigate the reason for such grievances and find an effective solution depending upon the merit of the grievances;

(e) the student support and guidance cell will identify opportunities for higher education and support placements;

(f) the student support and guidance cell orient the students in preparation for various competitive examinations and face-to-face interviews.

(8) Student Council.- (a) student council is the representative body of the entire student community of the college or institution;

(b) student council shall be a group of ambitious, hardworking, and dedicated student leaders working together with a faculty advisor to provide a means for expression and assistance in college affairs, conduct various programme or institutional fest or activities, medical camps, Sowa-Rigpa promotional activities and encourage student-faculty-community relations;

(c) the faculty advisor for student council may be a senior faculty nominated by the head of the institution;

(d) the composition of student council to be as under:-

- (i) president;
- (ii) secretary; and
- (iii) members (one representative from each batch);

(e) the executive members of the student council shall be elected or selected or nominated by students for a tenure of one year or as per the existing policies of the respective college or institution.

CHAPTER-IV

MINIMUM ESSENTIAL STANDARD REQUIREMENTS TO ESTABLISH A NEW SOWA-RIGPA UNDERGRADUATE MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION OR

TO INCREASE THE NUMBER OF SEATS IN AN EXISTING UNDERGRADUATE PROGRAMME OR COURSE UNDER SECTION 29 OF THE ACT

7. (1) No person shall establish a new Sowa-Rigpa medical college or increase the number of seats or student intake capacity or admission capacity in an existing undergraduate programme or course without the prior permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under section 29 of the Act.

(2) Any person (society or trust or University or any other body but does not include Central Government) is intending to establish a new Sowa-Rigpa medical college or institution or to increase the number of seats, student intake capacity or admission capacity in any existing course recognised by the National Commission for Indian System of Medicine shall follow the criteria and procedure as mentioned in regulations 8 to 13 and shall submit a scheme or application in such form specified in regulation 8 and Annexures-I and II, containing such particulars accompanied by specified application fee and in such manner as specified in these regulations to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

8. Application Form of Scheme.- (1) Any person (applicant) intending to establish a new Sowa-Rigpa medical college or institution shall submit the application or scheme or proposal through online or offline in Form-1 (Annexure-I) as amended from time to time, in such manner along with required documents or particulars or enclosures, and non-refundable application fee as mentioned in these regulations.

(2) Any Sowa-Rigpa medical college or institution intending to increase the number of seats or student intake capacity or admission capacity in any existing course recognised by the National Commission for Indian System of Medicine shall submit the application through online or offline in Form-2 (Annexure-II) as amended from time to

time, in such manner along with required documents or particulars or enclosures and non-refundable application fee as mentioned in these regulations.

(3) General instructions: (a) the last date for the receipt of application shall be announced by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or displayed on National Commission for Indian System of Medicine website every year;

(b) incomplete applications shall not be entertained in any case;

(c) there is no provision for withdrawal of applications after last date and in such case the application fee shall not be refunded in any case;

(d) any document of local or regional language shall be submitted in transcript of Hindi or English; and

(e) it is understood that before submission of application, the applicant should have gone through and understood the Act, and the concerned regulations thoroughly.

9. Authority to whom the schemes or application shall be submitted.- Such application or scheme or proposal as mentioned under regulation 8, shall be submitted through online or offline to the President, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, within the period specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

10. Eligibility for Making an Application.- (1) Application to establish a new Sowa-Rigpa medical college or institution: For making an application under sub-regulation (1) of regulation 8 (Form-1), a person or applicant shall be eligible if,-

(a) the application for establishment of new Sowa-Rigpa undergraduate medical college shall be for the student intake capacity as specified in these regulations;

(b) at the time of submission of application or scheme or proposal, the Sowa-Rigpa hospital shall have completed not less than one year of functionality after registration of the hospital;

(c) it is mandatory for the hospital to have the appropriate registration and shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission or clearance to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(d) furnishes the documents to authenticate that, applicant's one of the objectives is to impart Sowa-Rigpa medical education;

(e) furnishes the documents to authenticate that the land shall be owned by the college or possessed on lease, in the name of the college for a period not less than thirty years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory Administration and renewal shall be required on expiry of lease; and

(i) for student intake capacity up to fifteen seats, a single piece of land not less than one acre for hilly region and two acres for plain region;

(ii) for student intake capacity from sixteen to thirty seats, the land shall not be less than one and half acres for hilly region and three acres for plain region and in not more than two plots at a distance not exceeding five kilometers; and the plot, if separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land;

(f) furnishes 'No Objection Certificate' or 'Essentiality Certificate' in Form-3 (Annexure-III) from the concerned State or Union territory Administration for establishing a new Sowa-Rigpa medical college or institution at the proposed site;

(g) furnishes 'Consent of Affiliation' in Form-5 (Annexure-V) from the university established under any Central or State statute for establishing a new Sowa-Rigpa medical college or institution;

(h) furnishes an undertaking that, owns and manages a hospital in Sowa-Rigpa and in a position to establish infrastructure and manpower in phased manner (phase-wise establishments and specific requirements for new colleges) laid down in these regulations;

(i) furnishes an undertaking that, selection or admission of students shall be made strictly through counselling on the basis academic merit of the National Commission for Indian System of Medicine-National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa Undergraduate programme as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Sowa-Rigpa Education Regulations, 2022)

and maximum number of admissions shall not exceed the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(j) furnishes an undertaking that, the nomenclature of courses and requirements of teaching staff shall be maintained as laid down in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Sowa-Rigpa Education Regulations, 2022);

(k) furnishes an undertaking that, has not already admitted student in any class or standard or course or training of the proposed Sowa-Rigpa medical college or institution;

(l) furnishes an undertaking that, is in a position to pay fixed security deposit valid for a period of five years in favour of the “the National Commission Fund for Indian System of Medicine, New Delhi” and the amount to be paid as follows:-

(i) for the establishment of new Sowa-Rigpa medical college or institution up to fifteen seats (fifteen student intake capacity)- rupees twenty-five lakhs;

(ii) for the establishment of new Sowa-Rigpa medical college or institution between sixteen to thirty seats (thirty student intake capacity)- rupees fifty lakhs;

provided that it shall not apply to the colleges governed by the Central or State Governments or Union territory Administration if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per time bound programme indicated by them.

(2) Application to increase number of seats or student intake capacity or admission capacity in existing undergraduate programme or course recognized by the National Commission for Indian System of Medicine: For making an application under sub-regulation (2) of regulation 8 (Form-2), a Sowa-Rigpa medical college or institution shall be eligible if,

(a) furnishes ‘No Objection Certificate’ or ‘Essentiality Certificate’ in Form-4 (Annexure-IV) from the concerned State or Union territory Administration for permission to increase number of seats or student intake capacity or admission capacity;

(b) furnishes ‘Consent of Affiliation’ in Form-5 (Annexure-V) from a university established under any Central or State statute to increase the number of seats or student intake capacity or admission capacity;

(c) furnishes an undertaking that the college is able to produce documentary evidence in support of additional financial resources, staff, space, equipment, instruments and other infrastructure as mentioned in these regulations notified by the National Commission for Indian System of Medicine;

(d) furnishes the documents to authenticate that the college permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or the erstwhile Central Council for Indian Medicine or the Central government for running undergraduate programme or course in Sowa-Rigpa and completed at least four years and six months in case of undergraduate programme or course after first permission:

provided that the college or institution being owned or managed by the Central Government, or the State Government or Union territory Administration is exempted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, from fulfilling this criteria;

(e) furnishes an undertaking that, selection or admission of students shall be made strictly through counselling on the basis academic merit of the National Commission for Indian System of Medicine-National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa Undergraduate Programme as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Sowa-Rigpa Education Regulations, 2022);

(f) furnishes an undertaking that the ratio of teaching staff and students shall be maintained as mentioned in these regulations;

(g) furnishes an undertaking that the maximum number of admissions shall not exceed the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(h) furnishes an undertaking that in a position to establish infrastructure and manpower in respect of student intake capacity in such manner as specified in these regulations;

(i) furnishes an undertaking that, is in a position to pay a fixed security deposit valid for five years in favour of the “the National Commission Fund for Indian System of Medicine, New Delhi” and the amount to be paid as follows,-

the security deposit amount for increasing the student intake capacity from ‘up to fifteen’ slab to ‘sixteen to thirty’ slab is rupees twelve lakhs fifty thousand; provided that it shall not apply to the colleges governed by

the State Government or Union territory Administration, if they give an Undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per time bound programme indicated by them.

11. Fee to be submitted along with application.- An application along with all necessary documents or enclosures to be submitted as mentioned under regulation 8 of these regulations shall be accompanied by the following non-refundable application fee,-

- (1) to establish a new undergraduate Sowa-Rigpa medical college or institution- rupees two lakhs fifty thousand.
- (2) to increase the number of seats or student intake capacity or admission capacity in existing undergraduate programme or course- rupees one lakh twenty-five thousand.

The non-refundable application fee shall be paid by way of demand draft or online payment (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of medicine in favour of “the National Commission Fund for Indian System of Medicine” along with applicable taxes.

12. Assessment and Permission under section 29.- (1) After receipt of the application or scheme or proposal to establish a new medical college or institution or to increase the number of seats or student intake capacity or admission capacity within the stipulated period as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall scrutinise the application on the basis of,-

- (a) eligibility criteria;
- (b) application fee;
- (c) No Objection Certificate or Essentiality Certificate issued by the State Government or Union territory Administration;
- (d) Consent of Affiliation issued by the University; and
- (e) documents, affidavit, undertaking, as listed in Annexures I, and II as applicable, submitted by the college or institution.

(2) The ineligible and incomplete applications without mandatory documents as specified in these regulations shall be rejected and returned to the applicant by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine; however, before such rejection, the applicant shall be given an opportunity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to rectify the shortcomings within the time period as mentioned by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(3) If the application is considered eligible after scrutiny, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall inspect or visit the college (physical or virtual or hybrid mode or as decided by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine) and if the applicant college or institution is found eligible as specified in the regulation 10, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall issue Letter of Intent.

(4) After issuance of Letter of Intent, based on the compliance report submitted by the college or institution, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall again inspect or visit the college or institution and verify the compliance or fulfillment of the minimum essential standard requirements of teaching or training or research, the minimum essential standard requirements for infrastructure, facility, teaching faculty, human resources, functionality and other requirements specified for first phase of establishment (as specified in the sub-regulation (1) of regulation 13 in these regulations for new colleges) or requirements as per the student intake capacity and other conditions of Letter of Intent; and accordingly the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall issue an order either approving (Letter of Permission) or disapproving (Denial of Permission) the application or scheme or proposal within six months from the date of receipt of such scheme or proposal or application;

Provided that before disapproving such eligible application or scheme, an opportunity to rectify the defects shall be given to the person or applicant by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(5) If the permission is denied or where after the submission of the application or scheme or proposal by the applicant in such form with all particulars along with specified fee, no order is passed by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine within six months of submitting an application or proposal or scheme, the aggrieved applicant may prefer a first appeal (through online or offline as specified by the Commission) to the Commission within fifteen days of such denial or disapproval or after lapse of six months as the case may be.

(6) Upon receipt of appeal, the Commission shall examine the appeal and the applicant shall be given an opportunity for hearing through online or offline as decided by the commission.

(7) After hearing, in case, if the Commission found that the applicant is fulfilling all requirements of minimum essential standards as specified in these regulations, the Commission may direct the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to consider the application; In case, if the applicant is not fulfilling the minimum essential standard requirements, the Commission shall disapprove or reject the application. The Commission shall communicate such a decision to the applicant within fifteen days from the date of preferring the appeal.

(8) Where the Commission denied or disapproved the application or proposal or scheme or no order has been passed within fifteen days from the date of preferring first appeal under sub-regulation (5), the aggrieved applicant or person may prefer a second appeal to the Central Government (Ministry of AYUSH) within seven days of communication of such denial or disapproval or lapse of specified period of fifteen days.

(9) Renewal of permission of newly established college recognised under section 29.- (a) after Letter of Permission, it is the responsibility of the college or institution to apply for the renewal of permission every year for admitting the students for the upcoming or next academic session to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine along with a compliance report with all documents before 31st December every year and submit annual disclosure in visitation proforma as per the timeline and procedure specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time;

(b) the Letter of Permission granted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to establish a new medical college or institution shall be valid for one year and it shall be renewed on yearly basis (i.e, first renewal, second renewal and third renewal) until the college or institution is recognised as a fully established institution under section 28 of the Act, and the details are shown in the Table-4;

(c) first renewal: the college shall submit the compliance report in respect to the fulfilment of minimum essential standard requirements as specified in these regulations for second phase of establishment (as per the sub-regulation (2) of regulation 13 on or before 31st day of December and annual disclosure in visitation proforma as per the timeline and procedure specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time;

(d) the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall conduct inspection or visitation, examine or scrutiny the compliance report, visitation proforma and documents submitted by the college and observation made by the visitors in their report. On fulfilment of minimum essential standard requirements and annual targets for second phase of establishment (as per the sub-regulation (2) of the regulation 13), the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall issue the renewal of permission (first renewal) on or before 30th day of June as mentioned in the regulation 15 to admit second batch of students for the upcoming or next academic session;

(e) the same method mentioned in the above clauses (c) and (d) shall be followed for second and third renewal of permission (for fulfilment of third and final phase of establishments respectively) to admit third and fourth batch of students respectively as shown in the Table-4;

(f) after third renewal of permission in the succeeding years, the institution shall be treated as fully established college or institution as per the section 28 of the Act, and shall be entitled for rating as shown in the Table-4;

(g) after third renewal, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall visit the college or institution *suo-moto* every year as per the procedure mentioned in the regulation 3 of these

regulations for fully established existing colleges for grant of permission or denial or to take such measures mentioned in the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act and for rating;

(h) in case of non-fulfilment of minimum essential standard requirement and not attaining annual targets at any phase of establishment of the institution under section 29, in such case, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall deny the renewal of permission; before such denial of renewal of permission, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall convey the deficiencies to the applicant college and provide them an opportunity to rectify the deficiencies. In case if the college or institution is denied the renewal of permission, the college or institution shall not admit the students for the upcoming or next academic session;

(i) the conditional permission of one year mentioned in sub-regulation (2) of regulation 3 shall not be applicable for new colleges i.e, institution, or college under establishment (undergoing phase-wise establishment process under section 29) and applicable only for fully established college or institution.

Table-4

Details of Letter of Intent, Letter of Permission, Renewal of Permission, and Category of New Sowa-Rigpa Colleges or Institutions

| Serial Number (1) | Section of the Act 2020. (2) | Permission and Renewal of Permission. (3) | Category. (4) | Batch. (5) |
|-------------------|------------------------------|---|--|--|
| 1 | 29 | Letter of Intent | institution under consideration | -- |
| 2 | | Letter of Permission | Recognised college or institution under establishment (completion of first phase of establishment) | Permission to admit the first batch of students |
| 3 | | Renewal of Permission (First) | Recognised college or institution under establishment (completion of second phase of establishment) | Permission to admit the second batch of students |
| 4 | | Renewal of Permission (Second) | Recognised college or institution under establishment (completion of third phase of establishment) | Permission to admit the third batch of students |
| 5 | | Renewal of Permission (Third) | Recognised college or institution under establishment (completion of fourth or final phase of establishment) | Permission to admit the fourth batch of students |
| 6 | 28 | Permission with Rating | Fully established recognised college or institution. Entitled for Rating. | Permission to admit the fifth batch of students |

(10) The visitation fee for issuing Letter of Intent, Letter of Permission, Letter of Renewal of Permission in connection with establishment of new college or institution and for increase number of seats shall be paid as given below by way of a Demand Draft or Online Payment (National Electronic Funds Transfer or Real Time Gross Settlement) as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine in favour of 'the National Commission Fund for Indian System of Medicine' New Delhi along with all applicable taxes,-

- (i) Visitation fee: Rupees one lakh (per visitation);
- (ii) Digitisation fee: Rupees thirty thousand (per visitation).

13. Phase-Wise Establishments of New Colleges or Institutions and Requirements of Minimum Essential Standards.- Sowa-Rigpa colleges, permitted for starting Menpa Kachupa (Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery) course under section 29 of the Act, shall establish infrastructure, facilities, and manpower phase-wise, namely,-

(1) Before admission of the first batch of students, the college or institution shall fulfill the minimum essential standard requirements of the first phase of establishment namely:- (a) at the time of submission of application, there shall be a fully developed hospital building in the proposed land as specified in sub-regulation (1) and (2) of regulation 4 with fully-functional and registered Sowa-Rigpa hospital, existing not less than one year prior to the date of application as specified in the clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 10, having appropriate number of beds, bed occupancy and out-patient attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in clause (b) of sub-regulation (4) under regulation 4 and sub-regulation (1) of regulation 6;

(b) all teachers as specified in sub-regulation (2) under regulation 5 with the requisite qualification as mentioned in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Sowa-Rigpa Education Regulations, 2022) and non-teaching staff as specified in sub-regulation (3) under regulation 5 which are required for first professional session of teaching and training shall be appointed;

(c) (i) minimum one specialist doctor or clinical teacher with requisite qualifications in each of the two combined out-patient departments [1. combined department of *lus nad* (General Medicine) and *gdon nad dang dug nad* (Clinical Psychology and Toxicology) and 2. combined department of *dpyad sbyong* (External Therapy and Surgery) and *byis nad dang mo nad* (Paediatrics and Gynaecology)] shall be appointed;

(ii) the experience of specialist doctor or clinical teacher shall be considered as a teacher from the date of appointment of the specialist doctor or clinical teacher or one year prior to the submission of application by the applicant to the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine to establish a college or institution whichever is lesser;

(d) External therapy section and Minor Operation Theatre, Clinical laboratory as mentioned in Schedule-I, Schedule-X and Schedule-XI; and instruments and equipment in Out- Patient Department and In-Patient Department as per the Schedule- XII;

(e) a library with two thousand five hundred books with fifteen seating capacity for up to fifteen students intake capacity and a library with twenty-five seating capacity for sixteen to thirty students intake capacity and staff as specified in Schedule-VI;

(f) well-equipped and furnished two lecture halls or classrooms, teaching departments attached with laboratory, museum and other ancillary units or sections as applicable (i.e., dissection hall, anatomy museum, physiology laboratory, language laboratory, pathology laboratory) for the first professional session of teaching and training with all infrastructure, facilities, manpower as specified in Schedules-I to XIII as applicable and shall have Medical Education Unit as per the clause (i) sub-regulation (5) of regulation 4 and Information Technology Support and Communication facilities as per the clause (h) sub-regulation (5) of regulation 4;

(g) there shall be a Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory and Materia Medica Museum attached to Department of *smam rdzas dang smam sbyor* (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics) with minimum area as specified in Schedule-II, equipment or instruments as specified in Schedule-IX and specimens in the Materia Medica Museum as per Schedule-XIII;

(h) an herbal garden covering over one thousand square meter of land and one thousand five hundred square meters of land for admission up to fifteen seats and sixteen to thirty seats respectively as per Schedule-III with plantation of minimum thirty species of medicinal plants and staff as mentioned in Schedule-VI;

(i) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV; and

(j) there shall be a biometric attendance system supported with web camera based computerised attendance system for teaching staff, non-teaching college staff and hospital staff.

(2) Before admission of second batch of the students, the college or institution shall fulfill or maintain the minimum essential standard requirements of the second phase of establishment, namely:- (a) there shall be a functional Sowa-Rigpa hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and out-patient attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified clause (b) of sub-regulation (4) under regulation 4 and sub-regulation (1) of regulation 6;

(b) all teachers as specified in sub-regulation (2) under regulation 5 with the requisite qualification as mentioned in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Sowa-Rigpa Education Regulations, 2022) and non-teaching staff as specified in sub-regulation (3) under regulation 5, which are required for the first and the second professional sessions of teaching and training;

(c) minimum one specialist doctor or one clinical teacher with requisite mandatory qualifications in each of the two combined out-patient departments [(1. combined department of *lus nad* (General Medicine) and *gdon nad dang dug nad* (Clinical Psychology and Toxicology) and 2. combined department of *dpyad sbyong* (External Therapy and Surgery) and *byis nad dang mo nad* (Paediatrics and Gynaecology)];

(d) External therapy section and Minor Operation Theatre, Clinical laboratory as mentioned in Schedule-I and facilities as per the Schedule-X and XI; and instruments and equipment in Out- Patient Department and In-Patient Department as per the Schedule- XII;

(e) a library with three thousand books with twenty seating capacity for up to fifteen students intake capacity and a library with forty seating capacity for sixteen to thirty students intake capacity and staff as specified in Schedule-VI;

(f) well-equipped and furnished three lecture halls or class rooms, teaching departments, attached with laboratories, museum and other ancillary units or sections as applicable (i.e., dissection hall, anatomy museum, physiology laboratory, language laboratory, pathology laboratory) for first and second professional session of teaching and training with all infrastructure, facilities, man power as specified in Schedules-I to XIII as applicable and shall have Medical Education Unit as per the clause (i) sub-regulation (5) of regulation 4, Information Technology support and communication facilities as per the clause (h) sub-regulation (5) of regulation 4 and Clinical Skill Laboratory as per the clause (d) sub-regulation (5) of regulation 4;

(g) there shall be a Teaching pharmacy and Quality Testing Laboratory and Materia Medica Museum attached to Department of *smān rdzas dang smān sbyor* (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics) with minimum area as specified in Schedule-II, equipment or instruments as specified in Schedule-IX and specimens in the Materia medica museum as per Schedule-XIII;

(h) an herbal garden covering over one thousand square meter of land and one thousand five hundred square meters of land for admission up to fifteen seats and sixteen to thirty seats respectively as per Schedule-III with plantation of minimum forty species of medicinal plants;

(i) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV; and

(j) there shall be biometric attendance system supported with web camera based computerized attendance system for teaching staff, non-teaching college staff and hospital staff.

(3) Before admission of third batch of students, the college or institution shall fulfil or maintain the minimum essential standard requirements of the third phase of establishment as follow.- (a) there shall be a functional Sowa-Rigpa hospital having appropriate number of beds, bed occupancy and out-patient attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified clause (b) of sub-regulation (4) under regulation 4 and sub-regulation (1) of regulation 6;

(b) all teachers as specified in sub-regulation (2) under regulation 5 with the requisite qualification as mentioned in the concerned National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Sowa-Rigpa Education Regulations, 2022) and non-teaching staff as specified in sub-regulation (3) under regulation 5, which are required for the first and the second professional sessions of teaching and training;

(c) minimum one specialist doctor or one clinical teacher in each of the two combined Out-Patient Departments [1. Combined department of *lus nad* (General Medicine) and *gdon nad dang dug nad* (Clinical Psychology and Toxicology) and 2. Combined department of *dpyad sbyong* (External Therapy and Surgery) and *byis nad dang mo nad* (Paediatrics and Gynaecology)];

(d) External therapy section and Minor Operation Theatre, Clinical laboratory as mentioned in Schedule-I and facilities as per the Schedule-X and XI; and instruments and equipment in Out- Patient Department and In-Patient Department as per the Schedule- XII;

(e) a library with three thousand five hundred books with twenty seating capacity for up to fifteen students intake capacity and a library with forty seating capacity for sixteen to thirty students intake capacity and staff as specified in Schedule-VI;

(f) well-equipped and furnished four lecture halls or class rooms, teaching departments, attached with laboratories, museum and other ancillary units or sections as applicable (i.e., dissection hall, anatomy museum, physiology laboratory, language laboratory, pathology laboratory) for first and second professional session of teaching and training with all infrastructure, facilities, man power as specified in Schedule-I to XIII and shall have Medical Education Unit as per the clause (i) sub-regulation (5) of regulation 4, Information Technology support and communication facilities as per the clause (h) sub-regulation (5) of regulation 4 and Clinical Skill Laboratory as per the clause (d) sub-regulation (5) of regulation 4;

(g) Teaching pharmacy and Quality Testing Laboratory and Museum attached to Department of *smān rdzas dang smān sbyor* (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics) with minimum area as specified in Schedule-II, equipment or instruments as specified in Schedule-IX and specimens in the Materia medica museum as per Schedule-XIII;

(h) an herbal garden covering over one thousand square meter of land and one thousand five hundred square meters of land for admission up to fifteen seats and sixteen to thirty seats respectively as per Schedule-III with plantation of minimum fifty species of medicinal plants;

(i) all the hospital staff shall be as specified in Schedule-IV; and

(j) there shall be biometric attendance system supported with web camera based computerised attendance system for teaching staff, non-teaching college staff and hospital staff.

(4) Before the commencement of fourth batch of students, the college or institution shall fulfil or maintain the minimum essential standard requirements of the fourth (final) phase of establishment as follow.- (a) there shall be a functional Sowa-Rigpa hospital with four independent Out-Patient Departments as specified in clause (d) under sub-regulation (4) of regulation 4 having appropriate number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance corresponding to the annual students intake capacity as specified in clause (b) of sub-regulation (4) under regulation 4 and sub-regulation (1) of regulation 6;

(b) all teachers as specified in sub-regulation (2) under regulation 5 with the requisite qualification as mentioned in the concerned NCISM regulations and non-teaching staff as specified in sub-regulation (3) under regulation 5, which are required for the first, second and third professional session of teaching and training;

(c) all infrastructure, facilities and manpower requirements of college, hospital and other units in accordance with as specified in these regulations 4 to 6 and Schedule-I to XIII;

(d) a library with four thousand books, seating capacity of thirty persons for admission up to fifteen student intake capacity and seating capacity of fifty persons for sixteen to thirty student intake capacity and staff as specified in Schedule-VI;

(e) well-equipped and furnished five lecture halls or class rooms, teaching departments, attached with laboratories, museum and other ancillary units or sections as applicable (i.e., dissection hall, anatomy museum, physiology laboratory, language laboratory, pathology laboratory), for first, second and third professional session of teaching and training with all infrastructure, facilities, man power as specified in Schedules-I to XIII and shall have shall have Medical Education Unit as per the clause (i) sub-regulation (5) of regulation 4, Information Technology support and communication facilities as per the clause (h) sub-regulation (5) of regulation 4 and Clinical Skill Laboratory as per the clause (d) sub-regulation (5) of regulation 4;

(f) the Teaching pharmacy and Quality Testing Laboratory and Museum attached to Department of *smān rdzas dang smān sbyor* (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics) with minimum area as specified in Schedule-II, equipment or instruments as specified in Schedule-IX and specimens in the museum as per Schedule-XIII;

(g) a fully developed herbal garden with minimum seventy species of medicinal plants as specified in Schedule-III;

(h) assured round the clock availability of medical services including medicines, paramedical staff, doctors and emergency management in the hospital; and

(i) there shall be biometric attendance system supported with web camera based computerised attendance system for teaching staff, non-teaching college staff and hospital staff.

CHAPTER-V

RATING OF FULLY ESTABLISHED EXISTING SOWA-RIGPA MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTIONS UNDER SECTION 28 OF THE ACT

14. Rating of fully Established or Existing Sowa-Rigpa Colleges.- (1) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall assess and rate the college or institution every year as per the procedure determined by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine in accordance with the key areas and standards determined by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa in these regulations (Annexure-VI) or as amended from time to time.

(2) The standards and criteria mentioned for rating are over and above the minimum essential standards as mentioned in these regulations; Rating process is intended for rating the fully established colleges or institutions based on infrastructural standards, human resources and functionality over and above the minimum standards requirements, and encouraging institutions to move towards higher standards in the area such as teaching, training,

human resource development, healthcare services, research, innovations, co-curricular or extra-curricular activities, new establishments, educational administration, education ecosystem etc.

(3) The fully established recognised colleges or institutions under section 28, fulfilling all Minimum Essential Standard Requirements as mentioned in these regulations shall be eligible for rating; the college or institution, which has been denied permission by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine National Commission for Indian System of Medicine or Government of India shall not be considered for rating for the particular academic session.

(4) The newly established colleges under section 29, which are undergoing phase-wise establishment shall not be considered eligible for rating, until they complete all four phase-wise establishments (first, second, third, fourth or final) and annual targets as specified in regulation 13 of these regulations.

(5) Calculation method for Rating of college or institution as follows:

(a) Key Indicators or Standards, Assessment criteria, Rating criteria, and Indicator wise-maximum score are given in the column (B), (C), (D), and (E) respectively in the Annexure-V

(b) Each 01 point in the column (D) shall be considered as 01 score;

(c) Key indicator wise score (column D) to be converted to maximum 10 score (column E) and grand total score obtained by the college or institution (column F) to be calculated;

(d) Conversion of total score into percentage of score, obtained by the College or institution shall be calculated as follow;

Total score obtained.

----- X 100

400 (Total maximum score)

(6) Rating of the college or institution shall be awarded or granted as per the assessment outcome as shown in the Table-5.

(7) The annual rating fee if any, apart from the visitation fee and digitisation fee as mentioned in these regulations shall be fixed by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

Table-5

Total Score in Percentage, Status and Rating

| Score in percentage obtained by the College or Institution. (1) | Status. (2) | Rating. (Mulyankan or <i>gnas tshad</i>) (3) |
|--|--|---|
| 81-100 | Uttam or <i>phul byung</i> or Excellent | A |
| 51-80 | Madhyam or <i>legs</i> or Good | B |
| Upto 50 | Santhoshjanak or <i>dodlo khend tsam</i> or Satisfactory | C |

15. Date of completion of permission and rating process and cut-off-date for admission in Sowa-Rigpa Colleges.- (1) The process of grant or denial of permission to the Sowa-Rigpa Medical Colleges or Institutions for taking admissions and rating process shall be completed by the 30th June of each academic year or session.

(2) The cut-off-date for admission in Sowa-Rigpa colleges ordinarily be the 30th September of each academic session or as specified by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time.

SCHEDULE-I

(See regulations 4 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of an Attached Teaching Hospital of a Sowa-Rigpa Medical College or Institution

| Serial Number (1) | Particulars (2) | Built up area (in square meters) for up to fifteen students intake capacity. (3) | Built up area (in square meters) for sixteen-thirty students intake capacity. (4) |
|----------------------|--|---|--|
| | Total constructed area of hospital building | 600 | 1000 |

| | | | |
|---|---|------------|-------------|
| I | Hospital Administration Block: | 50 | 75 |
| | 1. Superintendent room or Deputy Superintendent room | | |
| | 2. Medical officer's room (for two Resident Medical Officer) | | |
| | 3. Matron or Nursing Superintendent room | | |
| II | Out-Patient Departments: | 100 | 150 |
| | 1. Separate Out-Patient Department (i) <i>lus nad</i> (General Medicine) (ii) <i>dpyad sbyong</i> (External Therapy and Surgery) (iii) <i>byis nad dang mo nad</i> (Paediatrics and Gynaecology) (iv) <i>gdon nad dang dug nad</i> (Clinical Psychology and Toxicology) | | |
| | 2. Dressing and First Aid Room | | |
| | 3. Dispensary | | |
| | 4. Waiting Space for patients | | |
| | 5. Store | | |
| | 6. Separate Male and Female Toilets for patients and staff | | |
| III | In-Patient Departments: | 300 | 500 |
| | 1. Separate wards for male and female patients with attached toilet and bath | | |
| | 2. Doctors duty room with attached toilet and bath | | |
| | 3. Nursing staff duty room with attached toilet and bath | | |
| IV | <i>dpyad sbyong</i> (External Therapy and Minor Operation Theatre) Block: | 100 | 200 |
| | 1. <i>bshal</i> (Male and Female separately) | | |
| | 2. <i>skyugs</i> (Male and Female separately) | | |
| | 3. <i>snas man</i> (Male and Female separately) | | |
| | 4. <i>'jam rtsi and ni ru ha</i> (Male and Female separately) | | |
| | 5. <i>dugs</i> (Male and Female separately) | | |
| | 6. <i>lums</i> (Male and Female separately) | | |
| | 7. <i>byug pa</i> (Male and Female separately) | | |
| | 8. <i>gtar</i> (Male and Female separately) | | |
| | 9. <i>bsreg</i> (Male and Female separately) | | |
| | 10. Therapist or Physician's room | | |
| | 11. Storeroom | | |
| | 12. Toilet-bathroom facilities for male and female separately with wash basin and geyser facility in <i>dpyad sbyong</i> (External Therapy and Minor Operation Theatre) block. These will be in addition to the toilets of wards. | | |
| V | Clinical laboratory | 10 | 20 |
| VI | Hospital Kitchen and Canteen | 25 | 30 |
| VII | Store and Mortuary | 15 | 25 |
| Total | | 600 | 1000 |
| Note: For conditional permission the above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent. but the total constructed area of attached hospital shall be as per the area specified in sub-regulation (b) of regulation 4. | | | |

SCHEDULE-II

(See regulations 4 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of a Sowa-Rigpa Medical College or Institution

| Serial Number | Particulars | Build up area (in square meters) for up to fifteen students intake capacity. | Build up area (in square meters) for sixteen - thirty students intake capacity. |
|---------------|-------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |

| Total Constructed area of college building | | 600 | 1000 |
|---|--|------------|-------------|
| I | Administrative Section: Administrative section of the college shall include Principal's Room, Personal Assistant's Room, Reception, Visitor's lounge, Staff Committee room, Clerk's room, Cash and Accounts section, Record room, Central store and separate toilets for gents and ladies. | 100 | 150 |
| II | Lecture Halls: There shall be at least five lecture halls, each having the area of not less than twenty-five square meter area for intake up to fifteen students and forty square meter area for intake from sixteen to thirty seats, with proper electricity supply, audio-visual teaching aids, fans or coolers and comfortable seating arrangement preferably theatre type. Separate toilets for boys and girls shall be constructed in each floor. | 125 | 200 |
| III | Seminar or Conference or Examination Hall or Multi-purpose Hall: A large hall with seating capacity for one hundred to two hundred persons shall be available within the college premises for meetings, seminars, conferences, symposia, examination, counselling etc. The hall shall have adequate electrical and seating arrangement and audio-visual system, toilet facilities. | 100 | 140 |
| IV | Central Library: A central library shall have seating capacity for at least thirty persons for up to fifteen students intake capacity and fifty persons for sixteen to thirty students intake capacity, adequate number of shelves or almirahs, sufficient space for keeping stocks, separate reading space for teachers, librarian's room, photocopier or video space, computer with printer and internet facility. The library shall have proper light arrangement, fans, or coolers, drinking water arrangement and toilet facilities. The library shall have two thousand five hundred books of different titles of Sowa-Rigpa, modern medicine and allied sciences at the time of first batch admission of students. The number of books shall increase to three thousand, three thousand five hundred, four thousand respectively before the admission of second, third and fourth batches of students. The college with existence for five years or more shall have more than four thousand books | 80 | 120 |
| V | Teaching Departments: There shall be Eight Teaching Departments each with rooms for teachers and staff. Department-wise area requirement shall be as under: - | 120 | 240 |
| | 1. <i>lo rgyus dang lta grub</i> (History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa) Department with Language Laboratory. | 10 | 20 |
| | 2. <i>grub pa lus</i> (Human Anatomy and Physiology) Department with Dissection Hall, Anatomy Museum and Physiology Practical Laboratory | 20 | 40 |
| | 3. <i>sman rdzas dang sman sbyor</i> (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics) Department with Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory, Materia Medica Museum. | 20 | 40 |
| | 4. <i>tha mal nad med dang brtag thabs</i> (Disease Prevention and Sowa-Rigpa Pathology) Department with Pathology Practical Laboratory, Clinical Skill Laboratory | 10 | 20 |
| | 5. <i>dpyad sbyong</i> (External Therapy and Surgery) Department | 15 | 30 |
| | 6. <i>lus nad</i> (General Medicine) Department | 20 | 40 |
| | 7. <i>byis nad dang mo nad</i> (Paediatrics and Gynaecology) Department | 15 | 30 |
| | 8. <i>gdon nad dang dug nad</i> (Clinical Psychology and Toxicology) Department | 10 | 20 |
| VI | Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: The college shall have a teaching pharmacy with proper training facilities for preparation of different types of Sowa-Rigpa medicines, a raw drug store and drug identification. Quality Testing Laboratory of Pharmacy will be used for quality | 40 | 80 |

| | | | |
|---|---|------------|-------------|
| | analysis of drugs and for teaching or research purpose. | | |
| VII | Common rooms: Common rooms for students (boys and girls separately) with sitting arrangement shall be available | 20 | 30 |
| VIII | Canteen: Canteen facility with seating arrangement for about twenty-five persons (up to fifteen students intake) and fifty persons (sixteen to thirty students intake) shall be available in the college premises. | 15 | 40 |
| Total | | 600 | 1000 |
| Note: 1. For conditional permission the above indicated subdivided area among various components may vary within plus or minus twenty per cent. but the total constructed area of Sowa-Rigpa college shall be as per the area specified in sub-regulation (b) of regulation 4. | | | |
| 2. The college or institution shall provide adequate space for Medical Education Unit in the college building additionally. | | | |

SCHEDULE-III

(See regulations 3, 4 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of Herbal Garden of a Sowa-Rigpa Medical College or Institution

| Serial Number (1) | Particulars (2) | Area (in square meters) up to fifteen students intake capacity (3) | Area (in square meters) sixteen to thirty students intake capacity (4) |
|---|---|--|--|
| I | Herbal Garden: A well-developed medicinal plant garden with seventy species of medicinal plants. | 1000 | 1500 |
| Note: For conditional permission, the above indicated area may vary within plus or minus twenty per cent within the total area of Sowa-Rigpa college as specified in sub-regulation (a) of regulation 4. | | | |

SCHEDULE-IV

(See regulations 3, 5 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of Hospital Staff in the Attached Teaching Hospital of Sowa-Rigpa Medical College or Institution

| Serial Number (1) | Post (2) | Up to fifteen students intake capacity (Required number of hospital staff and their eligibility) (3) | Sixteen-thirty students intake capacity (Required number of hospital staff and their eligibility) (4) |
|-------------------|---|--|--|
| 1. | Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent | 1. Principal or Dean or Director as ex-officio in capacity of Medical Superintendent or 2. Deputy Medical Superintendent with a) a recognised degree in Sowa-Rigpa with two years of clinical experience b) full time regular incumbent other than the teaching staff. | 1. Principal or Dean or Director as ex-officio in capacity of Medical superintendent or 2. Deputy Medical Superintendent with a) a recognised degree in Sowa-Rigpa with two years of clinical experience b) full time regular incumbent other than the teaching staff. |
| 2. | Consultants | Teachers of clinical departments | Teachers of clinical departments |
| 3. | Resident Medical Officers | Two (Graduate in Sowa-Rigpa) | Two (Graduate in Sowa-Rigpa) |
| 4. | Matron or Nursing Superintendent | One (Graduate in Nursing or Diploma in General Nursing and Midwifery with 3 years of experience) | One (Graduate in Nursing or Diploma in General Nursing and Midwifery with 3 years of experience) |
| 5. | Staff Nurses for In Patient | One (one for every ten beds) (Diploma-General Nursing and Midwifery or Dhuerawa) | Two (one for every ten beds) (Diploma-General Nursing and Midwifery or Dhuerawa) |
| 6. | Ward Boy or Ayah | One (one for every ten beds) (Minimum 10 th Standard) | Two (one for every ten beds) (Minimum 10 th Standard) |
| 7. | Pharmacist | One (Diploma in pharmacy or Dhuerawa or 10+2 with orientation in dispensing Sowa-Rigpa Medicines) | One (Diploma in pharmacy or Dhuerawa or 10+2 with orientation in dispensing Sowa-Rigpa Medicines) |
| 8. | Dresser | One (Minimum 10 th Standard) | One (Minimum 10 th Standard) |
| 9. | Office Staff (for registration, accounts, record maintenance, | One (Graduate with experience in accounts and computer applications) | One (Graduate with experience in accounts and computer applications) |

| | | | |
|---|------------------------|---|---|
| | data entry etc.) | | |
| Modern Medical Staff | | | |
| 10. | Medical Specialist | One part time or on contract or on call | One part time or on contract or on call |
| 11. | Pathologist | One part time or on contract or on call | One part time or on contract or on call |
| 12. | Radiologist | One part time or on contract or on call | One part time or on contract or on call |
| Staff for External Therapy and Minor OT Section under <i>dpyad sbyong</i> Department (External Therapy and Surgery) for In-Patient Department and Out-Patient Department | | | |
| 13. | Specialists | Teachers of <i>dpyad sbyong</i> Department | Teachers of <i>dpyad sbyong</i> Department |
| 14. | Assistant or Therapist | One male and One female (Minimum 10 th standard with six months training or orientation in Sowa-Rigpa external therapy) | Two male and Two female (Minimum 10 th standard with six months training or orientation in Sowa-Rigpa external therapy) |
| Clinical Laboratory | | | |
| 15. | Lab technician | One (Recognised degree or diploma in Medical Lab Technician) | One (Recognised degree or diploma in Medical Lab Technician) |
| 16. | Peon or Attendant | One (Minimum 10 th standard) | One (Minimum 10 th standard) |
| | Total | Fifteen excluding teachers of teaching departments as mentioned above | Nineteen excluding teachers of teaching departments as mentioned above |
| <p>Note: 1. The hospital shall be equipped with adequate provision of security, civil and electrical, plumbing, sanitation, dietary and canteen, laundry, waste incineration and disposal services.</p> <p>2. Essential duty staff and services shall be available round the clock.</p> <p>3. Services of non-technical staff like housekeeping, sweeper, electrician, plumber, carpenter, security guards, laundry man, gardener, attendant, cook, sanitation etc. may be on contractual basis or by outsourcing.</p> <p>4. For conditional permission, minimum eighty percent of above hospital staff shall be required.</p> | | | |

SCHEDULE-V

(See regulations 3, 5 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of Teaching staff in Sowa-Rigpa Medical College or Institution

| Serial Number (1) | Teaching Department (2) | Requirement of teaching staff up to fifteen students intake capacity (3) | | | Requirement of teaching staff sixteen to thirty students intake capacity (4) | | |
|----------------------|--|---|---------------------|---|---|---------------------|---|
| | | Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Professor | Associate Professor | Assistant Professor |
| 1. | <i>lo rgyus dang lta grub</i> (History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa) Department | --- | --- | one <i>lo rgyus dang lta grub</i> + one Bhoti Language + one Sowa-Rigpa Medical Astrology | one or one | --- | one <i>lo rgyus dang lta grub</i> + one Bhoti Language + one Sowa-Rigpa Medical Astrology |
| 2. | <i>grub pa lus</i> (Human Anatomy and Physiology) Department | --- | --- | one | --- | --- | one |
| 3. | <i>sman rdzas dang sman sbyor</i> (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics) Department | one or one | --- | one | one or one | --- | two |
| 4. | <i>tha mal nad med dang brtag thabs</i> (Disease Prevention and Sowa-Rigpa Pathology) Department | --- | --- | one | --- | --- | two |
| 5. | <i>dpyad sbyong</i> (External | one or one | --- | one | one or one | --- | two |

| | | | | | |
|----|--|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| | Therapy and Surgery) Department | | | | |
| 6. | <i>lus nad</i> Department (General Medicine) | --- | one | one or one | two |
| 7. | <i>byis nad dang mo nad</i> (Paediatrics and Gynaecology) Department | --- | one | --- | one |
| 8. | <i>gdon nad dang dug nad</i> (Clinical Psychology and Toxicology) Department | --- | one | --- | one |
| | Total | two | Ten | Four | fourteen |
| | | Twelve | | Eighteen | |

Note: 1. The deficiency of teachers shall not exceed more than ten per cent. of total requirement with availability of minimum one teacher in each of eight Departments for seeking conditional permission to undertake admission for upcoming academic session (i.e. minimum eleven teaching staff for fifteen students intake capacity and sixteen for thirty students intake capacity).

2. Wherever additional Professor or Associate Professor (Reader) are available in the Department, the additional Professor or Associate Professor (Reader) shall be considered against the requirement of the Associate Professor (Reader) or Assistant Professor (Lecturer) in the same Department.

3. Additional Professor or Associate Professor (Reader) or Assistant Professor (Lecturer) available in one Department, shall not be counted or considered in the any other department where there is a shortage of faculty.

SCHEDULE-VI

(See regulations 3, 5 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of Non-teaching staff (technical and other staff) of a Sowa-Rigpa Medical College or Institution

| Serial Number (1) | Department or Section (2) | Post (along with eligibility) (3) | Up to fifteen students intake capacity (4) | Sixteen to thirty students intake capacity (5) |
|-------------------|--|--|--|--|
| 1. | Library | Librarian or Assistant Librarian (Bachelor in Library and Information Science) | One | One |
| | | Library Attendant or Peon (Minimum 10 th Standard) | One | One |
| 2. | College Office | Clerical staff (One) (Any Graduate with skills in communication and computer applications) | Two | Two |
| | | Accounts staff (One) (Graduate in Commerce/Business or Hospital Management). | | |
| 3. | Herbal Garden | Gardener | One | One |
| 4. | Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory | Pharmacy Manager | Teacher of <i>sman rdzas dang sman sbyor</i> Department (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics) | |
| | | Peon or Attendant (Minimum 10 th Standard) | One | One |
| | | Multi-Tasking Workers | One | Two |
| Total | | | Seven (7) | Eight (8) |

Note: The peon or attendant, sweeper, lifter, laboratory assistants, Lab attendant, Museum attendant, Data Entry Operator, Multipurpose worker, Security etc. may be appointed on contractual basis or outsourced as per their requirement.

SCHEDULE-VII

(See regulations 3, 4 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of Equipment and Instruments for Anatomy (Dissection Hall) and Physiology Practical Laboratory under the Department of *grub pa lus* (Human Anatomy and Physiology)

| Serial Number (1) | Instruments and Equipment (2) | Up to fifteen students Intake Capacity (3) | Sixteen-thirty students Intake Capacity (4) |
|---|---|--|---|
| A. Anatomy Dissection Hall or Practical Laboratory | | | |
| 1. | Anatomy (Dissection Hall) | | |
| | Tank with a capacity to preserve one body | One | One |
| | Preservative Chemicals | Assorted | Assorted |
| | Dissection Table (Full size) | One | One |
| | Dissection Table (Half size) | One | One |
| 2. | Dissection Tools | Assorted | Assorted |
| | Miscellaneous | | |
| | Bone cutter of the numbers $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ - fine pointed Chisel bone dissector | Assorted | Assorted |
| | Surgical gloves | Assorted | Assorted |
| | Surgical blade | Assorted | Assorted |
| | Disposable syringe – 20cc, 10cc, 5cc | Assorted | Assorted |
| 3. | Towels | Assorted | Assorted |
| | Dustbin | Assorted | Assorted |
| | Furniture and Other Equipment | | |
| | Stools preferably of metal | Fifteen | Thirty |
| | Wash basin | Assorted | Assorted |
| 3. | X-ray viewing facility | One | One |
| | Glass jars of different sizes | Assorted | Assorted |
| B. Anatomy Museum | | | |
| 1. | Specimens | Minimum twenty specimens | |
| <p>Note: 1. If cadaver and dissection facility is not available, the practical anatomy sessions shall be held in collaboration with the nearest Medical College or recognised Hospital where such facilities are available. 2. Sowa-Rigpa traditional Anatomical Thangkas or Charts shall be displayed in the Anatomy lab. 3. Digital mode for anatomy teaching may be provided. 4. The above mentioned are minimum essential standard requirements. However, the facilities required for practical sessions as per the number of the students and syllabus shall be ensured.</p> | | | |
| C. Physiology Practical Laboratory | | | |
| 1. | Microscopes with oil Immersion | One | Two |
| 2. | Westergren's pipette for Erythrocyte Sedimentation Rate | Five | Seven |
| 3. | Haematocrit tube | Five | Seven |
| 4. | Sahli's Haemoglobinometer | Five | Seven |
| 5. | Stethoscope | Three | Seven |
| 6. | Clinical Thermometer | Three | Seven |
| 7. | Knee Hammer | Two | Three |
| 8. | Tuning forks | Two | Three |
| 9. | Stopwatch | Two | Two |
| 10. | Micro slides | Assorted | Assorted |
| 11. | Cover slips, glassware | Assorted | Assorted |
| 12. | Refrigerator | One | One |
| 13. | Sterilizer | One | One |
| 14. | Blood Pressure Apparatus | Two | Two |
| 15. | Torch | Two | Three |
| 16. | Measuring Tape | Two | Four |
| 17. | Weighing machine | One | One |
| 18. | Spirometer | One | One |
| 19. | Peak Flow Meter | One | One |
| 20. | Reagents | Assorted | Assorted |
| 21. | <i>byang khog yul thig</i> 2D or 3D or Chart or Model etc. | Assorted | Assorted |
| 22. | <i>sdong 'grems</i> (Concept mapping) 2D or 3D or Chart or Model etc. | Assorted | Assorted |
| <p>Note: 1. Digital mode for physiology teaching or practical training may be provided. 2. The above mentioned are minimum essential standard requirements. However, the facilities required for practical</p> | | | |

sessions as per the number of the students and syllabus shall be ensured.

SCHEDULE-VIII

(See regulation 3, 4 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of Equipment and Instruments for Sowa-Rigpa Pathology Practical Laboratory under the Department of *tha mal nad med dang brtag thabs* (Disease Prevention and Sowa-Rigpa Pathology)

| Serial Number (1) | Equipment and Instruments (2) | Up to fifteen students intake capacity (3) | Sixteen-thirty students intake capacity (4) |
|----------------------|----------------------------------|--|---|
| 1. | Shelves and Almirahs | Assorted | Assorted |
| 2. | Sowa-Rigpa Urine Analysis Set | Two | Three |
| 3. | Stethoscope | Two | Three |
| 4. | Clinical Thermometer | Two | Three |
| 5. | Knee Hammer | Two | Three |
| 6. | Tongue Depressor | Two | Four |
| 7. | Measuring Tape | Two | Three |
| 8. | Weighing machine | One | One |
| 9. | Blood Pressure Apparatus | Two | Three |
| 10. | Pulse Oximeter | One | One |
| 11. | Glucometer | One | One |

Note: 1. The above mentioned are minimum essential standard requirements. However, the facilities required for practical sessions as per the number of the students and syllabus shall be ensured.

2. Digital mode for Pathology teaching may be provided.

3. Pathology related training shall be held at the clinical laboratory attached to the teaching Hospital.

4. In case of advanced practical training in pathology, collaboration may be made with the nearest Medical College or Hospital or NABH accredited laboratory where such facilities are available.

SCHEDULE-IX

(See regulations 3, 4 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of Equipment and Instruments for Materia Medica Practical Laboratory and Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory under the Department of *smam rdzas dang sman sbyor* (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics)

| Serial Number (1) | Instrument and Equipment (2) | Up to fifteen Students Intake Capacity (3) | Sixteen-thirty Students Intake Capacity (4) |
|---|--|---|--|
| A. Materia Medica Practical Laboratory | | | |
| 1 | Specimen of <i>rin po che'i sman</i> (Gem Medicine and Precious Metal) | five specimens | ten Specimens |
| 2 | Specimen of <i>rdo sman</i> (Stone Medicine) | five Specimens | ten Specimens |
| 3 | Specimen of <i>sa sman</i> (Soil Medicine) | five Specimens | ten Specimens |
| 4 | Specimen of <i>rtsis man</i> (Aromatic Medicine) | five Specimens | eight Specimens |
| 5 | Specimen of <i>shing sman</i> (Wood Medicine) | ten Specimens | fifteen Specimens |
| 6 | Specimen of <i>ldum bu thang sman</i> (Herb Medicine with Strong Root) | ten Specimens | fifteen Specimens |
| 7 | Specimen of <i>sngo sman</i> (Herb Medicine with Thin Root) | twenty Specimens | twenty-five Specimens |
| 8 | Specimen of <i>lan tshwa'i sman</i> (Salt Medicine) | five Specimens | eight Specimens |
| 9 | Materia Medica Thangkas or Scrolls | Five | Eight |
| 10 | Herbarium Specimens | Thirty | Fifty |
| 11 | Herbarium Shelves or Cupboards | Assorted | Assorted |
| 12 | Herbarium preparation tools | Assorted | Assorted |
| B. Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory or Pharmacology and Pharmaceutics Practical Laboratory | | | |
| 1. | Heating Device | | |
| a. | Gas Stove or Electric Stove or Hot Plate or Induction Stove | One | Two |
| b. | Chulha (Charcoal) | One | One |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| 2. | Vessels and Containers | | |
| a. | Brass or Copper | Assorted | Assorted |
| b. | Stainless Steel or Steel | Assorted | Assorted |
| c. | Earthen Vessels – Pots | Assorted | Assorted |
| d. | Wok of different sizes | Assorted | Assorted |
| e. | Pressure Cooker | One | Two |
| f. | Frying Pan | Assorted | Assorted |
| g. | Steel Container for Raw Medicine Storage | Assorted | Assorted |
| 3. | Balance & Weighing Scale | | |
| a. | Physical | One | One |
| b. | Digital | One | One |
| 4. | Miscellaneous | | |
| a. | Spatula | Assorted | Assorted |
| b. | Ladles and Spoons | Assorted | Assorted |
| c. | Knife | Assorted | Assorted |
| d. | Plates | Assorted | Assorted |
| e. | Measuring Equipment Different Size | Assorted | Assorted |
| f. | Sieves (Assorted Nos. and Size) | Assorted | Assorted |
| g. | Scoop | Assorted | Assorted |
| h. | Enamel Trays | Assorted | Assorted |
| 5. | Mixer Grinder | One | Two |
| 6. | Refrigerator | One | One |
| 7. | Almirah and Racks for storage | Assorted | Assorted |
| 8. | Mortar and Pestle of different sizes | Assorted | Assorted |
| 9. | Stone Slab (for Trituration) | Two | Three |
| Note: The above mentioned are minimum essential standard requirements. However, the facilities required for practical sessions as per the number of the students and syllabus shall be ensured. | | | |

SCHEDULE-X

(See regulations 3, 4 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of Equipment and Instruments for External Therapy and Minor Operation Theatre section in the Hospital under the Department of *dpyad sbyong* (External Therapy and Surgery)

| Serial Number (1) | Equipment and Instruments (2) | Required Quantity (3) |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| A. External Therapy Section | | |
| 1. | <i>zangs bum</i> (copper cupping set) | Two |
| 2. | <i>shel bum</i> (glass or plastic cupping set) | Two |
| 3. | <i>tshugs</i> (Heating therapy tool) | Two |
| 4. | Enema Set | Two |
| 5. | Emesis basin | Two |
| 6. | Nasal dropper | Assorted |
| 7. | Medicinal ingredients for compress therapy | Assorted |
| 8. | <i>sgyogs, dep and chings</i> (wooden splints and bandages for fractures and injuries) | Assorted |
| 9. | Therapy Table | one |
| 10. | Gloves, Aprons, Caps and Masks | Assorted |
| 11. | Purgative chair | one |
| 12. | Bed Sheet | Assorted |
| 13. | Thermometer | one |
| 14. | Towel of different sizes | Assorted |
| 15. | Neck Pillow/Bolster | Assorted |
| 16. | Slipper of different sizes | Assorted |
| 17. | Bath Robe | Assorted |
| 18. | Diffuser | two |
| 19. | Gas Stove Set or Electric stove or Hot Plate or Induction Cook-Top | one |
| 20. | Pan | Assorted |
| 21. | Ladle | Assorted |
| 22. | Bathtub | one |

| | | |
|--|---|--------------------|
| 23. | Geyser | one |
| 24. | Steam Chamber | one |
| 25. | Steamer Pot | one |
| 26. | Wall Clock | one |
| 27. | Heater | As per requirement |
| 28. | Side Table | Assorted |
| 29. | Laundry Basket | Assorted |
| 30. | Cupboard | Assorted |
| 31. | Water filter | one |
| 32. | Weighing Machine | one |
| 33. | Blood Pressure Apparatus | one |
| 34. | Scissors | Assorted |
| 35. | Eye Dropper | two |
| 36. | Compress cloth with thread | Assorted |
| B. Minor Operation Theatre or Surgery Section | | |
| 1. | <i>gtsags bu</i> (lancet) | Assorted |
| 2. | <i>gser khab</i> (Golden Needle) | one |
| 3. | <i>me btsa'i yo byad</i> (Moxibustion or Cautery Tool) | one |
| | <i>spra me</i> – Moxa | Assorted |
| | <i>tel pa</i> (Gold or Silver or Copper or Brass or Iron) | one |
| | <i>tel gdan</i> (Cautery Guard or Pad) | one |
| 4. | <i>bsnyal thag</i> (Tourniquet) | one |
| 5. | <i>skar me</i> (shadow less ceiling fitted) (Spotlight) | one |
| 6. | <i>spang ras</i> (Aprons) | Assorted |
| 7. | <i>sman bum</i> (Specimen Jar) | Assorted |
| 8. | <i>rma ras snod</i> (Dressing drum) | one |
| 9. | <i>rma ras snod stegs</i> (Drum stand) | one |
| 10. | <i>rsta khab steg sa</i> (Intravenous Stand) | one |
| 11. | <i>glog par brtag byed</i> (X-ray view Device) | one |
| 12. | <i>dpyad gos</i> (Surgeon's gown) | Assorted |
| 13. | <i>kha ras dang mgo ras</i> (Mask and caps) | Assorted |
| 14. | <i>sang ras dang srin bal dang rma dkris</i> (Gauze, Cotton and Bandage) | Assorted |
| 15. | <i>lag shub sna tshogs</i> (Gloves of different size) | Assorted |
| 16. | <i>lag 'phis 'dzin lcags</i> (Towel clips) | Assorted |
| 17. | <i>jem tse</i> (Different Scissors) | Assorted |
| 18. | <i>skam pa sna tshogs</i> (Different Forceps) | Assorted |
| 19. | <i>gcin 'dren gyigs sbub</i> (Rubber catheters) | Assorted |
| 20. | <i>sha pags tsem khab</i> (Suturing Needle) | Assorted |
| 21. | <i>dpyad skud</i> (Surgical Thread) | Assorted |
| 22. | <i>dpyad snod or dpyad lgang</i> (Ambu bag) | Assorted |
| 23. | <i>myur skyob glog</i> (Emergency light) | one |
| 24. | <i>me gsod byed</i> (Fire extinguisher) | one |
| 25. | <i>btsags bu/dpyad gri or spu gri</i> (Surgical blades) | Assorted |
| 26. | <i>dud rlung gdon byed</i> (Fumigator) | one |
| 27. | <i>'khyags sgam</i> (Refrigerator) | one |
| 28. | <i>snyigs 'bud rlung 'khor</i> (Exhaust Fan) | one |
| 29. | <i>rang 'gul gus 'khru</i> (Auto linen washing machine) | one |
| 30. | Proctoscope with or without illumination | one |
| 31. | <i>zhabs stegs 'khor lo can</i> (Revolving Stool) | As per requirement |
| 32. | Gabriel syringe | Assorted |
| 33. | <i>nad pa mgyogs 'dren khor lo can</i> (Stretcher with trolley) | one |
| 34. | <i>khab 'dzin byed</i> (Needle holder) | Assorted |
| 35. | <i>khrag shes brtag byad</i> (Blood Pressure Apparatus or Sphygmomanometer) | one |

Note: The above mentioned are minimum essential standard requirements. However, the facilities may be increased as per requirement.

(See regulations 3, 4 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of Equipment and Instruments required for Clinical Laboratory in the Hospital under the Department of *tha mal nad med dang brtag thabs* (Disease Prevention and Sowa-Rigpa Pathology)

| Serial Number (1) | Equipment and Instruments (2) | Required Quantity (3) |
|----------------------|--|--------------------------|
| 1. | Microscope with oil immersion | one |
| 2. | Westergren's pipette for Erythrocyte Sedimentation Rate | Assorted |
| 3. | Haematocrit tube | Assorted |
| 4. | Sahli's Haemoglobinometer | one |
| 5. | Centrifuge Graduated Machine | one |
| 6. | Stethoscope | one |
| 7. | Sterile disposable lancet/needle | Assorted |
| 8. | Thermometer | two |
| 9. | Urinometer | one |
| 10. | Knee Hammer | one |
| 11. | Tuning fork | one |
| 12. | Test tube | Assorted |
| 13. | Stopwatch | one |
| 14. | Micro slides, Cover slips and Glassware | Assorted |
| 15. | Refrigerator | one |
| 16. | Steriliser | one |
| 17. | Blood Pressure Apparatus or Sphygmomanometer | one |
| 18. | Torch | one |
| 19. | Measuring tape | two |
| 20. | Weighing machine | one |
| 21. | Peak Flow Meter | one |
| 22. | Reagents | Assorted |
| 23. | Bunsen Burner | one |
| 24. | Dropper | two |
| 25. | Rapid test kit (Hepatitis B Surface Antigen, Human Immunodeficiency Virus, Bleeding Time, Clotting Time, Renal Profile, Liver Function Test, Lipid Profile etc.) | Assorted |
| 26. | White blood cell pipette | Assorted |
| 27. | Haemoglobin pipette | Assorted |
| 28. | Red Cell pipette | Assorted |
| 29. | Incubator | one |
| 30. | Sample collection (vials and containers) | Assorted |
| 31. | Needle destroyer | one |
| 32. | Glass rod | Assorted |
| 33. | Litmus paper | Assorted |
| 34. | pH indicator strips | Assorted |
| 35. | Filter paper | Assorted |
| 36. | Magnifying lens | Assorted |
| 37. | Tongue depressor | Two |
| 38. | Disposable gloves | As per requirement |
| 39. | Sowa-Rigpa Urine analysis set | one |

Note: 1. College may establish X-Ray unit in the hospital and Electrocardiogram, Ultrasonogram may also be provided.
2. For higher haematological, biochemical, pathological investigations, sonological, radiological imaging studies etc., may have collaboration with nearest medical college hospital or recognised hospital or laboratory.

SCHEDULE-XII

(See regulation 3, 4 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of Equipment and Instruments for Out-Patient Department and In-Patient Department in the Hospital

| Serial Number (1) | Equipment and Instruments (2) | Required Quantity Out-Patient Department (OPD) (3) | Required Quantity In-Patient Department (4) |
|-------------------|---|--|---|
| 1. | Sowa-Rigpa Urine analysis set | One in each OPD | Five |
| 2. | X-ray viewing Box | One | Two |
| 3. | Blood Pressure Apparatus | One in each OPD | Two |
| 4. | Stethoscope | One in each OPD | Four |
| 5. | Examination Table | One in each OPD | Two |
| 6. | Thermometer | One in each OPD | Six |
| 7. | Tongue depressor | One in each OPD | Six |
| 8. | Cotton balls | Assorted | Assorted |
| 9. | Torch | One in each OPD | Four |
| 10. | Measuring tape | One in each OPD | Four |
| 11. | Weighing machine and Height measuring stand | One in each OPD | Two |
| 12. | Knee Hammer | One in each OPD | Six |
| 13. | Pulse Oximeter | One in each OPD | Three |

Note: Additional instruments required in *byis pa dang mo nad* (Paediatrics and Gynaecology) OPD-Sim's speculum, Cusco's speculum and scale (baby weighing).

SCHEDULE-XIII

(See regulations 3, 4 and 13)

Minimum Essential Standard Requirement of specimens and artefacts required for Materia Medica Museum under the Department of *smān rdzas dang smān sbyor* (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics)

| Serial Number (1) | Specimens and other items (2) |
|-------------------|---|
| 1. | Medicine Buddha Mandala |
| 2. | Thangka (scroll or digital or chart or any form) |
| 3. | Sowa-Rigpa Medical Manuscripts or Old texts |
| 4. | <i>las bdun dhang cha byad</i> (External Therapeutic instruments) |
| 5. | Surgical Instruments |
| 6. | Specimen of <i>rinpoche'i smān</i> (Gem Medicine and Precious Metal); at least ten Specimens |
| 7. | Specimen of <i>rdos man</i> (Stone Medicine); at least five Specimens |
| 8. | Specimen of <i>sa smān</i> (Soil Medicine); at least five Specimens |
| 9. | Specimen of <i>rtsi smān</i> (Aromatic Medicine); at least five Specimens |
| 10. | Specimen of <i>shing smān</i> (Wood Medicine); at least fifteen Specimens |
| 11. | Specimen of <i>ldumbu thang smān</i> (Herb Medicine with Strong Root); at least ten Specimens |
| 12. | Specimen of <i>sngo smān</i> (Herb Medicine with Thin Root); at least twenty Specimens |
| 13. | Specimen of <i>lantshwa'i smān</i> (Salt Medicine); at least five Specimens |
| 14. | Specimen of finished Medicinal Drugs |
| 15. | Herbarium Specimens |

Dr. B. L. MEHRA, Secy. In-charge, National Commission for Indian System of Medicine

[ADVT.-III/4/Exty./652/2023-24]

ANNEXURES

Annexure-I

FORM-1

(See regulations 8 and 10)

APPLICATION FOR PERMISSION TO ESTABLISH NEW UNDERGRADUATE SOWA-RIGPA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION UNDER SECTION 29 OF THE ACT

| Serial Number | Particulars | Details |
|---------------|-------------|---------|
|---------------|-------------|---------|

| Part-I: Applicant Details | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | Name of the applicant (in BLOCK letters) | |
| 2 | Complete address with pin code | |
| 3 | Official Telephone Number and Mobile Number | |
| 4 | Official E-mail ID | |
| 5 | Status of applicant whether State Government or Union Territory or University or Trust or Society | |
| 6 | Composition of the Trust or Society | |
| 7 | Registration or incorporation of the applicant body (Number and date, if any) | |
| 8 | Type of institution (Government or Government Aided or Private or Deemed University) | |
| 9 | Is there any other Sowa-Rigpa college run by the same trust or society or university | Yes or No |
| | If yes, mention the distance between two colleges | |
| | Provide Global Positioning System link of the college along with print copy of the same | |
| 10 | Financial Capability: Balance Sheet for the last three years to be provided if the applicant is a Trust or Society. Details of the financial resources to be furnished. | |
| 11 | Annual Audit Report (Enclose copy of audit report of last three years) | |
| 12 | Means of financing the project: Contribution of the Applicant (attach proof) | |
| | Grants (attach proof) | |
| | Donations (attach proof) | |
| | Equity (attach proof) | |
| | Term Loans (attach proof) | |
| | Other Sources, if any (attach proof) | |
| Part-II: Fee Details | | |
| 13 | Application Fee Transactions ID | |
| | Processing Fee Transaction ID | |
| | Any other fee specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine/National Commission for Indian System of Medicine from time to time | |
| Part-III: Essential Requirement Details | | |
| 14 | Date of 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union Territory Administration. | |
| 15 | Validity of Essentiality Certificate or No Objection Certificate | From ----- To ----- |
| 16 | Name and address of affiliating University | |
| | Date of Consent of Affiliation for the scheme | |
| | Years of Consent of Affiliation for the scheme | From ----- To ----- |
| Part-IV: Details of the proposed College | | |
| 17 | Name of the proposed Sowa-Rigpa medical college or institution | |
| 18 | Complete address with pin code | |
| 19 | Name of the Principal of the proposed college | |
| 20 | Proposed annual student intake capacity (Fifteen or Thirty) | |
| 21 | Official telephone number and mobile number | |
| 22 | Official e-mail ID | |
| 23 | Provide Global Positioning System link of the College and Hospital along with print copy of the same | |
| 24 | Total area of the land | |
| 25 | Land is on lease or own | |
| | If it is on lease, years of lease | |
| | Tax paid receipt of land, prior to two years from the last date of submission of application | |
| | Non-encumbrance certificate | |
| 26 | Category of Land (Tier I and Tier II) - Attach proof from the local authority | |
| 27 | Relevant building permissions from the concerned authorities | |

| | | |
|---|---|--|
| 28 | Attach the true copy of building plan approved by local authority and endorsed by the architect | |
| Part-V: Establishment of the College (Phase-I) Details | | |
| 29 | Administrative section | |
| 30 | Central library with number of books as specified in these regulations in accordance with student intake capacity | |
| 31 | Teaching Departments | |
| | 1. <i>lo rgyus dang lta grub</i> (History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa) Department with Language Laboratory. | |
| | 2. <i>grub pa lus</i> (Human Anatomy and Physiology) Department with Dissection Hall, Anatomy Museum and Physiology Practical Laboratory | |
| | 3. <i>sman rdzas dang sman sbyor</i> (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics) Department with Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory or Pharmacology and Pharmaceutics Practical Laboratory, Materia Medica Practical Laboratory and Materia Medica Museum. | |
| 4. <i>tha mal nad med dang brtag thabs</i> (Disease Prevention and Sowa-Rigpa Pathology) Department with Pathology Practical Laboratory | | |
| 32 | Lecture halls | |
| 33 | Seminar or Conference or Examination or Multipurpose or Yoga Hall | |
| 34 | Canteen | |
| 35 | Herbal garden | |
| 36 | College website | |
| 37 | Biometric Attendance System | |
| 38 | Medical Education Unit | |
| 39 | Information technology infrastructure | |
| 40 | Facilities for co-curricular and extra-curricular activities | |
| 41 | Common rooms for students with attached toilets (boys and girls separately) | |
| 42 | Common rooms for teaching faculties with attached toilets (male and female separately) | |
| 43 | Toilet facilities for non-teaching staff (male and female separately) | |
| 44 | Human resources of the college:- | |
| | Teaching staff (as per Phase-I requirement) | |
| | Non-teaching staff (as per Phase-I requirement) | |
| Part-VI: Banking Details of the College | | |
| 45 | Name of the account | |
| | Account number in college name | |
| | Name of the Bank | |
| | Name of the branch of the bank with Indian Financial System Code | |
| Part-VII: Details of the Hospital | | |
| 46 | Name of the attached hospital of the proposed college | |
| 47 | Date of establishment of the hospital | |
| 48 | Registration certificate of the hospital (attach the copy) | |
| 49 | Proof of ownership of existing hospital (attach the copy) | |
| 50 | Panchayat License | |
| 51 | Hospital building occupancy certificate | |
| 52 | Hospital building completion certificate | |
| 53 | Pollution control certificate | |
| 54 | Fire safety certificate | |
| 55 | Bio-medical waste management agreement | |
| 56 | Renewal of the necessary permission from local or concerned authorities and validity period (attach proof) | |
| 57 | Administration block | |
| 58 | Out-Patient Departments and other sections or units including Pharmacy or Dispensary (i) <i>lus nad</i> (General Medicine) (ii) <i>dpyad sbyong</i> (External Therapy and Surgery) (iii) <i>byis nad dang mo nad</i> (Paediatrics and Gynaecology) (iv) <i>gdon nad dang dug nad</i> (Clinical Psychology and Toxicology) Combined Out-Patient Departments of (i) and (iv) and combined Out- | |

| | | |
|---|---|------------------------|
| | Patient Departments of (ii) and (iii) | |
| 59 | In-Patient Departments and other sections or units | |
| 60 | <i>dpyad sbyong</i> (Eternal Therapy and Minor Operation Theatre) Block | |
| 61 | Clinical Laboratory | |
| 62 | Hospital Kitchen | |
| 63 | Store | |
| 64 | Total number of Out-Patient Departments patient's attendance in the last one year from the date of application | |
| 65 | Average number of Out-Patient Departments patients per day in the last one year from the date of application | |
| 66 | Average bed occupancy in the last one year from the date of the application | |
| 67 | Human resources in the hospital | |
| | Hospital staff existing and relieved for the last one year before submission of application (with details of name, designation, section or unit, qualification, experience, appointment order, joining letter and date, relieving letter and date, state registration certificate or teachers code in applicable cases) section wise as per Schedule-IV,- | |
| | Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent | |
| | Consultants | |
| | Resident Medical Officers | |
| | Matron or Nursing Superintendent | |
| | Staff Nurse | |
| | Ward boy or Ayah | |
| | Pharmacist | |
| | Dresser | |
| | Office staff | |
| | Modern Medical Staff details | |
| | External Therapy and Minor Operation Theatre Section | |
| | Clinical Laboratory | |
| 68 | Hospital Record (tick whichever is applicable) | Computerised or Manual |
| Part-VIII: Banking Details of the Hospital | | |
| 69 | Name of the Account | |
| | Account number in hospital name | |
| | Name of the Bank | |
| | Name of the branch of the Bank and IFSC code | |
| | Following details are required for last one year prior to the date of submission of application:- | |
| | a. Details of salary paid to hospital staff (month-wise) | |
| | b. Details of purchase of medicines (attach indents and payment proof) | |
| | c. Details of purchase of hospital consumables (attach indents and payment proof) | |
| | d. Details of payment of relevant taxes (attach copy) | |
| | e. Details of hospital income (attach copy) | |
| | f. Employees Provident Fund and Employees State Insurance details | |

Signature of applicant
Full Name
Designation

Place:

Date:

List of enclosures:

1. Certified copy of Bye Laws or Memorandum and Articles of Association or Trust or Society deed with name of trustees.
2. Certified copy of certificate of registration or incorporation of trust.
3. Annual reports and audited balance sheets for the last three years.
4. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership or lease agreement deed.
5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.
6. Proof of ownership of existing hospital with Hospital Registration Certificate and its validity period.
7. Certified copy of the 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union Territory Administration at the proposed site for the applied academic session in the prescribed format.
8. Certified copy of the 'Consent of Affiliation' issued by recognised University established under any Central or State or Union Territory statute for establishing a new Sowa-Rigpa medical college or institution for the applied academic session in the prescribed format.

9. Accreditation certificate issued by National Accreditation Board for Hospitals (if any).
10. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine/National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.
11. Furnish affidavit stating that the land and buildings designated for Sowa-Rigpa medical college or institution and attached teaching hospital are exclusively for conducting Sowa-Rigpa courses recognised by Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa/National Commission for Indian System of Medicine.
12. Furnish affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on “National Commission for Indian System of Medicine-National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa Under-Graduate” merit and only through central counselling and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
13. Furnish affidavit stating that the curriculum and syllabus, nomenclature of the course or programme, infrastructure, facilities, and human resources including student-teacher ratio shall be maintained as per the specifications of the commission specified in the concerned regulations.
14. Furnish affidavit that has not already admitted student in any class or standard or course or training of the proposed Sowa-Rigpa medical college or institution.
15. Furnish an undertaking that the institution is in a position to credit the fixed security deposit valid for a period of five years in favour of the National Commission Fund for Indian System of Medicine.
16. Proof of application fee and Processing fee remitted.
17. Copy of bank transaction for the last one year of official bank account: College and Hospital
18. Copy of biometric attendance of hospital staff for the last one year
19. Other enclosures as per the various parts of application form (please indicate details):-
 - a. Distribution of land with survey number.
 - b. Proof for category of land such as Tier I and Tier II cities (X and Y categories), North-Eastern States, hilly areas and notified tribal areas, a certificate obtained from local authorities.
 - c. Non-encumbrance certificate.
 - d. Tax paid receipt for land and hospital building.
 - e. Building plan approved by local authority and endorsed by the architect.
 - f. Area statement certificate authorised by architect as per these regulations.
 - g. Panchayat license for establishment of hospital.
 - h. Hospital Building Occupancy Certificate.
 - i. Hospital Building Completion Certificate
 - j. Fire safety certificate.
 - k. Disaster management certificate (if any).
 - l. Pollution control certificate.
 - m. Biomedical waste management agreement.
 - n. College and hospital building occupancy certificate.
 - o. College and hospital building completion certificate.
20. Any other documents as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

(Note: All copies shall be self-attested)

Annexure -II

FORM-2

(See regulations 8 and 10)

APPLICATION FOR PERMISSION TO INCREASE THE NUMBER OF SEATS OR STUDENT INTAKE CAPACITY OR ADMISSION CAPACITY IN EXISTING UNDERGRADUATE PROGRAMME OR COURSE IN A SOWA-RIGPA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION UNDER SECTION 29 OF THE ACT

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Name of the applicant (in BLOCK letters) | |
| 2. | Complete Address with PIN code, official Telephone number and Mobile number and official e-mail ID | |
| 3. | Status of applicant whether State Government or Union Territory or University or Trust or Society | |
| 4. | Registration or incorporation (number and date etc) | |
| 5. | Name and address of the Sowa-Rigpa Medical College or institution | |
| 6. | Date of ‘No Objection Certificate’ or ‘Essentiality Certificate’ issued by the State Government or Union Territory Administration | |
| 7. | Permission status of the college or institution for the current academic year | |
| 8. | i. Name and address of affiliating University ii. Date of first affiliation | |

| | | |
|-----|--|--|
| | iii. Date of first affiliation for the scheme | |
| 9. | Year of admission of first batch for undergraduate | |
| 10. | Month and year of course completion of first batch of admitted students in undergraduate programme | |
| 11. | Number of seats approved and date of recognition or permission by the Ministry of Ayush or erstwhile Central Council of Indian Medicine or Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for existing undergraduate | |
| 12. | Name of the course of study applied for increase in student intake capacity | |
| 13. | Number of seats applied for the increase in student intake capacity or admission capacity (up to fifteen or sixteen to thirty), specify | |
| 14 | Details of: (a) Additional financial allocation (b) Additional space, equipment, and other infrastructural facilities in respect of increase in student intake capacity (c) Recruitment of additional staff (teaching staff, non-teaching staff and hospital staff) in respect of increase in student intake capacity | |
| 15 | Any other relevant information | |

Signature of the Applicant
Full Name
Designation

Place:

Date:

List of Enclosures:

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' or 'Essentiality Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration on the prescribed format.
2. Attested copy of the 'Consent of affiliation' issued by a recognised University to which the college or institution is affiliated in the prescribed format.
3. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.
4. Attested copy of the letter from the Ministry of Ayush or erstwhile Central Council of Indian Medicine or Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine approving recognition of the college or institution, if already permitted to conduct undergraduate degree programme.
5. Affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on "National Commission for Indian System of Medicine-National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa Under-Graduate" merit and only through Sowa-Rigpa Central Counseling and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
6. Affidavit stating that the human resources as per student-teacher ratio shall be maintained in respect of student intake capacity as mentioned in concerned regulations.
7. Proof of application fee and processing fee remitted.
8. Other enclosures,-
 - a. Certified copy of Bye laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees and renewed copy of trust or society registration or incorporation.
 - b. Certified copy of the land documents as a proof of ownership or lease agreement deed.
 - c. First hospital registration certificate or renewed as a proof of ownership of existing hospital.
 - d. Fire safety certificate.
 - e. Disaster management certificate (if any).
 - f. Pollution control certificate.
 - g. Biomedical waste management agreement.
 - h. College and hospital building occupancy certificate.
 - i. College and hospital building completion certificate.
 - j. Building plan approved by local authority and endorsed by the architect.
 - k. Area statement certificate authorised by architect as per these regulations.
 - l. Purchase bills of equipment, instruments etc for increase in student intake capacity in existing undergraduate programme.

- m. List of medicines prepared or purchased with bills for the last one year.
 - n. List of raw drugs purchased with bills for the last one year.
 - o. Consolidated data of hospital: Patient data (out-patient departments, in-patient departments, and bed occupancy) for the last one year
 - p. Tax paid receipt for land, building including hospital building.
 - q. Furnish an undertaking stating that the institution is able to credit the fixed security deposit valid for a period of five years in favour of the National Commission Fund for Indian System of Medicine.
 - r. Furnish an undertaking stating that the institution has fulfilled all minimum essential standards mentioned in these regulations in accordance with the proposed student intake capacity.
9. Any other enclosures of the documents as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

Note: All the copies shall be self-attested.

Annexure-III

FORM-3

(See regulation 10)

**NO OBJECTION CERTIFICATE OR ESSENTIALITY CERTIFICATE
TO ESTABLISH A NEW UNDERGRADUATE SOWA-RIGPA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION
UNDER SECTION 29 OF THE ACT
(To be issued by State Government or Union Territory Administration)**

Ref. No.....

Dated.....

| Basic details of Applicant | | |
|--|--|------------------|
| 1 | Name of the Applicant (in BLOCK LETTERS) with address | |
| 2 | Type of institution (Government or Government Aided or Private or Deemed University) | |
| 3 | Name of the proposed Sowa-Rigpa Medical College or Institution | |
| | Address of the proposed College or Institution | |
| | Proposed student intake capacity (Fifteen or Thirty) | |
| 4 | Whether the applicant is already running Sowa-Rigpa Medical College(s) | Yes or No |
| 5 | If yes, what is the distance between the nearest college and the proposed college (if the distance is twenty-five or less than twenty-five Kilometres, No Objection Certificate or Essentiality certificate shall not be issued) | |
| Other Details for Establishing New Sowa-Rigpa Medical College | | |
| 6 | Number of Sowa-Rigpa medical colleges or institutions already existing in the State | |
| 7 | Registered Sowa-Rigpa Doctors-Population ratio in the State or Union Territory | |
| 8 | Doctors (registered medical practitioners of all systems) to Population ratio in the State or Union Territory | |
| 9 | Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of new Sowa-Rigpa Medical college or institution | Poor or Adequate |
| 10 | Registration number of the hospital and the date of registration | |
| 11 | Restrictions imposed by the State government, if any, on students who are not domiciled in the state from obtaining admissions in the state, have to be specified. | |

| | | |
|----|--|--|
| 12 | Full justification for opening of the proposed Sowa-Rigpa Medical College or Institution | |
|----|--|--|

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

The Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to ----- (name of the applicant) for the establishment of ----- (name of the proposed college or institution) at ----- (address of the proposed college or institution) with student intake capacity of ----- (Fifteen or Thirty). This certificate is issued in consideration of above details, facts, or conditions. This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following term and conditions:

1. College shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under National Commission for Indian System of Medicine.
2. College shall not conduct any other colleges, courses or programmes in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.
3. College shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in accordance with student intake capacity.
4. College shall admit "National Commission for Indian System of Medicine-National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa Under-Graduate" eligible students as per the extant regulations, guidelines and policies notified by the National Commission for Indian System of Medicine.
5. The institution shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards, National Commission for Indian System of Medicine, Government of India, and University.
6. In case of change over the college to other society or trust, prior no objection certificate shall be obtained from the State Government or Union territory Administration, as the case may be.
7. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities for the Sowa-Rigpa Medical College or Institution as per the minimum essential standards specified by the National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the college with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine/National Commission for Indian System of Medicine.
8. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of the college for minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the college with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(Signature of the Competent Authority)
Office Seal

Date:
Place:

Annexure-IV

FORM-4

(See regulation 10)

**NO OBJECTION CERTIFICATE OR ESSENTIALITY CERTIFICATE
TO INCREASE SEATS OR STUDENT INTAKE CAPACITY OR ADMISSION CAPACITY IN EXISTING
UNDERGRADUATE PROGRAMME IN A SOWA-RIGPA MEDICAL COLLEGE OR INSTITUTION
UNDER SECTION 29 OF THE ACT**

(To be issued by State Government or Union Territory Administration)

Ref. No.....

Dated.....

| Basic details of Applicant | | |
|--|--|---|
| 1 | Name of the Applicant | |
| 2 | Name of the applicant institution | |
| 3 | Address with official contact number and e-mail ID | |
| 4 | Subject of application | Increase student intake capacity from..... to |
| 5 | Year of establishment of college or institution | |
| Other Details for Increasing Number of Seats or Student Intake Capacity | | |
| 6 | Sowa-Rigpa Registered Doctors-Population ratio in the State or Union Territory | |
| 7 | Doctors (registered medical practitioners of all systems) to Population ratio in the State or Union Territory | |
| 8 | Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of new Sowa-Rigpa Medical college or institution | Poor or Adequate |

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

The Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to ----- (name of the applicant) for the increase number of seats or student intake capacity or admission capacity from ----- to -----in the existing undergraduate programme conducted by ----- (name of the college or institution) at ----- (address of the college or institution). This certificate is issued in consideration of above details, facts or conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following term and conditions:

1. College shall admit students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under National Commission for Indian System of Medicine.
2. College shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in accordance with student intake capacity.
3. College shall admit "National Commission for Indian System of Medicine-National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa Under-Graduate" eligible students as per the extant regulations, guidelines and policies framed by the National Commission for Indian System of Medicine.
4. The institution shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards, National Commission for Indian System of Medicine, Government of India and University.
5. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities for the Sowa-Rigpa Medical College or Institution as per the minimum essential standards specified by the National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the college with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian System of Medicine.
6. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of the college for minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the college with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(Signature of the Competent Authority)
Office Seal

Date:
Place:

Annexure-V

FORM-5

(See regulation 10)

CONSENT OF AFFILIATION

(To be issued by Affiliating University)

(Pre-requisite for submission of application to establish a new Sowa-Rigpa college or to increase student intake capacity in existing undergraduate programme in a Sowa-Rigpa Medical College or Institution)

| Serial Number. | University Details | |
|----------------|---|--|
| 1 | Name of the University | |
| 2 | Address | |
| 3 | Type of University | Central or State or Deemed-Government or Deemed-Private or Private State |
| 4 | Contact Details | |
| 5 | Contact Person (Name and Designation) | |
| | Mobile number | |
| | e-mail ID | |
| 6 | Year of Establishment | |
| 7 | Existing Faculties | |
| 8 | Accreditation if any | |
| 9 | Number of Sowa-Rigpa medical colleges or institutions affiliated to the University till date. | |

CONSENT OF AFFILIATION

The university on the basis of local enquiry committee report, is agreed upon in principle to issue consent of affiliation to----- (name of the college) with student intake capacity of ----- (Fifteen or Thirty) seats of the proposed college or increase in number of seats or student intake capacity or admission capacity from ----- to ----- in already existing undergraduate programme.

The consent of affiliation is issued for the academic year(s).....

Consent of affiliation is issued on the following terms and conditions:

1. The college shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.
2. The college shall admit the "National Commission for Indian System of Medicine-National Eligibility-cum-Entrance Test for Sowa-Rigpa Under-Graduate" eligible students through central counselling process as specified by the National Commission for Indian System of Medicine in concerned regulations and guidelines.
3. The college shall ensure the conduction of stipulated hours of teaching and training as per the curriculum and syllabus specified by the National Commission for Indian System of Medicine.
4. The colleges shall obtain continuation of affiliation every year at least three months before the commencement of admission process.
5. Prior 'No Objection Certificate' shall be obtained from the present affiliating university in case of change of affiliation to other university or applying for Deemed status.
6. In case of disaffiliation with the present university, the existing batches shall continue with the present university till award of degree for the last student.

Registrar
(Signature with seal)

Place:

Date:

Annexure-VI

RATING OF FULLY ESTABLISHED EXISTING SOWA-RIGPA MEDICAL COLLEGES OR INSTITUTIONS UNDER SECTION 28 OF THE ACT

(Standards or Key Areas, Assessment Criteria, Rating Criteria and Rating Score)

(See regulation 14)

| SERIAL NO. | STANDARDS OR KEY AREAS | ASSESSMENT CRITERIA (Verification during Inspection or Visitation) | RATING CRITERIA (Verification during Inspection or Visitation) | MAXIMUM SCORE PER INDICATOR | SCORE OBTAINED BY THE INSTITUTION | REMARKS |
|------------|--|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) |
| 1 | Land | 1. Verification with Google map 2. Verification of all land related documents | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-proceed Rating or if No-Remarks) Rating: For every ten percent of additional land-one Point (Maximum ten Points) | 10 | | |
| 2 | Constructed Area (College and Hospital) | 1. Blueprint submitted by the college 2. Verification of related documents, approved by concerned authorities | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes- Rating or if No-Remarks) Rating: For every ten percent of additional constructed area in Out-Patient Department, In-Patient Department, Lecture halls or Classroom, Departments, Library- two Points (Maximum ten Points) | 10 | | |
| 3 | Number of Beds in In-Patient Departments | Physical or Virtual verification | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes- Rating or if No-Remarks) Rating: For every addition of two beds- one Point | 10 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| | | | (Maximum ten Points) | | | |
| 4 | Bed Occupancy in In-Patient Departments | Physical or Virtual verification of In-Patient Department records and data | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes- Rating or if No-Remarks) | 10 | | |
| | | | Rating: For every five percent of additional bed occupancy in the last one year- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| 5 | Out-Patient Departments | 1. Physical or Virtual verification 2. Verification of Out-Patient Department records and data, Equipment and instruments | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes- Rating or if No-Remarks) | 10 | | |
| | | | Rating: For every additional Speciality Out-Patient Department or Clinic in the hospital- two Points (Maximum ten Points) | | | |
| 6 | Patients Attendance in Out-Patient Departments | 1. Physical or Virtual verification 2. Verification of central or Out-Patient Department records and data, Equipment, and instruments | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes- Rating or if No-Remarks) | 10 | | |
| | | | Rating: For every addition of ten percent in the last one year - one Point (Maximum ten Points) | | | |
| 7 | Clinical Laboratory in the Hospital | 1. Physical or Virtual verification 2. Verification of Laboratory records and data | As per Minimum Essential Standards -Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 30 (To be converted to 10) | | |
| | | | Rating: a) For every group of advanced investigations over and above the existing facilities - two Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | b) For addition of every diagnostic facility like Electrocardiogram, Ultrasound Sonography, X-Ray etc.,- two Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | c) For every accreditation like National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or certification like International Organization for Standardization etc.,- five Points (Maximum ten Points) | | | |
| 8 | Waste Management System | 1. Physical or Virtual verification of facility 2. Verification of related documents approved by the concerned authorities | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 10 | | |
| | | | Rating: For every additional waste management facility like Vermicompost, Sewage Treatment Plant, Incinerator, Bio-gas plant etc.,- two Points | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|-------------------------------|--|--|
| 9 | Office | Physical or Virtual verification | (Maximum ten Points) | 10 | | |
| | | | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | | | |
| 10 | Clinical Skill Laboratory | 1. Physical or Virtual verification of the unit and facilities 2. Verification of related records to assess its functionality. | e-Office: For every addition of e-office module such as pay role, online leave, employee profile etc., one Point (Maximum ten Points) | 30 (To be converted to 10) | | |
| | | | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | | | |
| | | | Rating: a) Mannequins: For addition of each mannequin- two Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | b) Simulators: For addition of each simulator- two Points (Maximum ten Points) | | | |
| 11 | External Therapy and Minor Operation Theatre | 1. Physical or Virtual verification of the unit 2. Verification of related data or records | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 20 (To be converted to 10) | | |
| | | | Rating: a) For every fifty external therapies in the last one year- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | b) For every five Sowa-Rigpa external surgical treatment in the last one year- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| 12 | Language Laboratory | 1. Physical or Virtual verification of the unit 2. Verification of related records | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 10 | | |
| | | | Rating: For every upgradation of facilities- two Points (Maximum ten Points) | | | |
| 13 | Research Facility | 1. Physical or Virtual verification of facility 2. Verification of related records or documents | Rating: a) Establishment of Research Cell with basic facilities- ten Points | 60 (To be converted to 10) | | |
| | | | b) Publication: For every scientific publication by faculty or student in the last one year - two Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | c) Research Project (self-funded or external fund): For every research project started in the last two years - two Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | d) For every innovation (such as patent, | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|--|-------------------------------|--|--|
| | | | proprietary product, commercialisation etc.,) in the last year - two Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | e) Publication of journal by the institution in the last one year-each two Points- (Maximum ten Points) | | | |
| | | | f) Publication grant offered by the National Commission for Indian System of Medicine in the last one year: for each grant- two Points (Maximum ten Points) | | | |
| 14 | Co-Curricular and Extra-Curricular Activities | 1. Physical or Virtual verification of facility 2. Verification of related records | Rating: a) Availability of basic indoor games (includes Chess, Carrom, and Table tennis)- five Points b) For every addition of indoor games- one Point (Maximum ten Points) c) Availability of basic outdoor games (includes Volleyball, Throw-ball, and Shuttle badminton)- five Points; d) For every addition of outdoor games- one Point (Maximum ten Points) e) Any awards received by students will be given the Points as per the Annexure-VI A (Maximum twenty Points) | 50 (To be converted to 10) | | |
| 15 | Information Technology Support and Communication Facility | 1. Physical or Virtual verification of the facility 2. Verification of the data usage | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) Rating: For every additional Information Technology facility like Wi-Fi campus, Firewall protection, Intranet, - two Points (Maximum ten Points) | 10 | | |
| 16 | Medical Education Unit | 1. Physical or Virtual verification of the unit 2. Verification of related records, photos etc., | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) Rating: a) For every additional facility like e-teaching content development studio, photography unit etc., - two Points (Maximum ten Points) b) For every in-house orientation or training programme conducted by the institution for teaching staff in last one year- one Point (Maximum ten Points) c) For every in-house orientation or training programme conducted by | 50 (To be converted to 10) | | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|-------------------------------|--|--|
| | | | the institution for non-teaching and hospital staff in the last one year- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | d) For every orientation or training programme undergone by the staff from other institutions in the last one year- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | e) For every training programme conducted by Medical Education Unit for the staff of other institutions - two points (Maximum ten Points) | | | |
| 17 | Human Resources Hospital Staff Teaching Staff Non-Teaching Staff | Physical or Virtual verification- Physical presence of staff, Personal files, Bank statements, Form 16 or Information Technology returns, Acquittance, Biometric attendance, Duty roster, Timetable etc., as applicable | a) Non-Teaching and Hospital Staff: As per Minimum Essential Standards- Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) Rating: For every addition of five percent of non-teaching and hospital staff – one Point (Maximum ten Points) | 50 (To be converted to 10) | | |
| | | | b) Full-Time Regular Teacher: As per Minimum Essential Standards Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | | | |
| | | | c) For every addition of one full-time regular teacher – two Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | d) Part-Time Teacher: For every addition of one part-time teacher (minimum 6 hours per week) – two Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | e) Visiting Faculty: For every addition of one visiting faculty (minimum one visit per month) – two Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | f) Additional qualification from recognised university or institution as a regular student: For acquiring every additional qualification by teaching staff in addition to the essential qualifications as mentioned in Minimum Essential Standards – one Point (Maximum ten Points) | | | |
| 18 | College Council | Physical or Virtual verification- Official order of constitution, Meeting | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) Rating: For every initiative and | 10 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|
| | | agenda, Minutes, Action taken reports, etc., | implementation in the last one year - two Points (Maximum ten Points) | | | |
| 19 | College Website | Online verification of the website | Developed the website as per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 20 (To be converted to 10) | | |
| | | | a) Rating: For every additional web page- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | Maintained the website as per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | | | |
| | | | b) Rating: For every additional activity- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| 20 | Bio-Metric Attendance | Physical or Virtual verification- Device and related records | Maintained as per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 10 | | |
| | | | Extended to interns and students- Each five Points (Maximum ten Points) | | | |
| 21 | Institutional Academic Committee | Physical or Virtual verification- Meeting agenda and minutes, Action taken reports. | Constituted as per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 10 | | |
| | | | Rating: For implementation of every action or decision like Master timetable, Annual or monthly academic plan, Review of student's performance, Annual academic audit report, Lesson plan, Review of student feedback and Action taken report etc. in the last one year – one Point (Maximum ten Points) | | | |
| 22 | Student Support and Guidance Cell | Physical or Virtual verification – Meeting agenda and minutes, Action taken reports, Mentor-Mentee files, Records of counseling of students, Records of grievances and redressal etc., | Constituted ss per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 30 (To be converted to 10) | | |
| | | | Rating: | | | |
| | | | a) For every meeting conducted (Parent Teacher Association and Alumni) in the last one year- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | b) For each cycle of Mentor-Mentee meeting in the last one year (Meeting all mentees with respective mentors once-one cycle) one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | c) For every campus | | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|-------------------------------|--|--|
| | | | placement activity- two Points (Maximum ten Points) | | | |
| 23 | Student Council | Physical or Virtual verification – Meeting agenda and minutes, Action taken reports, and related files | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 10 | | |
| | | | Rating: For every initiative and implementation in the last one year- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| 24 | Lecture Hall | Physical or Virtual verification | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 20 (To be converted to 10) | | |
| | | | Rating: For every Information and Communication Technology enabled Classroom - five Points (Maximum twenty Points) | | | |
| 25 | Seminar or Conference or Examination or Multi-Purpose Hall | Physical or Virtual verification | Multi-Purpose Hall as per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 10 | | |
| | | | Rating: a) Availability of a separate auditorium with audio-visual facility- four Points | | | |
| | | | b) Availability of a separate seminar or conference, hall with audio-visual facility- three Points | | | |
| | | | c) Availability of a separate examination hall- three Points | | | |
| 26 | Central Library | Physical or Virtual verification- Library facilities, Records etc., | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 20 (To be converted to 10) | | |
| | | | Rating: a) For every additional ten percent of books- two Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | b) Digital library (additional)- ten Points | | | |
| 27 | Teaching Departments <i>lo rgyus dang lta grub</i> (History and Fundamental Principles of Sowa-Rigpa) Department | Physical or Virtual verification | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 20 (To be converted to 10) | | |
| | | | Rating: a) For each innovative method of display of teaching content (apart from regular charts)-one Point, Maximum ten Points | | | |
| | | | b) For every innovative teaching methodology (other than specified in syllabus) – one Point (Maximum ten Points) | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|--|--|
| | <i>grub pa lus</i> (Human Anatomy and Physiology) Department | Physical or Virtual verification- Department, Dissection Hall, Physiology Laboratory, Equipment and Instruments, Records etc., | Department as per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 30 (To be converted to 10) | | |
| | | | Rating: a) For every additional specimen in anatomy museum – one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | b) For each innovative method (apart from regular charts) of display of teaching content- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | c) For every innovative teaching methodology (other than specified in syllabus) – one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | <i>smamrdzas dang smansbyor</i> (Materia Medica, Pharmacology and Pharmaceutics) Department | Physical or Virtual verification- Department, Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory, Museum, Equipment and Instruments, Records etc., | Department as per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 40 (To be converted to 10) | | |
| | | | Rating: a) Teaching Pharmacy and Quality Testing Laboratory: For every additional facility- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | b) Museum: For every addition of ten percent of specimen and other items- two Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | c) For each Innovative method (apart from regular charts) of display of teaching content- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | d) For every innovative teaching methodology (other than specified in syllabus) – one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | <i>tha mal nad med dang brtagthabs</i> (Disease Prevention and Sowa-Rigpa Pathology) Department | Physical or Virtual verification- Department, Pathology Laboratory, Equipment and Instruments, Records etc., | Department as per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) | 30 (To be converted to 10) | | |
| | | | Rating: a) Establishment of museum for Preventive Medicine and Pathology – For each five Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | b) For each Innovative method (apart from regular charts) of display of teaching content- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | c) For every innovative teaching methodology (other than specified in | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | | syllabus)- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| <i>dpyadsbyong</i> (External Therapy and Surgery) Department | 1.Physical or Virtual verification 2.Verification of Out-Patient Department or In-Patient Department records | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No- Remarks) | | 50 (To be converted to 10) | | |
| | | Rating: a) For each Innovative method (apart from regular charts) of display of teaching content- one Point (Maximum ten Points) | | | | |
| | | b) For every innovative teaching methodology (other than specified in syllabus) – one Point (Maximum ten Points) | | | | |
| | | c) For every developed evidence-based treatment protocol- two Points (Maximum ten Points) | | | | |
| | | d) (i) For every additional thirty Out-Patient Department patients over and above two thousand seven hundred patients in the last one year (college with up to fifteen student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points) (ii) For every additional sixty Out-Patient Department patients over and above five thousand four hundred patients in the last one year (college with thirty student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points) | | | | |
| | | e) (i) For every additional thirty In-Patient Department bed days over and above three hundred twenty-nine bed days in the last one year (college with up to fifteen student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points) (ii) For every additional sixty In-Patient Department bed days over and above six hundred fifty-eight bed days in the last one year (college with thirty student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points) | | | | |
| <i>lusnad</i> (General Medicine) Department | 1.Physical or Virtual verification 2.Verification of Out-Patient Department or In-Patient Department records | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No Remarks) | | 50 (To be converted to 10) | | |
| | | Rating: a) For each Innovative method (apart from regular charts) of display of teaching content- one Point (Maximum ten Points) | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|--|--|
| | | | <p>b) For every innovative teaching methodology (other than specified in syllabus)- one Point (Maximum ten Points)</p> <p>c) For every developed evidence-based treatment protocol- two Points (Maximum ten Points)</p> <p>d) (i) For every additional forty Out-Patient Department patients over and above three thousand six hundred patients in the last one year (college with up to fifteen student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points) (ii) For every additional eighty Out-Patient Department patients over and above seven thousand two hundred patients in the last one year (college with thirty student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points)</p> <p>e) (i)For every additional forty In-Patient Department bed days over and above four hundred thirty-eight bed days in the last one year (college with up to fifteen student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points) (ii)For every additional eighty In-Patient Department bed days over and above eight hundred seventy-six bed days in the last one year (college with thirty student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points)</p> | | | |
| | <i>byisnad dang monad</i> (Paediatrics and Gynaecology) Department | 1. Physical or Virtual verification of Out-Patient Department or In-Patient Department records | <p>As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks)</p> <p>Rating: a) For each Innovative method (apart from regular charts) of display of teaching content- one Point (Maximum ten Points)</p> <p>b) For every innovative teaching methodology (other than specified in syllabus)- one Point (Maximum ten Points)</p> <p>c) For every developed evidence-based treatment protocol-two Points (Maximum ten Points)</p> <p>d) (i) For every additional twenty Out-Patient Department patients over and above one thousand</p> | 50 (To be converted to 10) | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------|--|--|
| | | | <p>eight hundred patients in the last one year (college with up to fifteen student intake capacity) -one Point (Maximum ten Points)</p> <p>(ii) For every additional forty Out-Patient Department patients over and above three thousand six hundred patients in the last one year (college with thirty student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points)</p> <p>e) (i) For every additional twenty In-Patient Department bed days over and above two hundred nineteen bed days in the last one year (college with up to fifteen student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points)</p> <p>(ii) For every additional forty In-Patient Department bed days over and above four hundred thirty-eight bed days in the last one year (college with thirty student intake capacity)-one Point (Maximum ten Points)</p> | | | |
| | <i>gdonnad dang dug nad</i> (Clinical Psychology and Toxicology) Department | 1.Physical or Virtual verification 2.Verification of Out-Patient Department or In-Patient Department records | <p>As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks)</p> <p>Rating: a) For each Innovative method (apart from regular charts) of display of teaching content- one Point (Maximum ten Points)</p> <p>b) For every innovative teaching methodology (other than specified in syllabus)- one Point (Maximum ten Points)</p> <p>c) For every developed evidence-based treatment protocol-two Points (Maximum ten points)</p> <p>d) (i)For every additional ten Out-Patient Department patients over and above nine hundred patients in the last one year (college with up to fifteen student intake capacity)- one Point (Maximum ten Points)</p> <p>(ii)For every additional twenty Out-Patient Department patients over and above one thousand eight hundred patients in the last one year (college with thirty student intake capacity)- one Point</p> | 50 (To be converted to 10) | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|---|-------------------------------|--|--|
| | | | (Maximum ten Points) e) (i) For every additional ten In-Patient Department bed days over and above one hundred ten bed days in the last one year (college with up to fifteen student intake capacity)– one Point (Maximum ten Points) (ii) For every additional twenty In-Patient Department bed days over and above two hundred twenty bed days in the last one year (college with thirty student intake capacity)– one Point (Maximum ten Points) | | | |
| 28 | Herbal Garden | Physical or Virtual verification | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if Yes-Rating or if No-Remarks) Rating: a) For every additional ten percent of species-one Point (Maximum ten Points) b) For conservation of every rare or endangered medicinal plant-one Point (Maximum ten Points) c) For every innovative cultivation method-two Points (Maximum ten Points) | 30 (To be converted to 10) | | |
| 29 | Hostel | Physical or Virtual verification | Rating: a) Availability of boy's hostel and girl's hostel – five Points for each hostel (Maximum ten Points) b) Providing each additional facility like reading room, hostel library, hostel mess, recreational facility, Wi-Fi etc.– one Point (Maximum ten Points) | 20 (To be converted to 10) | | |
| 30 | Canteen | Physical or Virtual verification | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if No, Remarks) | | | |
| 31 | dpyadshyong (External Therapy and Minor Operation Theatre) Block | Physical or Virtual Verification-Facilities and Records | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if No, Remarks) | | | |
| 32 | Hospital Kitchen | Physical or Virtual verification | As per Minimum Essential Standards - Yes or No (if No, Remarks) | | | |
| OTHERS | | | | | | |
| 33 | Extended Healthcare Services (Additionally) | Physical or Virtual verification of facility and relevant documents | Rating: a) For every Satellite Out-Patient Department in Urban area or Rural area or Tribal area, Telemedicine, Mobile Clinic etc.,- five Points | 30 (To be converted to 10) | | |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|
| | | | (Maximum twenty Points) | | | |
| | | | b) For every Medical camp or Health awareness programme etc.,- one Point (Maximum ten Points) | | | |
| 34 | Student Inspirational Index | Physical or Online Survey (Feedback) | Rating: For every ten percent. of score over and above of fifty percent. of overall score – two Points | 10 | | |
| | | | For every ten percent. of score, less than fifty percent. of overall score – two Negative Points | Negative Points if any, to be deducted from total Points obtained by the institution | | |
| | Faculty Loyalty Index | As per the procedure determined by Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine | | 10 | | |
| 35 | Institutional values and best practices | Physical or Virtual verification | College or Hospital: Accreditation by Authorised agencies like National Assessment and Accreditation Council, entry level National Accreditation Board for Hospitals or National Accreditation Board for Hospitals, National Accreditation Board for Laboratories etc., Recognised by government bodies as Centre of Excellence, Nodal centre for Ministry of Government of India or AYUSH or National Commission for Indian System of Medicine or State or Union territory Administration Government etc, - For each accreditation or recognition five Points (Maximum ten Points) | 70 (To be converted to 10) | | |
| | | | For each Eco-friendly initiative like Rainwater harvesting, Plastic free zone, Solar energy, Wind energy etc. - two Points, (Maximum ten Points) | | | |
| | | | For each active Memorandum of Understanding with other reputed institutions for academic and research purpose (active or implemented based on Memorandum of Understanding-): For each Memorandum of Understanding- two Points | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|------------|--|--|
| | | | (Maximum ten Points) | | | |
| | | | Permanent Exhibition or Museum for Sowa-Rigpa system promotion among public- ten Points | | | |
| | | | For every ten percent of pass percentage over and above fifty percent of overall pass percentage (average of all university examinations except supplementary and internal assessments held in the last year) – two Points (Maximum ten Points) | | | |
| | | | For every ten percent first classes (not subject wise) of average of all university examinations held in the last year– one Point (Maximum ten Points) | | | |
| | | | Award or Reward received by the college or institution in the last year - For each two Points (Maximum ten Points) | | | |
| Grand Total Points or Score | | | | 400 | | |

Annexure-VI A**Co and Extra-Curricular Activities (Distribution of Points)**

| Level of competition | First prize | Second prize | Third prize |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| International | 7 | 6 | 5 |
| National | 6 | 5 | 4 |
| State | 5 | 4 | 3 |
| University | 4 | 3 | 2 |
| Inter-collegiate | 3 | 2 | 1 |

[**Note:** If any discrepancy is found between Hindi and English version of the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Sowa-Rigpa Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2023, the English version will be treated as the final]